



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2021-22



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2021-2022 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विनियोग लेखे की भूमिका	1
विनियोग लेखों का सारांश	2-15
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	16-17
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	18
ब्याज अदायगियां	19
लोक सेवा आयोग	20
लोक ऋण	21-22
001. राज्य विधान मंडल	23-24
002. मंत्रि परिषद्	25
003. सचिवालय	26-27
004. जिला प्रशासन	28-29
005. प्रशासनिक सेवाएं	30-33
006. न्याय प्रशासन	34-35
007. निर्वाचन	36-37
008. राजस्व	38-39
009. वन	40-44
010. विविध सामान्य सेवाएं	45-46
011. विविध सामाजिक सेवाएं	47-50
012. अन्य कर	51-55
013. आबकारी	56
014. बिक्री कर	57-59
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	60-62
016. पुलिस	63-69
017. कारागार	70-71
018. जन-सम्पर्क	72
019. लोक निर्माण कार्य	73-85
020. आवास	86-89
021. सड़कें एवं पुल	90-102
022. क्षेत्र का विकास	103-107

023.	श्रम तथा रोजगार	108-111
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	112-128
025.	कोषागार व लेखा प्रशासन	129-130
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	131-154
027.	पेय जल योजना	155-178
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	179-181
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	182-198
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	199-283
031.	पुर्नवास एवं सहायता	284
032.	नागरिक आपूर्ति	285-286
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	287-302
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	303-317
035.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	318-321
036.	सहकारिता	322
037.	कृषि	323-338
038.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	339-340
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	341-345
040.	राजकीय उपक्रम	346
041.	सामुदायिक विकास	347-352
042.	उद्योग	353-358
043.	खनिज	359-360
044.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	361-362
045.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	363
046.	सिंचाई	364-385
047.	पर्यटन	386-388
048.	विद्युत्	389-390
049.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	391
050.	ग्रामीण रोजगार	392-393
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	394-472
परिशिष्ट – व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण		474-477

विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्णों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय *तिरछे* अंकों से दिखाये गये हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
(₹ सहस्र में)			
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक प्रभारित	18,24,58	..	17,20,85
ब्याज अदायगियां प्रभारित	2,83,60,38,36	..	2,81,01,27,29
लोक सेवा आयोग प्रभारित	50,14,00	..	47,55,65
लोक ऋण प्रभारित	..	6,47,68,61,38	..
001. राज्य विधान मंडल दत्तमत प्रभारित	96,73,36 57,01	85,10,43 20,91
002. मंत्रिपरिषद् दत्तमत	15,80,02	..	12,31,88
003. सचिवालय दत्तमत प्रभारित	3,09,17,77 2	2,87,70,05 ..
004. जिला प्रशासन दत्तमत प्रभारित	6,59,51,33 1,76	5,73,58,24 1,17
005. प्रशासनिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	3,31,31,46 6	11,56,00 ..	2,94,74,65 ..
006. न्याय प्रशासन दत्तमत प्रभारित	12,37,85,40 1,74,71,50	11,58,56,87 1,61,51,55
007. निर्वाचन दत्तमत प्रभारित	1,88,21,25 77,58	1,79,27,19 77,57

लेखों का सारांश

पूंजीगत	बचत		आधिव्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	1,03,73
..	2,59,11,07
..	2,58,35
5,61,28,17,14	..	86,40,44,24
..	11,62,93
..	36,10
..	3,48,14
..	21,47,72
..	2
..	85,93,09
..	59
..	36,56,81	11,56,00
..	6
..	79,28,53
..	13,19,95
..	8,94,06
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
008. राजस्व दत्तमत प्रभारित	9,22,28,06 5,12	7,93,48,09 5,09
009. वन दत्तमत प्रभारित	10,00,91,81 67,26	2,72,54,66 ..	8,11,83,50 28,61
010. विविध सामान्य सेवाएं दत्तमत	7,39,44,14	..	5,60,13,32
011. विविध सामाजिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	55,72,62 2,32	4,80,01 ..	36,49,93 2,31
012. अन्य कर दत्तमत प्रभारित	14,09,75,47 23,12	5,09,45,08 ..	12,03,70,92 23,09
013. आबकारी दत्तमत प्रभारित	1,73,43,84 62	1 ..	1,58,72,44 62
014. बिक्री कर दत्तमत प्रभारित	14,19,93,02 6	3 ..	13,21,33,45 ..
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दत्तमत प्रभारित	2,54,63,26,54 10,00,04	2,33,83,15,67 8,20,57
016. पुलिस दत्तमत प्रभारित	74,24,22,23 62,39	2,40,27,17 ..	71,86,18,05 61,83
017. कारागार दत्तमत प्रभारित	2,38,91,35 2	2,21,42,16 ..

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	1,28,79,97
..	3
2,46,16,95	1,89,08,31	26,37,71
..	38,65
..	1,79,30,82
3,06,84	19,22,69	1,73,17
..	1
4,34,51,45	2,06,04,55	74,93,63
..	3
..	14,71,40	1
..
..	98,59,57	3
..	6
..	20,80,10,87
..	1,79,47
1,74,76,70	2,38,04,18	65,50,47
..	56
..	17,49,19
..	2

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
018. जन-सम्पर्क दत्तमत प्रभारित	1,33,31,57 1	1,32,57,43 ..
019. लोक निर्माण कार्य दत्तमत प्रभारित	5,38,82,69 1,58,07	11,23,81,67 ..	4,59,50,16 1,57,87
020. आवास दत्तमत	83,26,41	88,30,00	72,92,26
021. सड़कें एवं पुल दत्तमत प्रभारित	32,43,99,32 41,61	54,74,95,38 ..	30,89,70,77 40,67
022. क्षेत्र का विकास दत्तमत प्रभारित	23,09,78 4	2,14,36,16 17,22	20,82,84 ..
023. श्रम तथा रोजगार दत्तमत प्रभारित	14,09,03,13 4	26,00,03 ..	10,82,41,01 ..
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति दत्तमत प्रभारित	3,68,06,01,10 35,30,21	11,57,46,34 ..	3,43,91,65,82 5,18,41
025. कोषागार व लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	3,93,86,00 10,02	5,05,00,02 ..	3,64,46,31 15
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई दत्तमत प्रभारित	1,18,98,70,22 73,39	12,19,30,60 ..	1,14,09,66,41 43,73
027. पेय जल योजना दत्तमत प्रभारित	44,08,40,52 85,43	43,61,15,93 ..	43,11,55,72 75,66

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिव्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	74,14
..	1
7,80,96,05	79,32,53	3,42,85,62
..	20
42,62,16	10,34,15	45,67,84
44,67,37,30	1,54,28,55	10,07,58,08
..	94
1,38,69,33	2,26,94	75,66,83
17,18	4	4
13,94,95	3,26,62,12	12,05,08
..	4
4,17,62,47	24,14,35,28	7,39,83,87
..	30,11,80
5,05,00,00	29,39,69	2
..	9,87
11,57,81,97	4,89,03,81	61,48,63
..	29,66
34,71,04,82	96,84,80	8,90,11,11
..	9,77

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
(₹ सहस्र में)			
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
दत्तमत	11,19,85,57	6,80,00,00	8,28,59,92
प्रभारित	1
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास			
दत्तमत	60,34,41,02	34,82,84,15	51,54,35,49
प्रभारित	3	6,21,52	..
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास			
दत्तमत	1,77,33,95,03	38,50,81,54	1,58,42,05,85
प्रभारित	4
031. पुनर्वास एवं सहायता
032. नागरिक आपूर्ति			
दत्तमत	6,91,93,88	3,10,11	6,65,39,46
प्रभारित	3,89	..	3,87
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
दत्तमत	1,12,65,35,88	2,91,88,78	1,09,47,21,99
प्रभारित	6,19	..	5,93
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत			
दत्तमत	49,95,81,38	..	39,07,64,81
प्रभारित	1
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत	4,73,56,32	3,18,70,64	4,32,59,78
प्रभारित	25	..	25
036. सहकारिता			
दत्तमत	31,71,79,00	51,78,00	31,42,72,52
प्रभारित	1

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
6,80,00,00	2,91,25,65
..	1
31,14,95,18	8,80,05,53	3,67,88,97
6,21,51	3	1
31,82,95,36	18,91,89,18	6,67,86,18
..	4
..
19,55	26,54,42	2,90,56
..	2
1,86,75,26	3,18,13,89	1,05,13,52
..	26
..	10,88,16,57
..	1
3,13,53,53	40,96,54	5,17,11
..
51,68,19	29,06,48	9,81
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
(₹ सहस्र में)			
037. कृषि			
दत्तमत	41,56,17,65	2,70,43,46	37,29,05,52
प्रभारित	1,52	..	1,50
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण			
दत्तमत	1,43,93,85	1,74,99	1,41,12,45
प्रभारित	25,92	..	25,90
039. पशुपालन एवं चिकित्सा			
दत्तमत	17,79,09,18	53,81,05	16,83,55,76
प्रभारित	1,02
040. राजकीय उपक्रम			
दत्तमत	1,74,99	1	1,64,95
प्रभारित	1
041. सामुदायिक विकास			
दत्तमत	92,41,37,46	13,32,32	72,88,16,87
प्रभारित	1
042. उद्योग			
दत्तमत	4,83,60,03	4,66,00	3,42,27,62
प्रभारित	3
043. खनिज			
दत्तमत	2,12,96,92	3,19,62,71	1,94,90,34
प्रभारित	3,88	..	1,83
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण			
दत्तमत	31,10,26	3,83,50	29,36,43
प्रभारित	1
045. राज्य कर्मचारियों को ऋण			
दत्तमत

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिव्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
2,40,65,40	4,27,12,13	29,78,06
..	2
59,65	2,81,40	1,15,34
..	2
35,48,00	95,53,42	18,33,05
..	1,02
..	10,04	1
..	1
50,00	19,53,20,59	12,82,32
..	1
4,13,49	1,41,32,41	52,51
..	3
3,18,14,17	18,06,58	1,48,54
..	2,05
..	1,73,83	3,83,50
..	1
..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
046. सिंचाई			
दत्तमत	25,31,86,04	27,14,67,58	21,83,17,71
प्रभारित	13,48,52	37,32	13,46,94
047. पर्यटन			
दत्तमत	65,02,05	1,45,09,12	40,70,76
प्रभारित	1
048. विद्युत			
दत्तमत	1,37,20,44,30	11,06,84,29	1,36,28,75,05
049. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन			
दत्तमत	4,62	..	3,71
050. ग्रामीण रोजगार			
दत्तमत	37,70,98,10	9,70	28,43,03,27
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना			
दत्तमत	2,17,81,69,35	48,64,21,51	1,95,62,67,50
प्रभारित	1
दत्तमत	20,40,31,73,29	3,33,86,48,55	18,61,92,13,33 @
योग			
प्रभारित	2,86,69,36,01	6,47,75,37,44	2,83,60,19,82 @
कुल योग	23,27,01,09,30	9,81,61,85,99	21,45,52,33,15

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) ₹ 02 हजार का अन्तर है।

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
24,78,23,11	3,48,68,33	2,36,44,47
36,02	1,58	1,30
1,10,42,03	24,31,29	34,67,09
..	1
9,46,28,29	91,69,25	1,60,56,00
..	91
9,70	9,27,94,83
40,28,64,82	22,19,01,85	8,35,56,69
..	1
2,75,46,86,72 @	1,78,39,59,96	58,39,61,83
5,61,34,91,85 *	3,09,16,19	86,40,45,59
8,36,81,78,57	1,81,48,76,15	1,44,80,07,42

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) ₹ 03 हजार का अन्तर है।

* पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (-) ₹ 01 हजार का अन्तर है।

2021-22 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)

अनुदान पर आधिक्य का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
-----शून्य-----			

2021-22 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2021-22 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

	दत्तमत		
	राजस्व 1	पूंजी 2	योग 3
	(₹ सहस्र में)		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	18,61,92,13,31	2,75,46,86,69	21,37,39,00,00
घटाइये : वसूलियों का योग	47,61,48,70	22,80,77,02	70,42,25,72
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	18,14,30,64,61	2,52,66,09,67	20,66,96,74,28
	प्रभारित		
	राजस्व 4	पूंजी 5	योग 6
	(₹ सहस्र में)		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,83,60,19,80	5,61,34,91,86	8,44,95,11,66
घटाइये : वसूलियों का योग	83,54	..	83,54
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	2,83,59,36,26	5,61,34,91,86	8,44,94,28,12

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 474-477 पर दिया गया है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

राजस्थान सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खतों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही राजस्थान सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे राजस्थान सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खतों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए राजस्थान के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत राजस्थान के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और राजस्थान सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 06 दिसम्बर 2022

स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक
(समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	18,24,58	18,24,58	17,20,85	- 1,03,73
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,03,74

ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2049. ब्याज अदायगियां

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	2,83,60,37,83		
अनुपूरक	53	2,83,60,38,36	2,81,01,27,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			- 2,59,11,07
टिप्पणी तथा टीका :			
राजस्व			2,58,22,54

1. ₹ 25,911.07 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 88.53 लाख अन्अभ्यर्पित रही ।

लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	43,30,62			
अनुपूरक	6,83,38	50,14,00	47,55,65	- 2,58,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,58,16

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

1. ₹ 258.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 683.38 लाख का विनियोजन अत्यधिक था।

लोक ऋण (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	1,75,89,25,22			
अनुपूरक	4,71,79,36,16	6,47,68,61,38	5,61,28,17,14	- 86,40,44,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				86,40,44,23

टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ :

पूंजी

- ₹ 8,64,044.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक से वर्ष के दौरान लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के पुनर्भुगतान हेतु द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 47,17,936.16 लाख का विनियोजन अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण				
110. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम				
(02) विशेष आहरण सीमा				
अ.	46,30,000.00			
पु.	- 8,67,043.00	37,62,957.00	37,62,957.00	..

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 46,30,000.00 लाख का प्रावधान कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण राज्य के राजस्व में भारी कमी आने के कारण राज्य के प्रतिदिन के व्यय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये विशेष आहरण सीमा के पुनर्भुगतान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 8,67,043.00 लाख का प्रावधान माह फरवरी और मार्च 2022 में भारत सरकार से अनुदान और केन्द्रीय करों से राज्यांश की अतिरिक्त प्राप्ति के कारण भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष आहरण सीमा की कम आवश्यकता होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 8,59,337.82 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,705.18 लाख) किया गया।

लोक ऋण - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-18 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[14] राजस्थान जल क्षेत्र लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट परियोजना (जाइका)			
मू.	1,173.58	4,185.20	4,185.20
पु.	3,011.62		..

₹ 1,173.58 लाख का प्रावधान ऋण की केवल एक छःमाही किश्त के भुगतान हेतु अनुमानित था जिसकी मोरेटोरियम अवधि 20 मार्च 2022 को समाप्त हुई। यद्यपि, भारत सरकार ने एक साथ पूरे वर्ष की किश्त का ऋण वसूल कर लिया परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 को ₹ 3,011.62 लाख की अतिरिक्त निधियां पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 001 – राज्य विधान मण्डल
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	96,61,25	96,73,36	85,10,43	– 11,62,93
अनुपूरक	12,11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				11,61,56
प्रभारित				
मूल	57,01	57,01	20,91	– 36,10
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				36,10

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 12.11 लाख का प्रावधान सलाहकार की फीस के भुगतान हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
101. विधान सभा				
(01) विधान सभा –प्रतिबद्ध				
मू.	4,786.94	4,350.95	4,350.94	– 0.01
पु.	– 435.99			

₹ 435.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विधान सभा के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय हुआ क्योंकि (क) मंत्रीमण्डल के विस्तार के पश्चात मंत्रीमण्डल में कुछ नये सदस्यों के जुड़ने के परिणामस्वरूप इन सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान अन्य लेखा मद से होने तथा (ख) तीन माननीय विधायकों की मृत्यु होने तथा (ii) कोविड काल में सदस्यों द्वारा मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ कम उठाने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 001 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
101. विधान सभा			
(04) भूतपूर्व सदस्यों को निःशुल्क यात्रा सुविधा-प्रतिबद्ध			
मू . 300.00	99.01	99.01	..
पु . - 200.99			

31 मार्च 2022 को ₹ 200.99 लाख का प्रावधान कोविड काल में भूतपूर्व सदस्यों द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा का कम लाभ उठाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल
103. विधान मण्डल सचिवालय
(01) विधान मण्डल
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू . 4,410.11	3,883.95	3,882.59	- 1.36
अ. 12.11			
पु . - 538.27			

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा सलाहकार की फीस के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 12.11 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 538.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने, (ii) कोविड महामारी के कारण सेमिनार/प्रशिक्षण आदि का आयोजन कम होने तथा (iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निःशुल्क सर्वर की स्थापना के परिणामस्वरूप कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 002 – मंत्रिपरिषद् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2013. मंत्रिपरिषद्

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	15,80,02	15,80,02	12,31,88	- 3,48,14
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				3,46,96

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2013. मंत्रिपरिषद्				
101. मंत्रियों और उप-मंत्रियों का वेतन				
(01) संस्थापन व्यय				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	550.00	408.70	407.70	- 1.00
पु.	- 141.30			

31 मार्च 2022 को ₹ 141.30 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 123.08 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 18.22 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

104. मनोरंजन और सत्कार भत्ते

(01) मंत्री परिषद् पर मनोरंजन और सत्कार भत्ते

[01] मंत्री परिषद् पर मनोरंजन और सत्कार भत्ते-प्रतिबद्ध

मू.	400.00	329.25	329.24	- 0.01
पु.	- 70.75			

31 मार्च 2022 को ₹ 70.75 लाख का प्रावधान सत्कार भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

800. अन्य व्यय

(04) मोटर कारों का संधारण और परिचालन -प्रतिबद्ध

मू.	400.00	299.91	299.91	..
पु.	- 100.09			

31 मार्च 2022 को ₹ 100.09 लाख का प्रावधान वाहनों के संधारण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 003 - सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2052. सचिवालय - सामान्य सेवाएं,
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
2251. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं और
3451. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,09,17,77	3,09,17,77	2,87,70,05	- 21,47,72
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				21,34,73
प्रभारित				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,147.72 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 12.99 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 6,134.53 लाख, ₹ 2,192.95 लाख, ₹ 5,435.10 लाख, ₹ 3,342.53 लाख तथा ₹ 2,147.72 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 6.95 प्रतिशत से 17.90 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) मंत्रिमंडल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन, नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)			
[02] सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	600.01	405.75	404.70
पु.	- 194.26		
			- 1.05

31 मार्च 2022 को ₹ 194.26 लाख का प्रावधान कोविड महामारी को देखते हुए स्वतन्त्रता दिवस तथा गणतन्त्र दिवस का आयोजन सीमित स्तर पर करने के कारण त्यौहारों तथा प्रदर्शनियों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 190.04 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4.22 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 003 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(02) चिकित्सा, जन स्वास्थ्य विभाग एवं आयुर्वेद -प्रतिबद्ध			
मू.	1,180.50		
		1,024.02	1,024.03
पु.	- 156.48		+ 0.01
₹ 156.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
[10] राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी-प्रतिबद्ध			
मू.	980.70		
		848.04	848.04
पु.	- 132.66		..
₹ 1,32.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 004 – जिला प्रशासन
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2053. जिला प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	6,35,06,66	6,59,51,33	5,73,58,24	- 85,93,09
अनुपूरक	24,44,67			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				84,94,21
प्रभारित				
मूल	4	1,76	1,17	- 59
अनुपूरक	1,72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				59

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा बड़े हुए मंहगाई भत्ते के भुगतान तथा सेना भर्ती रैली के बकाया के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,444.67 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था ।
2. ₹ 8,593.09 लाख की अन्तिम बचत में से राशि ₹ 98.88 लाख अनुभ्यर्पित रही ।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन				
093. जिला स्थापनाएँ				
(01) जिलाधीश कार्यालय				
मू.	379.69	214.11	214.11	..
पु.	- 165.58			

31 मार्च 2022 को ₹ 165.58 लाख का प्रावधान कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 004 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन			
093. जिला स्थापनाएँ			
(03) जिलाधीश कार्यालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	14,857.63		
अ.	1,295.00	13,695.27	13,650.09
पु.	- 2,457.36		- 45.18

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा बड़े हुए मंहगाई भत्ते के भुगतान तथा सेना भर्ती रैली के बकाया के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,295.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।

₹ 2,457.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 2,512 स्वीकृत पदों में से 725 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

₹ 45.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

094. अन्य स्थापनाएं

(02) तहसील कार्यालय-प्रतिबद्ध

मू.	33,306.68			
अ.	936.70	29,517.64	29,482.08	- 35.56
पु.	- 4,725.74			

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा बड़े हुए मंहगाई भत्ते के भुगतान की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 936.70 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।

₹ 4,725.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कोषालयों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवसों में बिलों को पारित नहीं करने, (ii) बड़े हुये मंहगाई भत्ते का अनुमानों से कम भुगतान, (iii) 37 वाहनों में से 11 वाहनों की क्रय प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने तथा (iv) सभी जिलों में रेक्सको के माध्यम से ड्राइवरों की सेवाओं की अनुपलब्धता, ड्राइवरों की नियुक्ति में देरी तथा रेक्सको द्वारा बिलों को समय पर प्रस्तुत नहीं करने को आरोपित की गयी ।

₹ 35.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

800. अन्य व्यय

(03) सुशासन व्यवस्था-प्रतिबद्ध

मू.	675.79			
अ.	-	572.02	569.81	- 2.21
पु.	- 103.77			

₹ 103.77 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा बड़े हुए मंहगाई भत्ते के अनुमानों से कम भुगतान को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 005 – प्रशासनिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2051. लोक सेवा आयोग,
 2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं,
 2062. सतर्कता और
 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं
 पूंजी – 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,66,51,73	3,31,31,46	2,94,74,65	– 36,56,81
अनुपूरक	64,79,73			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				34,92,45
प्रभारित				
मूल	6	6	..	– 6
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				6

पूंजी

दत्तमत				
मूल	1	11,56,00	..	– 11,56.00
अनुपूरक	11,55,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				11,56.00

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 3,656.81 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 6,479.73 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 3,656.81 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 164.36 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 2,185.89 लाख, ₹ 2,710.14 लाख, ₹ 4,284.12 लाख, ₹ 5,997.09 लाख तथा ₹ 3,656.81 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 8.32 प्रतिशत से 21.99 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 005 – (क्रमशः)

4. बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[02] फर्म प्रशिक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	629.10	212.04	212.01
पु.	- 417.06		- 0.03

31 मार्च 2022 को ₹ 417.06 लाख का प्रावधान (i) वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय हुआ क्योंकि (क) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सेवाएं 2020 के नये बैच का बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम देरी से शुरू होने तथा (ख) गत बैच की तुलना में कम संख्या में अधिकारियों का बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए ऑन-लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने के परिणामस्वरूप खाने, आवास तथा अन्य सुविधाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

003. प्रशिक्षण
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
[08] संचालन एवं प्रशासन-प्रतिबद्ध

मू.	2,145.39	1,930.50	1,926.19	- 4.31
पु.	- 214.89			

₹ 214.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (क) 256 स्वीकृत पदों में से 87 पदों के रिक्त रहने, (ख) अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने तथा (ग) बड़े हुये महंगाई भत्ते का देरी से भुगतान होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई ।

₹ 4.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव
(05) किराए पर वायुयान/हेलिकॉप्टर-प्रतिबद्ध

मू.	2,000.00	719.04	719.04	..
पु.	- 1,280.96			

31 मार्च 2022 को ₹ 1,280.96 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा चार्टर्ड विमान का उपयोग नहीं करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।

अनुदान संख्या 005 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव			
(06) नागरिक विमानन निदेशालय			
[01] नागरिक विमानन निदेशालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,134.78	360.82	360.81
पु.	- 773.96		- 0.01
₹ 773.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्य सरकार द्वारा राजकीय बेड़े में उपलब्ध वायुयान ('जहाँ है जैसी है') की स्थिति के आधार पर वायुयानों की नीलामी का निर्णय लेने के उपरान्त राजकीय वायुयानों के संयंत्रों तथा उपकरणों पर कम व्यय होने, (ii) 2021-22 के दौरान राजकीय वायुयानों की नीलामी के निर्णय के पश्चात पायलट्स का नियोजन नहीं होने (iii) निदेशालय के 39 स्वीकृत पदों में से 32 पदों के रिक्त रहने, (iv) राजकीय बेड़े के वायुयानों/हैलीकॉप्टर्स के संचालन नहीं होने के कारण किराया दर तथा करों पर कम व्यय होने तथा (v) किशनगढ़ एयरपोर्ट के विद्युत प्रभार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव			
(07) क्षेत्रीय उड़ान सम्पर्क योजना			
[01] सेवा प्रदाताओं को सहायता			
मू.	1,500.00	697.09	697.09
पु.	- 802.91		..
31 मार्च 2022 को ₹ 802.91 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए हवाई यात्राओं पर रोक लगने के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय उड़ान कनेक्टिविटी योजना के अन्तर्गत उड़ान कम आयोजित होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(01) राजकीय अतिथियों पर व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	400.00	246.47	245.25
पु.	- 153.53		- 1.22
31 मार्च 2022 को ₹ 153.53 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राजकीय विश्रान्ति गृहों में राजकीय अतिथियों के कम व्यस्तता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(10) राजस्थान भवन, नई दिल्ली			
[01] राजस्थान भवन, नई दिल्ली -प्रतिबद्ध			
मू.	776.35	616.97	615.76
पु.	- 159.38		- 1.21
₹ 159.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, कार्यालय व्यय और मैस पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 005 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(12) चाणक्यपुरी, नई दिल्ली गेस्ट हाउस			
[01] चाणक्यपुरी, नई दिल्ली गेस्ट हाउस -प्रतिबद्ध			
मू.	311.70		
पु.	- 128.10		
		183.60	177.38
			- 6.22

31 मार्च 2022 को ₹ 128.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

₹ 6.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूंजी

दत्तमत

1. मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा हवाई पट्टियों पर तकनीकी कार्य पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,155.99 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2022 को सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(01) नागरिक विमानन निदेशालय			
[01] हेलीकोप्टर/वायुयान सम्बन्धी व्यय			
मू.	0.01		
अ.	1,155.99
पु.	- 1,156.00		

मार्च 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा हवाई पट्टियों पर तकनीकी कार्य पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,155.99 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2022 को सम्पूर्ण प्रावधान पांच हवाई पट्टियों पर तकनीकी कार्यों के भुगतान हेतु प्रशासनिक विभाग से निर्देश प्राप्त नहीं होने तथा मैसर्स संगीता विमानन को फर्म की परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने से भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 006 – न्याय प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	12,37,85,39			
अनुपूरक	1	12,37,85,40	11,58,56,87	– 79,28,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				79,02,56
प्रभारित				
मूल	1,74,71,50			
अनुपूरक	..	1,74,71,50	1,61,51,55	– 13,19,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				12,60,01
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 7,928.53 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 25.97 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2014. न्याय प्रशासन				
105. सिविल और सेशन न्यायालय				
(03). मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय-प्रतिबद्ध				
मू.	20,224.07			
पु.	– 3,261.71	16,962.36	16,960.05	– 2.31

₹ 3,261.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य संवर्गों में पदों के रिक्त रहने, (ii) न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. सुविधा का कम उपभोग करने तथा (iii) न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अधिनस्थ न्यायालयों में लिपिक ग्रेड-II, चालकों तथा संवर्ग “घ” कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 006 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(09) अनुसूचित जाति और जन जाति (अत्याचार निवारण) के लिए विशेष न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,047.91		
पु.	- 288.06		
		1,759.85	1,758.83
			- 1.02
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(15) एन. आई. एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,810.97		
पु.	- 401.45		
		3,409.52	3,409.44
			- 0.08
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(17) ग्राम न्यायालय			
मू.	1,337.12		
पु.	- 205.09		
		1,132.03	1,131.97
			- 0.06
117. परिवार न्यायालय			
(01) विधि विभाग के माध्यम द्वारा-प्रतिबद्ध			
मू.	3,916.32		
पु.	- 623.57		
		3,292.75	3,291.50
			- 1.25
800. अन्य व्यय			
(03) समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस) के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड			
[01] राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	868.76		
पु.	- 109.82		
		758.94	758.93
			- 0.01

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,627.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों एवं अन्य संवर्गों में पदों के रिक्त रहने तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. सुविधा का कम उपभोग करने को आरोपित की गई।

प्रभारित

1. ₹ 1,319.95 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 59.94 लाख अनअभ्यर्पित रही ।

अनुदान संख्या 007 – निर्वाचन
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2015. निर्वाचन और
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,85,59,47			
अनुपूरक	2,61,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		1,88,21,25	1,79,27,19	- 8,94,06
प्रभारित				
मूल	2			
अनुपूरक	77,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		77,58	77,57	- 1

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 261.78 लाख का प्रावधान विधान सभा के उपचुनाव पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 894.06 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 75.48 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
शीर्ष				
2015. निर्वाचन				
102. निर्वाचन अधिकारी				
(01) निर्वाचन विभाग				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	6,156.19			
पु.	- 669.56			
		5,486.63	5,482.72	- 3.91

₹ 669.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 007 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय			
[02] महानिर्वाचन-प्रतिबद्ध			
मू.	6,500.00		
		5,518.15	5,468.50
पु.	- 981.85		- 49.65

31 मार्च 2022 को ₹ 981.85 लाख का प्रावधान महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा राज्य के चुनाव आयोग को 2019-20 में हुए पंचायती राज चुनावों के पूरा होने के बाद समस्त ईवीएम मशीन वापिस नहीं करने से पंचायती राज के आम चुनाव पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। इन राज्यों से ऋण के आधार पर ईवीएम मशीनें मांगी गई थी लेकिन कोविड महामारी और अदालती मामलों के कारण, पंचायत/स्थानीय निकायों में चुनाव लगातार आयोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केवल कुछ ईवीएम मशीनें अन्य राज्य चुनाव आयोगों को उनके व्यय पर वापिस कर दी गईं। इसके अतिरिक्त, मार्च, 2022 के अंतिम दिनों में कोषालयों द्वारा आई.एफ.एम.एस. में बिलों का पारित नहीं होना भी बचत का कारण था।

₹ 49.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
106. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
(01) चुनाव सम्बन्धी प्रभार-प्रतिबद्ध			
मू.	150.00		
अ.	261.77	987.77	995.13
पु.	576.00		+ 7.36
108. मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना			
(01) चुनाव सम्बन्धी प्रभार-प्रतिबद्ध			
मू.	80.00		
		245.60	242.70
पु.	165.60		- 2.90

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 741.60 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

शीर्ष "2015-106(01)" के अंतर्गत ₹ 7.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 008 - राजस्व

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2029. भू-राजस्व और
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	9,17,93,63			
अनुपूरक	4,34,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		9,22,28,06	7,93,48,09	- 1,28,79,97
प्रभारित				
मूल	4			
अनुपूरक	5,08			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		5,12	5,09	- 3
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				
राजस्व				
दत्तमत				

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा बड़े हुए मंहगाई भत्ते के बकाया भुगतान के व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 434.43 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 12,879.97 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 89.13 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।
3. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 8,102.85 लाख, ₹ 8,235.98 लाख, ₹ 12,435.91 लाख, ₹ 14,313.32 लाख तथा ₹ 12,879.97 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.88 प्रतिशत से 16.18 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व				
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य				
(02) जिला कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध				
मू.	3,376.89			
पु.	- 957.51			
		2,419.38	2,419.32	- 0.06

31 मार्च 2022 को ₹ 957.51 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों एवं यात्राओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 008 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
103. भू-अभिलेख			
(02) जिला व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	82,726.92		
अ.	434.43	72,099.13	72,015.32
पु.	- 11,062.22		- 83.81

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा बढे हुए मंहगाई भत्ते के बकाया भुगतान के व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 434.43 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

₹ 11,062.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वर्ष के दौरान 5,000 पटवारियों की भर्ती नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय तथा बढे हुए मंहगाई भत्ते पर अनुमानों से कम व्यय, (ii) कोविड महामारी को देखते हुए आधिकारिक यात्राओं में कमी तथा (iii) कार्यालय व्यय पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

₹ 83.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं

099. राजस्व बोर्ड

(01) मण्डल और उसकी स्थापना-प्रतिबद्ध

मू.	2,977.14			
		2,426.29	2,423.88	- 2.41
पु.	- 550.85			

₹ 550.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 509 स्वीकृत पदों में से 254 पदों के रिक्त रहने तथा बोर्ड के माननीय सदस्यों के रिक्त पदों को देखते हुए कम वाहनों को किराये पर लेने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 009 – वन
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी
पूंजी – 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	10,00,91,80			
अनुपूरक	1	10,00,91,81	8,11,83,50	- 1,89,08,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,84,97,74
प्रभारित				
मूल	50,00			
अनुपूरक	17,26	67,26	28,61	- 38,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				38,50
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,10,05,48			
अनुपूरक	62,49,18	2,72,54,66	2,46,16,95	- 26,37,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				24,48,68

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 18,908.31 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 410.57 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 8,645.74 लाख, ₹ 10,471.32 लाख, ₹ 9,570.31 लाख, ₹ 14,289.31 लाख तथा ₹ 18,908.31 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 11.43 प्रतिशत से 18.89 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सामान्य निदेशन			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,372.07		
पु.	- 623.62		
	2,748.45	2,740.75	- 7.70

₹ 623.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 180 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।

₹ 7.70 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	53,412.91		
पु.	- 5,756.00		
	47,656.91	47,519.12	- 137.79

₹ 5,756.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 3,026 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) प्रारम्भिक अनुमान से कम संख्या में कार्यभारित कर्मचारियों को लगाने के परिणामस्वरूप मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 137.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(12) ईंधन तथा लकड़ी कोयला व्यापार योजना-प्रतिबद्ध			
मू.	1,190.62		
पु.	- 729.83		
	460.79	455.68	- 5.11

₹ 729.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा अधीनस्थ विभागीय कार्य खण्ड, बीकानेर एवं स्टेज-II बीकानेर के बन्द होने के कारण वन लकड़ी के परिवहन, संग्रह तथा वितरण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

₹ 5.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) पंचायतीराज संस्थानों में स्थानान्तरित कर्मचारियों का संस्थापन व्यय			
[01] जिला परिषदों को अनुदान (सामान्य)			
मू.	1,565.40	707.33	707.33
पु.	- 858.07		..

31 मार्च 2022 को ₹ 858.07 लाख का प्रावधान जिला परिषदों में कार्यरत वन कार्मिकों के वेतन के लिए अनुदान आवश्यकतानुसार जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110. वन्य जीव परिरक्षण

[01] बाघ परियोजना,रणथम्भोर

मू.	5,315.08	4,241.10	4,211.88	- 29.22
पु.	- 1,073.98			

₹ 1,073.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सिंगल नोडल एजेंसी का बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया में देरी के कारण भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना की द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने तथा (ii) गाँवों के पुर्नवास हेतु भेजे गये प्रस्ताव पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी ।

₹ 29.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110. वन्य जीव परिरक्षण

(11) वन्यजीव क्षेत्रों का संधारण

[01] राज्य वन्यजीव संरक्षण-प्रतिबद्ध

मू.	6,972.62	5,511.66	5,457.86	- 53.80
पु.	- 1,460.96			

₹ 1,460.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के कारण पदों के रिक्त रहने, अधीनस्थ कार्यालयों में पशु चिकित्सकों तथा पशुधन सहायक के पद रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) प्रारम्भिक अनुमान से कम संख्या में कार्यभारित कर्मचारियों को लगाने के परिणामस्वरूप मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

₹ 53.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास

103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)

(01) प्रतिकरात्मक वनरोपण

[01] प्रतिकरात्मक वनरोपण के तहत व्यय

मू.	3,129.85	2,119.91	2,102.83	- 17.08
पु.	- 1,009.94			

31 मार्च 2022 को ₹ 1,009.94 लाख का प्रावधान वृक्षारोपण कार्य तथा औषधीय वृक्षारोपण के संदर्भ में अग्रिम राशि के कम भुगतान, बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु कम आवश्यकता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 17.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(03) समेकित वन्य जीव प्रबन्धन योजना			
[01] समेकित वन्य जीवन प्रबन्धन योजना के तहत व्यय			
मू.	800.00		
पु.	- 230.41		
	569.59	557.30	- 12.29
31 मार्च 2022 को ₹ 230.41 लाख का प्रावधान बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए कम आवश्यकता तथा संविदा में कम दर प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 12.29 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू.	16,327.27		
पु.	- 5,947.22		
	10,380.05	10,322.14	- 57.91
31 मार्च 2022 को ₹ 5,947.22 लाख का प्रावधान (i) दीवारों के कम निर्माण, (ii) कम वृक्षारोपण कार्य, (iii) सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य का कम निष्पादन, (iv) चारदीवारी पिलर कार्यों का कम निष्पादन, (v) कोविड महामारी को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम आयोजन तथा (vi) पीने योग्य पानी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,983.21 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 964.01 लाख) किया गया।			
₹ 57.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(05) प्रशासनिक एवं संस्थापन व्यय			
[01] प्रशासनिक एवं संस्थापन व्यय			
मू.	320.01		
पु.	- 297.89		
	22.12	22.12	..
31 मार्च 2022 को ₹ 297.89 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(06) अन्य			
[01] अन्य के तहत व्यय			
मू.	555.00		
पु.	- 508.17		
	46.83	46.71	- 0.12
31 मार्च 2022 को ₹ 508.17 लाख का प्रावधान ब्याज का भुगतान नहीं होने तथा कमेटी संचालन कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 009 – (समाप्त)

पूंजी

दत्तमत

1. ₹ 2,637.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में लिया गया ₹ 6,249.18 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
2. ₹ 2,637.71 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 189.03 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 1,299.00 लाख, ₹ 4,003.16 लाख, ₹ 1,862.45 लाख, ₹ 1,956.00 लाख, तथा ₹ 2,637.71 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 9.68 प्रतिशत से 38.29 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	---------------------------------	-------------------

4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

01. वानिकी

101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

(12). एकीकृत वन सुरक्षा योजना

[01]. सुरक्षा एवं विकास कार्य

मू.	333.30			
-----	--------	--	--	--

174.13

174.13

..

पु.	- 159.17			
-----	----------	--	--	--

31 मार्च 2022 को ₹ 159.17 लाख का प्रावधान भारत सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. वानिकी

101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

(16) राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता विकास परियोजना (आर.एफ.बी.डी.पी.)

[01] बाह्य सहायता (ए.एफ.डी.)

अ.	100.00			
----	--------	--	--	--

..

19.92

+ 19.92

पु.	- 100.00			
-----	----------	--	--	--

31 मार्च 2022 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा बिना प्रावधान के ₹ 19.92 लाख के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110. वन्य जीव

(01) वन क्षेत्रों का संधारण

मू.	1,232.94			
-----	----------	--	--	--

अ.	552.56			
----	--------	--	--	--

1,132.41

1,069.53

- 62.88

पु.	- 653.09			
-----	----------	--	--	--

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वनीकरण कार्य हेतु लिया गया ₹ 552.56 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 653.09 लाख का प्रावधान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का सिंगल नोडल एजेन्सी बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया में देरी के कारण भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना की द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 62.88 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 010 – विविध सामान्य सेवाएं
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2075. विविध सामान्य सेवाएं

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	7,39,44,13		
अनुपूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	7,39,44,14	5,60,13,32	- 1,79,30,82
			1,79,31,07

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 17,930.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 17,931.07 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2075. विविध सामान्य सेवाएं			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(01) मद 8235-117 गारंटी मोचन निधि को अन्तरण-प्रतिबद्ध			
मू.	73,500.00		
पु.	- 18,368.23	55,131.77	55,131.77
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 18,368.23 लाख का प्रावधान जनवरी से दिसम्बर, 2021 के दौरान प्राप्त वास्तविक गारंटी शुल्क के अनुसार गारंटी मोचन निधि को अन्तरण करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 17,820.30 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 547.93 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 010 - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2075. विविध सामान्य सेवाएं			
104. विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार			
(01) सैन्य कर्मचारी वर्ग को वीरता के लिए पारितोषिक-प्रतिबद्ध			
मू.	250.00		
		795.84	
पु.	545.84	795.84	..

₹ 250.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त वीरता पुरस्कार के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सैन्य कर्मियों को पारितोषिक देने हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात, 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 545.84 लाख की अतिरिक्त निधियां ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 011 - विविध सामाजिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण
 पूंजी - 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान
 पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	55,72,62		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		55,72,62	36,49,93 - 19,22,69
प्रभारित			
मूल	3		
अनुपूरक	2,29		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		2,32	2,31 - 1
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	4,80,01		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		4,80,01	3,06,84 - 1,73,17

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,922.69 लाख की अंतिम बचत में से, राशि ₹ 12.89 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 2,894.92 लाख, ₹ 1,216.97 लाख, ₹ 1,543.99 लाख, ₹ 1,565.27 लाख तथा ₹ 1,922.69 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 17.95 प्रतिशत से 34.50 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
102. धार्मिक तथा पूर्ण अक्षयनिधि अधिनियमों का प्रशासन			
(01) देवस्थान तथा धर्मपुरा-प्रतिबद्ध			
मू.	1,971.39	1,712.91	1,703.06
पु.	- 258.48		
			- 9.85

₹ 258.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 9.85 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

800. अन्य व्यय
(02) तीर्थ यात्रा योजना
[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

मू.	830.00	17.79	17.79	..
पु.	- 812.21			

31 मार्च 2022 को ₹ 812.21 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 712.98 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 99.23 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
01. भारतीय सर्वेक्षण
800. अन्य व्यय
(01) विज्ञान एवं तकनीक

मू.	360.65	288.85	288.84	- 0.01
पु.	- 71.80			

₹ 71.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक
पुनरूद् भवन
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय
(01) पर्यावरण सुधार

मू.	334.02	194.01	193.44	- 0.57
पु.	- 140.01			

₹ 140.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) औद्योगिक इकाईयों का पिछले तीन वर्षों से *राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार* वितरण हेतु चयन नहीं होना, (ii) *राज्य पर्यावरण योजना* के लिए भुगतान जारी नहीं करना, (iii) 17 जिलों को छोड़कर जिलों द्वारा *जिला पर्यावरण योजना* तैयार करने पर व्यय हेतु निधियों की माँग नहीं करने, यद्यपि, योजना सभी जिलों द्वारा तैयार की गई थी तथा (iv) *राष्ट्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान* (नीरी) द्वारा सांभर झील पर अध्ययन रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं देने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूद् भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(08) आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंध			
[01] आर्द्र भूमि प्राधिकरण			
मू.	250.00		
		76.07	75.87
			- 0.20
पु.	- 173.93		

31 मार्च 2022 को ₹ 173.93 लाख का प्रावधान (i) कोविड महामारी को देखते हुए आर्द्र भूमि प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन का आयोजन नहीं होने तथा (ii) कोविड महामारी को देखते हुए आर्द्र भूमि का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य निष्पादित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रियों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से निर्माण कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	249.56		
		84.69	84.69
			..
पु.	- 164.87		

31 मार्च 2022 को ₹ 164.87 लाख का प्रावधान भवनों/सडकों एवं अन्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 161.96 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 2.91 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 011 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) विज्ञान एवं तकनीक			
मू.	158.01		
		40.21	40.21
पु.	- 117.80		..

₹ 117.80 लाख की प्रत्याशित बचत भवनों/सडकों एवं अन्य निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) तीर्थ यात्रियों के लिए विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य			
मू.	40.00		
		170.93	170.93
पु.	130.93		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 130.93 लाख की अतिरिक्त निधियां भवनों/सडकों एवं अन्य निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

अनुदान संख्या 012 - अन्य कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण,
2041. वाहन कर,
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क और
3055. सड़क परिवहन
पूंजी - 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	8,67,62,29		
अनुपूरक	5,42,13,18	14,09,75,47	12,03,70,92 - 2,06,04,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			2,34,31,42
प्रभारित			
मूल	4		
अनुपूरक	23,08	23,12	23,09 - 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			3
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	1,09,45,07		
अनुपूरक	4,00,00,01	5,09,45,08	4,34,51,45 - 74,93,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			74,93,63

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 20,604.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 54,213.18 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 20,604.55 लाख की अंतिम बचत के सन्दर्भ में, ₹ 23,431.42 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 6,951.68 लाख, ₹ 12,882.14 लाख, ₹ 9,780.88 लाख, ₹ 15,218.80 लाख तथा ₹ 20,604.55 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.17 प्रतिशत से 17.68 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
01. स्टाम्प- न्यायिक			
101. स्टाम्पों की लागत			
(01) स्टाम्प मुद्रण			
[01] ज्यूडिशियल स्टाम्प का मुद्रण -प्रतिबद्ध			
मू .	300.00		
पु .	- 241.30	58.70	58.70
31 मार्च 2022 को ₹ 241.30 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान न्यायिक स्टाम्पों की कम मांग के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

103. संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क

(03) जोड़िये-मद 2040-001(05) एवं 101-(03) से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय -प्रतिबद्ध

मू .	1,455.02			
पु .	- 491.73	963.29	963.37	+ 0.08

31 मार्च 2022 को ₹ 491.73 लाख का प्रावधान बिक्री कर, बिजली कर, मनोरंजन कर एवं जीएसटी की राजस्व प्राप्ति के संग्रह के अनुपात में किये गये व्यय के अनुसार संयुक्त स्थापना के आनुपातिक व्यय का समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

3055. सड़क परिवहन

800. अन्य व्यय

(08) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि

[01] परिवहन विभाग के माध्यम से

मू .	14,137.97			
अ .	17,244.00	5,937.58	5,923.62	- 13.96
पु .	- 25,444.39			

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा समर्पित सड़क सुरक्षा निधि में सहायता हेतु लिया गया ₹ 17,244.00 लाख का अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 25,444.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) जनवरी, 2022 में सड़क सुरक्षा सप्ताह/महिना का आयोजन नहीं करने, जैसाकि सामान्यतः इस माह में हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रचार गतिविधियों पर व्यय नहीं होने, (iii) मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना पर कम व्यय होने, (iv) घायल व्यक्ति के निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज से संबंधित मामले को अंतिम रूप नहीं देने के परिणामस्वरूप राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी को निधियां जारी नहीं करने, (v) पुलिस विभाग की एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन नहीं होने, (vi) वर्ष के दौरान कुछ उपकरणों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी न होना/कुछ उपकरणों की आपूर्ति नहीं होने, (vii) पोर्टेबल वजन मशीन की खरीद के संबंध में लंबित देयता का भुगतान नहीं करने, (viii) सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर के सड़क सुरक्षा हेतु केन्द्र के माध्यम से आयोजित दो परियोजनाओं को लागू नहीं किया गया क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त केन्द्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, (ix) सड़क सुरक्षा मृत्यु दर को कम करने के लिए शीर्ष तीन जिलों को दिया जाने वाला मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार लागू नहीं किये जाने तथा (x) सार्वजनिक परिवहन के प्रोजेक्ट लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन निधि (निर्भया योजना) का अनिवार्य अनुपालन नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 13.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
02. स्टाम्प- न्यायिकेत्तर			
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
(01) स्टाम्प विक्रय			
[01] अभिकर्ताओं को विक्रय पर कमीशन -प्रतिबद्ध			
मू .	1,613.45		
अ.	410.17	2,019.20	4,897.22
पु .	- 4.42		+ 2,878.02

₹ 2,878.02 लाख का अंतिम आधिक्य स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा प्राप्त गैर-न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री पर कमीशन के व्यय के समायोजन के कारण था। कोषागारों से गैर-न्यायिक स्टाम्प जारी करने के लिए, स्टाम्प विक्रेता स्टाम्प जारी करने पर देय कमीशन राशि को उसमें से काटकर तथा शेष राशि इस चालान के माध्यम से विभागीय राजस्व शीर्ष को जमा करवा कर चालान की प्रति को कोषाधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं। अतः कोषाधिकारी इस मद में खाता अंतरण (बीटी) द्वारा लेखे में कमीशन की राशि दर्ज करता है और उसे मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को भेजता है। विभाग द्वारा यह सूचित किया गया था कि इस प्रकार के व्यय को आई.एफ.एम.एस. पर अपलोड नहीं करने के कारण विभाग में अधिक व्यय की सूचना उपलब्ध नहीं है। यद्यपि, मासिक सिविल लेखा को बंद करने के बाद व्यय की समीक्षा एवं मिलान के लिए महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह प्राप्ति एवं व्यय प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाता है।

03. पंजीकरण				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(03) जिला संगठन				
[01] संस्थापन व्यय -प्रतिबद्ध				
मू .	5,452.66			
पु .	765.89	6,218.55	6,217.31	- 1.24

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 765.89 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2041. वाहन कर				
101. संग्रहण प्रभार				
(03) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण				
मू .	1,465.08			
पु .	290.20	1,755.28	1,754.96	- 0.32

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 290.20 लाख की अतिरिक्त निधियां स्मार्ट कार्ड से संबंधित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा संस्थान (एन.आई.सी.एस.आई.) की बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अन्तरण			
(01) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] समर्पित सड़क सुरक्षा निधि को अन्तरण			
मू	8,500.00	10,000.00	10,000.00
पु .	1,500.00		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख की अतिरिक्त निधियां समर्पित सड़क सुरक्षा निधि को अन्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय

(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि

[06] पर्यावरण एवं प्रदूषण प्रबन्धन

मू	0.01	1,350.00	1,327.94	- 22.06
पु .	1,349.99			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,349.99 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में परिवहन विभाग के माध्यम से क्रेता को ई-वाहन की खरीद पर एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 22.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 7,493.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर 2021 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 40,000.01 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 9,350.03 लाख, ₹ 376.28 लाख, ₹ 1,115.50 लाख, ₹ 2,612.97 लाख तथा ₹ 7,493.63 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 10.38 प्रतिशत से 92.57 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
050. भूमि तथा भवन			
(01) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] सिविल कार्य			
मू	10,920.01	1,586.45	1,586.45
पु .	- 9,333.56		..

अनुदान संख्या 012 - (समाप्त)

31 मार्च 2022 को ₹ 9,333.56 लाख का प्रावधान (i) 33 जिलों में यातायात पार्कों के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी करने और राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर एस आर डी सी) द्वारा इसके लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप आर.एस.आर.डी.सी. को निधियां कम जारी करने, (ii) सात में से छः ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक के सिविल कार्य हेतु कार्य आदेश की निधियां जारी करने, (iii) सड़कों पर काले/धब्बों के सुधार पर व्यय नहीं होने के कारण निधि संचालन समिति ने सड़क सुरक्षा निधि के लाभार्थी विभाग के अधिकतम प्रस्ताव को निधियां उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त नहीं पाने तथा (iv) लोक निर्माण विभाग द्वारा सुभेद्य धब्बों के सुधार पर कम व्यय करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 7,483.58 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,849.98 लाख) किया गया ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) बस स्टेण्डों का निर्माण/जीर्णोद्धार			
[01] परिवहन विभाग			
अ.	0.01		
पु .	1,799.99	1,800.00	..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,799.99 लाख की अतिरिक्त निधियां जोधपुर बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 013 - आबकारी

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2039. राज्य उत्पाद शुल्क
पूंजी - 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,73,43,84	1,73,43,84	1,58,72,44	- 14,71,40
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				14,56,00
प्रभारित				
मूल	1	62	62	..
अनुपूरक	61			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:**राजस्व****दत्तमत**

- ₹ 1,471.40 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 15.40 लाख अनअभ्यर्पित रही ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	2,422.43	1,486.40	1,485.60	- 0.80
पु.	- 936.03			

31 मार्च 2022 को ₹ 936.03 लाख का प्रावधान मुख्यतः विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 787.04 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 148.99 लाख) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 014 – बिक्री कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर और
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार
पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	9,76,89,07		
अनुपूरक	4,43,03,95	14,19,93,02	13,21,33,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			- 98,59,57
प्रभारित			
मूल	6		
अनुपूरक	..	6	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			- 6
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	3		
अनुपूरक	..	3	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			- 3

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 9,859.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 44,303.95 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 9,859.57 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 9,867.93 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 18,046.63 लाख, ₹ 26,620.76 लाख, ₹ 8,660.50 लाख, ₹ 8,956.82 लाख तथा ₹ 9,859.57 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल प्रावधान की 5.99 प्रतिशत से 19.19 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 014 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
101. संग्रहण प्रभार			
(02) अन्य जिला कार्यकारी कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	17,355.68		
अ.	784.00	15,762.72	15,762.08
पु.	- 2,376.96		- 0.64

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रत्यर्पण राशि पर ब्याज के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 784.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 2,376.96 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जनवरी, 2022 से देय महंगाई भत्ते की किश्त के भुगतान का आदेश 30 मार्च 2022 को जारी हुआ, (iii) प्रत्यर्पण राशि पर देय ब्याज से संबंधित दावों पर लगे आक्षेपों का निस्तारण नहीं होने, (iv) किराये के वाहनों पर कम व्यय होने तथा (v) संविदात्मक सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय

(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी

[04] इन्वेस्टमेंट सब्सिडि

मू.	30,850.46			
अ.	35,016.28	61,101.90	61,109.28	+ 7.38
पु.	- 4,764.84			

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 35,016.28 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 4,764.84 लाख का प्रावधान निवेश सहाय्य के दावों के कम प्राप्ति/अंतिमीकरण के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,391.65 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,373.19 लाख) किया गया।

₹ 7.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

800. अन्य व्यय

(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी

[05] एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडि

मू.	2,236.25			
पु.	- 1,275.60	960.65	960.65	..

800. अन्य व्यय

(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी

[08] एम्पलायमेंट जनरेशन सब्सिडि (रिप्स-2014)

मू.	1,209.67			
पु.	- 536.78	672.89	672.89	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,812.38 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान रिप्स-2010 तथा रिप्स 2014 से संबंधित एम्पलायमेंट जनरेशन सब्सिडी के दावों की कम प्राप्ति/अंतिमीकरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 014 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर सग्रहण प्रभार			
800. अन्य व्यय			
(06) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[01] इन्वेस्टमेंट सब्सिडी (रिफ्स-2019)			
अ .	2,500.00		
		996.44	996.44
पु .	- 1,503.56		..

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 2,500.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 1,503.56 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान निवेश सहाय्य के दावों की कम प्राप्ति/अंतिमीकरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
001. निदेशन और प्रशासन			
(02) डिवीजनल कर्मचारी वर्ग –प्रतिबद्ध			
मू .	3,187.96		
		3,635.94	3,636.26
पु .	447.98		+ 0.32

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 447.98 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) विभागीय संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन पश्चात् पदों के स्थानान्तरण के कारण वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय होने, (ii) फर्नीचर का क्रय तथा (iii) अप्रचलित राजकीय वाहनों के स्थान पर तथा विभागीय संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन उपरांत किराये के वाहनों पर अधिक व्यय होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी
[02] ब्याज अनुदान

मू .	15.00		
		185.69	185.69
पु .	170.69		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 170.69 लाख की अतिरिक्त निधियां ब्याज अनुदान के लिए अधिक दावे प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 015 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,54,63,26,54	2,54,63,26,54	2,33,83,15,67	- 20,80,10,87
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				19,09,30,29
प्रभारित				
मूल	10,00,04	10,00,04	8,20,57	- 1,79,47
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,08,010.87 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 17,080.58 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ				
01. सिविल				
102. पेंशन का सांरांशीकृत मूल्य				
(01) पेंशन का सांरांशीकृत मूल्य				
[01] कर्मचारियों की पेंशन का सांरांशीकृत मूल्य-प्रतिबद्ध				
मू.	2,65,000.00	1,99,227.03	1,99,161.49	- 65.54
पु.	- 65,772.97			

31 मार्च 2022 को ₹ 65,772.97 लाख का प्रावधान पेंशन के सांरांशीकृत मूल्य के वास्तविक भुगतान के कारण अभ्यर्पित (₹ 35,632.24 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 30,140.73 लाख) किया गया।

₹ 65.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 015 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ				
01. सिविल				
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन				
(01) जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को पेंशन-प्रतिबद्ध				
मू.	73,000.00	62,480.53	61,729.19	- 751.34
पु.	- 10,519.47			

31 मार्च 2022 को ₹ 10,519.47 लाख का प्रावधान जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के कर्मचारियों को वास्तविक अनुमान के विरुद्ध पेंशन भुगतान पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 751.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. सिविल				
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन				
(03) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन-प्रतिबद्ध				
मू.	2,400.00	1,654.94	1,639.05	- 15.89
पु.	- 745.06			

31 मार्च 2022 को ₹ 745.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 15.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. सिविल				
111. विधायकों को पेंशन				
(01) राजस्थान के विधायकों को पेंशन				
[01] विधायकों को पेंशन एवं कौटुम्बिक पेंशन-प्रतिबद्ध				
मू.	3,700.00	3,184.28	3,171.82	- 12.46
पु.	- 515.72			

31 मार्च 2022 को ₹ 515.72 लाख का प्रावधान कोषालयों द्वारा सूचित किये गये अनुसार विधायकों के पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन के भुगतान पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 12.46 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. सिविल				
115. छुट्टी नकदीकरण हितलाभ				
(01) सेवा निवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण हित लाभ				
[01] कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-प्रतिबद्ध				
मू.	1,75,000.00	1,56,889.63	1,56,722.65	- 166.98
पु.	- 18,110.37			

31 मार्च 2022 को ₹ 18,110.37 लाख का प्रावधान अवकाश नकदीकरण लाभ के भुगतान पर अनुमान से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 166.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 015 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
117. निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान			
(01) निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान			
[01] राज्य सरकार का नियमित अंशदान-प्रतिबद्ध			

मू. 2,45,000.00

1,92,646.81

1,92,646.81

..

पु. - 52,353.19

31 मार्च 2022 को ₹ 52,353.19 लाख का प्रावधान 23.02.2022 को बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में *राष्ट्रीय पेंशन योजना* (एन.पी.एस.) में सरकारी अंशदान को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने और 01.01.2004 को तथा उसके उपरान्त नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

प्रभारित

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
(01) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन सम्बन्धी प्रभार			
[01] उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन सम्बन्धी प्रभार (प्रभृत) -प्रतिबद्ध			

मू. 1,000.00

1,000.00

820.57

- 179.43

₹ 179.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 016 - पुलिस
मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2055. पुलिस और
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं
पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	71,96,56,23			
अनुपूरक	2,27,66,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		74,24,22,23	71,86,18,05	- 2,38,04,18
प्रभारित				
मूल	20,04			
अनुपूरक	42,35			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		62,39	61,83	- 56
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,36,76,12			
अनुपूरक	3,51,05			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		2,40,27,17	1,74,76,70	- 65,50,47

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 22,766.00 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 22,765.99 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 23,804.18 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 188.54 लाख अन्अभ्यर्पित रही ।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
003. शिक्षा और प्रशिक्षण			
(03) पुलिस विश्वविद्यालय			
[01] सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान			
मू.	760.00	605.00	605.00
पु.	- 155.00		

₹ 155.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्व शीर्ष के मार्फत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु विश्वविद्यालय को अनुदान जारी किये जाने के बजाय पूंजीगत अनुभाग में जारी निधियों को नामे करने को आरोपित की गयी। यह सरकारी लेखांकन नियमों का पूर्ण उल्लंघन है।

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर एक स्वायत्तशासी संस्था है तथा राज्य सरकार को राजस्व मद के माध्यम से विश्वविद्यालय के खर्चों की पूर्ति हेतु अनुदान जारी करना चाहिये यहां तक कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी किया जाना चाहिये।

109. जिला पुलिस			
(01) सामान्य पुलिस			
[03] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वारंट/वाहनों का भुगतान-प्रतिबद्ध			
मू.	1,200.01	1,408.53	1,408.53
अ.	1,107.82		
पु.	- 899.30		

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.) को पुलिस कर्मियों को बस पास की सुविधा दिये जाने के पुनर्भरण हेतु लिया गया ₹ 1,107.82 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। आर.एस.आर.टी.सी. को "विस्तृत शीर्ष-03-यात्रा व्यय" जहाँ पर प्रारम्भिक प्रावधान अनुमानित था, के स्थान पर "विस्तृत शीर्ष-05 कार्यालय व्यय" के माध्यम से भुगतान किया गया। 31 मार्च, 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों को प्रत्यर्पित करने के स्थान पर "विस्तृत शीर्ष-03- यात्रा व्यय" से राशि ₹ 1,100.01 लाख अभ्यर्पित की गयी।

109. जिला पुलिस			
(01) सामान्य पुलिस			
[04] रेलवे वारंट-प्रतिबद्ध			
मू.	600.00	..	577.25
पु.	- 600.00		

31 मार्च 2022 को ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान रेल द्वारा यात्रा पर व्यय का पूर्व निर्धारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि रेलवे से प्राप्त रेल वारंट का समायोजन कार्यालय महालेखाकार द्वारा किया जाता है।

यद्यपि, वर्ष के दौरान ₹ 577.25 लाख के रेलवे वारंट प्राप्त हुए और बिना प्रावधान के राज्य के खातों में समायोजित किये गये। रेलवे वारंट के ऐसे समायोजन प्रत्येक माह में किये गये और कार्यालय महालेखाकार द्वारा संबंधित बजट नियंत्रक विभाग को भी सूचित किया गया।

अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(02) केन्द्रीय कार्यालय, बैंक आदि के लिये रक्षादल			
[01] केन्द्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,100.30		
		1,822.78	1,822.78
पु.	- 277.52		..
31 मार्च, 2022 को ₹ 277.52 लाख का प्रावधान विभाग द्वारा पुनर्भरण आधार पर अन्य विभागों को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रहरियों के उपलब्ध पदों को राज्य सरकार द्वारा समाप्त किये जाने से पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
109. जिला पुलिस			
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली			
[03] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-प्रतिबद्ध			
मू.	2,825.00		
		2,363.64	2,363.64
पु.	- 461.36		..
₹ 461.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः जयपुर मेट्रो रेल निगम में तैनात इंस्पेक्टर स्तर के कर्मचारियों का मुख्यालय में स्थानान्तरण होने और कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति होने के परिणामस्वरूप वेतन और भत्तों का कम भुगतान होने को आरोपित की गयी।			
109. जिला पुलिस			
(11) सामान्य पुलिस			
[01] सामान्य पुलिस निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू.	3,76,828.39		
अ.	17,509.41	3,84,332.57	3,84,054.28
पु.	- 10,005.23		- 278.29
मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 17,509.41 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 10,005.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः उन कार्मिकों को जिन्होंने अपना आयकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया उन्हें वेतन तथा भत्तों का भुगतान नहीं होने तथा मंहगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।			
₹ 278.29 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
114. बेतार तथा कम्प्यूटर			
(01) वितंतु (विशेष पुलिस)-प्रतिबद्ध			
मू.	8,808.26		
		8,001.12	8,001.01
पु.	- 807.14		- 0.11
₹ 807.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) उन कार्मिकों को जिन्होंने अपना आयकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया उन्हें वेतन तथा भत्तों का भुगतान नहीं होने, (ii) मंहगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं होने तथा (iii) मशीनरी/उपकरण/सामग्री की खरीद की बोली प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा निरस्त होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
114. बेतार तथा कम्प्यूटर			
(03) कम्प्यूटर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,713.70		
पु.	- 480.07		
		1,233.63	1,233.47
			- 0.16

₹ 480.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्मिकों द्वारा यथासमय उपस्थित नहीं होने के कारण 42 पदों के रिक्त रहने तथा मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिये स्वीकृति जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण
(03) विधि-विज्ञान शाला का आधुनिकीकरण

मू.	552.00			
पु.	- 333.10			
		218.90	218.90	..

31 मार्च 2022 को ₹ 333.10 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने एवं तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण
(09) स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एस.पी.सी.)
[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत
विद्यार्थियों को प्रशिक्षण

मू.	616.92			
पु.	- 499.41			
		117.51	119.13	+ 1.62

31 मार्च 2022 को ₹ 499.41 लाख का प्रावधान राज्य सरकार से स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं
107. होम गार्ड
(01) नगरीय गृह रक्षा

मू.	7,536.81			
पु.	- 754.58			
		6,782.23	6,856.17	+ 73.94

₹ 754.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन भत्तों पर (क) 2 कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने तथा (ख) विभिन्न सवंगों के अन्तर्गत भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण कम व्यय हुआ, (ii) नामांकित स्वयं सेवकों के कम संख्या में उपस्थित होने के परिणामस्वरूप उपस्थित अभ्यर्थियों के अनुसार संबंधित फर्म को भुगतान होने तथा (iii) बेसिक प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण तथा अग्रिम प्रशिक्षण के लक्ष्य (क) दूसरी तथा तीसरी कोविड-19 लहर होने तथा (ख) शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों की सतत नामांकन प्रक्रिया में विभाग के कार्यकारी कर्मचारियों के लगे रहने के कारण लक्ष्य प्रभावित होने को आरोपित की गयी ।

₹ 73.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 351.05 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा स्पेक्ट्रम प्रभार पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 351.04 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 2,960.32 लाख, ₹ 3,448.37 लाख, ₹ 6,709.08 लाख, ₹ 3,978.99 लाख तथा ₹ 6,550.47 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल प्रावधान की 11.27 प्रतिशत से 31.84 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[01] अपराधिक शाखा			
मू.	1,362.00		
पु.	- 1,322.11	39.89	38.44

31 मार्च 2022 को ₹ 1,322.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

207. राज्य पुलिस
(01) पुलिस आधुनिकीकरण
[02] सामान्य पुलिस

मू.	4,500.01			
पु.	- 2,079.02	2,420.99	2,420.99	..

31 मार्च 2022 को ₹ 2,079.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ देरी से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अन्त तक निधियाँ खर्च नहीं होने तथा राज्य सरकार से निधियों की पुनःवैधता देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

207. राज्य पुलिस
(01) पुलिस आधुनिकीकरण
[04] कम्प्यूटर पुलिस

मू.	1,700.02			
पु.	- 1,700.02

31 मार्च, 2022 को ₹ 1,700.02 लाख का समस्त प्रावधान *क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम* (सी सी टी एन एस) परियोजना के अन्तर्गत भुगतान व्यक्तिगत जमा लेखों में उपलब्ध शेष से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(02) जिला पुलिस			
[01] सामान्य पुलिस			
मू.	6,000.01		
		2,491.09	
पु.	- 3,508.92	2,491.09	..

31 मार्च 2022 को ₹ 3,508.92 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा नये वाहनों की खरीद हेतु कम निधियां जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,201.30 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 307.62 लाख) किया गया। क्योंकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्राप्त वाहनों का ही भुगतान किया गया अप्राप्त वाहनों हेतु नहीं किया गया।

211. पुलिस आवास
(01) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण
निगम लिमिटेड के माध्यम से
[90] निर्माण कार्य

मू.	2,000.00		
		1,250.00	
पु.	- 750.00	1,250.00	..

31 मार्च 2022 को ₹ 750.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[03] वितंतु पुलिस			
मू.	5,790.00		
अ.	351.04	8,750.90	
पु.	2,609.86	8,713.26	- 37.64

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,609.86 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 016 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
210. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण			
(01) सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर			
[01] निर्माण कार्य			
अ .	0.01	170.00	170.00
पु .	169.99		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 169.99 लाख की अतिरिक्त निधियाँ मुख्यतः राजस्व शीर्ष के द्वारा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु विश्वविद्यालय को अनुदान जारी किये जाने के बजाय पूंजीगत अनुभाग में जारी निधियों को नामे किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यह सरकारी लेखांकन नियमों का पूर्ण उल्लंघन है।

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्यायिक विश्वविद्यालय, जोधपुर एक स्वायत्तशासी संस्था है तथा राज्य सरकार को राजस्व मद के माध्यम से विश्वविद्यालय के खर्चों की पूर्ति हेतु अनुदान जारी करना चाहिए यहां तक की विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी किया जाना चाहिये।

अनुदान संख्या 017 – कारागार

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2056. जेल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,19,18,98	2,38,91,35	2,21,42,16	- 17,49,19
अनुपूरक	19,72,37			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
				17,34,88
प्रभारित				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,749.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,972.37 लाख का प्रावधान अत्यधिक था
- ₹ 1,749.19 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 14.31 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
शीर्ष				
2056. जेल				
001. निदेशन और प्रशासन				
(01) प्रशासन				
[01] मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,200.41	1,030.19	1,031.25	+ 1.06
पु.	- 170.22			

₹ 170.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर (क) पदों के रिक्त रहने, (ख) नई भर्तियाँ/पदोन्नति नहीं होने तथा (ग) प्रत्याशित बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण कम व्यय होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी के कारण न्यायालय में कैदियों के कम उपस्थित होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 017 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
101. जेल			
(06) जेलों में विडियों कांफ्रेसिंग सुविधा			
मू.	398.45		
अ.	767.30	450.93	450.92
पु.	- 714.82		- 0.01

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मशीनरी की खरीद हेतु लिया गया ₹ 767.30 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 714.82 लाख का प्रावधान (i) समस्त जिला कारागारों में 26 नॉन/लीनियर जंक्शन डिटेक्टर की आपूर्ति अवधि 2022-23 तक बढ़ाने, (ii) उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर हेतु एक्स-रे फुल बाडी स्केनर की आपूर्ति फर्म द्वारा नहीं करने के कारण निविदा के निरस्त किये जाने तथा (iii) विभिन्न मदों की दरें बोली में अनुमान से कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप विभिन्न मदों की खरीद पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 018 - जन-सम्पर्क

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2220. सूचना तथा प्रचार

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,12,40,86	1,33,31,57	1,32,57,43	- 74,14
अनुपूरक	20,90,71			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				68,39
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 74.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा विज्ञापन, बिक्री, प्रचार और विस्तार पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,090.71 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 74.14 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 5.75 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 019 - लोक निर्माण कार्य

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2059. लोक निर्माण कार्य
 पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	5,38,82,69		
अनुपूरक	..	5,38,82,69	4,59,50,16 - 79,32,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			78,94,68
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	1,58,06	1,58,07	1,57,87 - 20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			20
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	10,36,41,72		
अनुपूरक	87,39,95	11,23,81,67	7,80,96,05 - 3,42,85,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			3,42,17,06

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 7,932.53 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 37.85 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
2. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 4,736.46 लाख, ₹ 6,247.55 लाख, ₹ 11,354.92 लाख, ₹ 12,689.84 लाख तथा ₹ 7,932.53 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 10.14 प्रतिशत से 22.50 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[02] अधीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	6,423.47		
पु.	- 679.71	5,743.76	5,743.65
			- 0.11

₹ 679.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू.	25,742.23		
पु.	- 3,945.78	21,796.45	21,796.44
			- 0.01

₹ 3,945.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) मशीनों का संधारण			
[02] जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,222.75		
पु.	- 273.48	949.27	949.26
			- 0.01

₹ 273.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए			
[01] विशेष एवं सामान्य मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू.	5,933.50	4,965.95	4,965.95
पु.	- 967.55		

₹ 967.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी, मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(06) महानिरीक्षक, जेल विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	700.00	397.38	396.91
पु.	- 302.62		

31 मार्च 2022 को ₹ 302.62 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(22) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	400.00	122.44	116.55
पु.	- 277.56		

31 मार्च 2022 को ₹ 277.56 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 5.89 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4. उचन्त - लघु शीर्ष "उचन्त" अस्थायी रूप से प्राप्ति एवं संवितरणों को सम्मिलित करता है जो अंतरिम संव्यवहारों की प्रकृति के है। यद्यपि, उनको पूर्ण रूप देने और अंतिम रूप से लेखांकित करने के पूर्व मूल्यों का आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, "उचन्त" में राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती है।

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उचन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उचन्त, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

- (i) **स्टॉक** - इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष "खरीद" भी परिचालित किया गया है। अतः उप भाग स्टॉक, भण्डार में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किया जाता है जिसके द्वारा अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष को दर्शाता है।
- (ii) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम** - इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, भण्डार का मूल्य जो अभी अपलिखित नहीं किया गया हो तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

(iii) **वर्कशाप उचन्त** –सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं।

2021-22 में इस अनुदान में “उचन्त” लेन देनों का विश्लेषण “उचन्त” के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित दिया गया है :-

“उचन्त” लघु शीर्ष का उपभाग	प्रारम्भिक शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
<i>(₹ लाख में)</i>				
स्टॉक	(+) 453.61	(+) 453.61
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 223.33	(+) 223.33
योग	(+) 676.94	(+) 676.94

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 8,739.95 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः न्यायिक भवनों के निर्माण हेतु लिया गया ₹ 8,739.93 लाख अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 34,285.62 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 68.56 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 62,515.12 लाख, ₹ 46,445.00 लाख, ₹ 38,312.26 लाख, ₹ 56,517.49 लाख तथा ₹ 34,285.62 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 30.51 प्रतिशत से 54.67 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के मूल अनुमान से धीमी प्रगति/कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय <i>(₹ लाख में)</i>	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	2, 035.40		
पु .	- 437.63		
		1,597.77	1,597.77
31 मार्च 2022 को ₹ 437.63 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय			
(2059-80-001(02) [02])			
मू .	162.83		
पु .	- 146.21		
		16.62	16.62
31 मार्च 2022 को ₹ 146.21 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059-80-001(02) [03])			
मू .	2,245.21		
पु .	- 1,744.16	501.05	501.05
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू .	841.92		
पु .	- 654.02	187.90	187.90
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 2,398.18 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू .	3,000.00		
पु .	- 544.43	2,455.57	2,455.57
31 मार्च 2022 को ₹ 544.43 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू .	13,274.33		
अ.	8,739.85	4,761.39	4,761.39
पु .	- 17,252.79		
मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा न्यायिक भवनों के निर्माण हेतु लिया गया ₹ 8,739.85 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।			
31 मार्च 2022 को ₹ 17,252.79 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 15,109.22 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,143.57 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[06] न्याय प्रशासन विभाग			
मू.	973.45	492.30	492.30
पु.	- 481.15		
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेलें)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	887.61	567.10	567.10
पु.	- 320.51		
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	4,026.56	3,381.89	3,381.89
पु.	- 644.67		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,446.33 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन)			
मू.	442.48	225.00	225.00
पु.	- 217.48		
31 मार्च 2022 को ₹ 217.48 लाख का प्रावधान लोक निर्माण विभाग के पक्ष में साख सीमा जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)			
[02] पंजीयक, सहकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	264.20	105.80	105.80
पु.	- 158.40		
31 मार्च 2022 को ₹ 158.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(08) सामान्य भवन (गृह अभियोजन भवन)			
मू.	204.12		
पु.	- 151.46	52.66	51.90
			- 0.76
31 मार्च 2022 को ₹ 151.46 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(13) सामान्य भवन (स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग)			
मू.	322.44		
पु.	- 160.34	162.10	162.10
			..
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(16) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)			
मू.	182.36		
पु.	- 173.52	8.84	8.84
			..
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)			
मू.	1,141.28		
पु.	- 526.73	614.55	614.55
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 860.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(26) सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय)			
मू.	238.76		
पु.	- 238.76
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 238.76 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(27) सामान्य भवन (विधान सभा भवन का निर्माण)			
मू.	869.01		
पु.	- 852.58	16.43	16.42
			- 0.01
31 मार्च 2022 को ₹ 852.58 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(30) सामान्य भवन (राजभवन में निर्माण)			
मू.	442.48		
पु.	- 373.82	68.66	68.66
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 373.82 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(42) सामान्य भवन (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग)			
मू.	300.00		
पु.	- 226.90	73.10	73.10
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 226.90 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(55) सामान्य भवन (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला)			
मू.	168.14		
पु.	- 121.19	46.95	38.61
			- 8.34
31 मार्च 2022 को ₹ 121.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने एवं ₹ 8.34 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(58) सामान्य भवन (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)			
[01] कार्यालय भवन निर्माण			
मू.	853.10		
पु.	- 414.08	439.02	439.02
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 414.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू .	561.27		
		125.26	125.26
पु .	- 436.01		..
31 मार्च 2022 को ₹ 436.01 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	452.04		
		27.17	27.17
पु .	- 424.87		..
31 मार्च 2022 को ₹ 424.87 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	4,424.78		
		3,911.24	3,911.24
पु .	- 513.54		..
31 मार्च 2022 को ₹ 513.54 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. पॉलीटेकनिक			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	131.65		
		4.42	4.42
पु .	- 127.23		..
31 मार्च 2022 को ₹ 127.23 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(01) आयुर्वेदिक (इसमें फार्मसी शामिल है)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	261.06	40.56	40.56
पु.	- 220.50		..
31 मार्च 2022 को ₹ 220.50 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
101. आयुर्वेद			
(01) चिकित्सा शिक्षा-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	196.51	50.00	50.00
पु.	- 146.51		..
31 मार्च 2022 को ₹ 146.51 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	442.48	160.41	160.41
पु.	- 282.07		..
31 मार्च 2022 को ₹ 282.07 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	48,337.00	32,800.00	32,800.00
पु.	- 15,537.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 15,537.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,262.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 6,275.00 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
101. भवन			
(02) अन्य कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	119.15
पु .	- 119.15
31 मार्च 2022 को ₹ 119.15 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) रेबारी एवं अन्य माइग्रेटरी समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	265.49	141.59	141.59
पु .	- 123.90
31 मार्च 2022 को ₹ 123.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(04) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के लिए भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	213.61	85.03	85.03
पु .	- 128.58
31 मार्च 2022 को ₹ 128.58 लाख का प्रावधान लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (एएफएस) मॉड्यूल में तकनीकी गलती होने साथ ही 11.11.2021 को ऑनलाईन स्वीकृती के बाद भी ऑनलाईन प्रक्रिया का समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059-80-001(02) [15])			
मू .	495.58		
		109.17	109.17
पु .	- 386.41		..

31 मार्च 2022 को ₹ 386.41 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

203. रोजगार
(02) प्रशिक्षण
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)

मू .	185.84		
		40.94	40.94
पु .	- 144.90		..

31 मार्च 2022 को ₹ 144.90 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. के माध्यम से			
मू .	1,433.19		
		1,723.05	1,712.45
पु .	289.86		- 10.60

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 289.86 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 10.60 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य
051. निर्माण
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं-
सामान्य प्रशासनिक भवन)
[01] मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. के माध्यम से

मू .	1,122.51		
		4,720.58	4,695.79
पु .	3,598.07		- 24.79

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,598.07 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 24.79 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 019 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन(न्याय प्रशासन)			
[02] राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू .	548.00		
		710.00	
पु .	162.00		
		710.00	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 162.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	6,194.69		
		9,693.13	
पु .	3,498.44		
		9,693.13	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,498.44 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
203. रोजगार			
(09) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	265.49		
		500.00	
पु .	234.51		
		500.00	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 234.51 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य			
(13) पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेंसरियों का सुदृढीकरण			
[90] निर्माण कार्य			
अ .	0.03		
		3,194.11	
पु .	3,194.08		
		3,194.11	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,194.08 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 020 - आवास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2216. आवास

पूंजी - 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	74,25,58	83,26,41	72,92,26	- 10,34,15
अनुपूरक	9,00,83			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				10,28,06
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	86,52,96	88,30,00	42,62,16	- 45,67,84
अनुपूरक	1,77,04			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				45,51,37

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा सरकारी रिहायशी आवासों पर मरम्मत तथा रख रखाव पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 900.83 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 1,034.15 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 6.09 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास				
05. साधारण पूल आवास				
053. रख रखाव तथा मरम्मत				
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)				
[01] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध				
मू.	1,505.30	1,130.15	1,130.14	- 0.01
पु.	- 375.15			

31 मार्च 2022 को ₹ 375.15 लाख का प्रावधान मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 257.02 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 118.13 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रख रखाव तथा मरम्मत			
(02) न्याय विभाग			
[02] अन्य रखरखाव व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	800.00		
अ.	230.00	686.44	..
पु.	- 343.56		

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपुरक अनुदान द्वारा न्याय विभाग के सरकारी रिहायशी भवन के मरम्मत तथा रख रखाव पर हुए व्यय की पूर्ति की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 230.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 343.56 लाख का प्रावधान न्याय विभाग के रिहायशी भवन के मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूंजी

दत्तमत

- मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपुरक अनुदान द्वारा राजस्व विभाग के सरकारी रिहायशी भवन निर्माण कार्य पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लिया गया ₹ 177.04 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 4,567.84 लाख की अन्तिम बचत में से राशि ₹ 16.47 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 1,469.95 लाख, ₹ 899.43 लाख, ₹ 6,358.60 लाख, ₹ 4,706.89 लाख तथा ₹ 4,567.84 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट का 35.50 प्रतिशत से 70.66 प्रतिशत तक रही। निरन्तर बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
106. साधारण पूल आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू.	778.24		
पु.	- 133.13	645.11	644.02
			- 1.09

31 मार्च 2022 को ₹ 133.13 लाख का प्रावधान मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू.	5,752.21	2,405.05	2,405.06
पु.	- 3,347.16		+ 0.01
31 मार्च 2022 को ₹ 3,347.16 लाख का प्रावधान मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,328.34 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 18.82 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059-80-001-(02)- [09])			
मू.	460.17	32.40	32.40
पु.	- 427.77		..
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	115.05	8.10	8.10
पु.	- 106.95		..
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	172.57	12.15	12.15
पु.	- 160.42		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 695.14 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन हेतु अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 020 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(11) III एवं IV श्रेणी के आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	221.24		
पु.	- 121.60	99.64	98.11
			- 1.53

31 मार्च 2022 को ₹ 121.60 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 021 – सड़कों एवं पुल

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3054. सड़क तथा सेतु
 पूंजी – 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	29,32,47,37	32,43,99,32	30,89,70,77	- 1,54,28,55
अनुपूरक	3,11,51,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,72,70,61
प्रभारित				
मूल	1	41,61	40,67	- 94
अनुपूरक	41,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				94
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	48,51,00,32	54,74,95,38	44,67,37,30	- 10,07,58,08
अनुपूरक	6,23,95,06			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				10,06,23,58
टिप्पणियाँ तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 15,428.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 31,151.95 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 15,428.55 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 27,270.61 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 31,766.53 लाख, ₹ 30,630.27 लाख, ₹ 37,461.39 लाख, ₹ 1,18,814.32 लाख तथा ₹ 15,428.55 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 4.76 प्रतिशत से 43.28 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु 03. राजकीय राजमार्ग 337. सड़क निर्माण कार्य (01) संधारण एवं जीर्णोद्धार [01] सड़कों का संधारण-प्रतिबद्ध			
मू .	12,368.85	9,208.33	9,208.33
पु .	- 3,160.52		

₹ 3,160.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी, सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. राजकीय राजमार्ग
337. सड़क निर्माण कार्य
(04) विश्व बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना
[02] आधुनिकीकरण

मू .	212.00	18.85	18.85
पु .	- 193.15		

31 मार्च 2022 को ₹ 193.15 लाख का प्रावधान आधुनिकीकरण की विशिष्ट सेवाओं पर हुए कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
105. रख-रखाव तथा मरम्मत
(01) सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार
[01] महानगरों के अतिरिक्त शहरी सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार

मू .	34,345.00
पु .	- 34,345.00		

31 मार्च 2022 को ₹ 34,345.00 लाख का समस्त प्रावधान शहरी सड़कों का रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 20,340.38 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 14,004.62 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
800. अन्य व्यय
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार
[01] जिला सड़कें-प्रतिबद्ध

मू .	7,257.20	5,104.25	5,104.24	- 0.01
पु .	- 2,152.95			

31 मार्च 2022 को ₹ 2,152.95 लाख का प्रावधान मजदूरी, सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[05] विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (आधुनिकीकरण)			
मू .	199.88
पु .	- 199.88		

31 मार्च 2022 को ₹199.88 लाख का समस्त प्रावधान विशिष्ट सेवाओं पर व्यय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
800. अन्य व्यय
(02) ग्रामीण सड़कें
[06] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें

मू .	1,000.00	708.33	708.33	..
पु .	- 291.67			

31 मार्च 2022 को ₹ 291.67 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
800. अन्य व्यय
(06) महानगरीय सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार-प्रतिबद्ध

मू .	1,202.17	978.78	978.79	+ 0.01
पु .	- 223.39			

31 मार्च 2022 को ₹ 223.39 लाख का प्रावधान मजदूरी, सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण
(03) केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)

मू .	80,000.00	14,840.30	..	- 14,840.30
पु .	- 65,159.70			

31 मार्च 2022 को ₹ 65,159.70 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने की प्रत्याशा में अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

₹ 14,840.30 लाख की अंतिम बचत वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि को निधियां हस्तान्तरित नहीं करने के कारण रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

वर्ष 2020-21 के दौरान भी केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से ₹ 14,180.90 लाख की राशि प्राप्त हुई लेकिन 31 मार्च 2022 तक राशि निधि को हस्तान्तरित नहीं की गयी।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से (100% केन्द्र)			
[02] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू.	0.01	..	26,691.50 + 26,691.50
पु.	- 0.01		

गत वर्षों के व्यय के रुझान के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार प्रावधान अनुमानित करती है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया जाता है जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है तथा बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों पर किए गए वास्तविक व्यय को सूचित करता है।

2021-22 के दौरान, इस शीर्ष में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रावधान अनुमानित नहीं किया गया, लेकिन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा रखरखाव के तहत ₹ 26,691.50 लाख का वास्तविक व्यय सूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय बिना प्रावधान के दर्शाता है, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. राजकीय राजमार्ग
337. सड़क निर्माण कार्य
(03) एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना
[01] अतिरिक्त परिचालन लागत

मू.	37.60	151.61	142.48	- 9.13
पु.	114.01			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 114.01 लाख की अतिरिक्त निधियां विज्ञापन, बिक्री और प्रचार पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 9.13 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
338. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
(01) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
[01] पीएमजीएसवाई-III के अन्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण एवं मरम्मत

मू.	0.01	1,000.00	1,000.00	..
पु.	999.99			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 999.99 लाख की अतिरिक्त निधियां मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कों की मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू .	26,006.50		
		34,721.43	34,721.44
पु .	8,714.93		+ 0.01

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,714.93 लाख की अतिरिक्त निधियां मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य

797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण

(02) राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण

मू .	1,30,000.00			
अ.	31,151.95	2,29,070.00	2,29,070.00	..
पु .	67,918.05			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 67,918.05 लाख की अतिरिक्त निधियाँ, निधि के माध्यम से हुए व्यय की पूर्ति हेतु राज्य सड़क विकास निधि को निधियां अन्तरण करने के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

6. केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता:- मोटर स्प्रीट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इन अनुदान में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राशि के अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 14,840.30 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ किन्तु केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण नहीं किया गया। 2020-21 के दौरान भी केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत ₹ 14,080.90 लाख की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई थी लेकिन 31 मार्च 2022 तक राशि निधि को अन्तरण नहीं की गयी। लगातार दो वर्षों तक राशि निधि में अन्तरण नहीं करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सड़क निधि के शेषों में कमी हुई, जिससे वर्ष के दौरान हुये व्यय की पूर्ति निधि से नहीं की जा सकी तथा राज्य की समेकित निधि को भारित की गयी।

31 मार्च 2022 को निक्षेप शीर्ष में ₹ 1,370.57 लाख का शेष था।

2021-22 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2021-22 के विवरण संख्या 21 तथा 22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" में दर्शाया गया है।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

पूंजी

दत्तमत

1. सितम्बर, 2021 (₹ 19,179.00 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 43,216.06 लाख) में लिया गया ₹ 62,395.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 1,00,758.08 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 134.50 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 18,688.73 लाख, ₹ 90,375.53 लाख, ₹ 45,997.12 लाख, ₹ 1,29,506.35 लाख तथा ₹ 1,00,758.08 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 4.49 प्रतिशत से 30.55 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(05) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू. 54,952.00	16,868.82	16,868.82	..
पु. - 38,083.18			

31 मार्च 2022 को ₹ 38,083.18 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059-80-001-(02)- [39])			
मू. 2,101.89	1,708.51	1,708.51	..
पु. - 393.38			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू. 788.21	640.69	640.69	..
पु. - 147.52			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 540.90 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03. राज्य राजमार्ग 337. सड़क निर्माण कार्य (10) निजी जनसहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण	मू. 2,057.65 पु. - 1,772.29	285.36	285.36 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,772.29 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. राज्य राजमार्ग 337. सड़क निर्माण कार्य (11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)	मू. 77,008.51 पु. - 36,788.24	40,220.27	40,428.15 + 207.88
31 मार्च 2022 को ₹ 36,788.24 लाख का प्रावधान कार्य के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 26,326.74 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 10,461.50 लाख) किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 207.88 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. राज्य राजमार्ग 337. सड़क निर्माण कार्य (12) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)	मू. 34,724.07 पु. - 24,349.70	10,374.37	10,764.42 + 390.05
31 मार्च 2022 को ₹ 24,349.70 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 390.05 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. राज्य राजमार्ग 337. सड़क निर्माण कार्य (16) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण [01] एन.सी.आर. सड़क का निर्माण कार्य	मू. 20,530.97 पु. - 12,629.19	7,901.78	7,901.78 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 12,629.19 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03. राज्य राजमार्ग 337. सड़क निर्माण कार्य (17) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-॥ विश्व बैंक [01] सड़क सुरक्षा प्रबन्धन	मू. 278.40 पु. - 278.40
31 मार्च 2022 को ₹ 278.40 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 337. सड़क निर्माण कार्य (17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें [01] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	मू. 9,242.92 पु. - 2,636.32	6,606.60	6,606.60 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,636.32 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 800. अन्य व्यय (02) अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम [01] ग्रामीण सड़कें	मू. 49,331.36 पु. - 20,074.53	29,256.83	29,256.83 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 20,074.53 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 800. अन्य व्यय (11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें [19] सड़क उन्नयन परियोजना (तृयोविंशतित्म)	मू. 303.67 पु. - 121.32	182.35	182.35 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 121.32 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू .	332.74		
पु .	- 110.48	222.26	222.26
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 110.48 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(22) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू .	95,479.10		
अ .	43,216.06	1,21,940.59	1,21,940.59
पु .	- 16,754.57		..
मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 43,216.06 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 16,754.57 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059-80-001-(02)- [39])			
मू .	17,318.87		
पु .	- 6,442.12	10,876.75	10,876.75
			..
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू .	6,494.57		
पु .	- 2,415.79	4,078.78	4,078.78
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 8,857.91 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) मशीनें और उपकरण			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू .	4,329.72		
पु .	- 1,610.53	2,719.19	2,719.19
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 1,610.53 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) निर्माण			
मू .	2,847.29		
पु .	3,163.36	6,010.65	6,010.65
			..
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) भूमि अवाप्ति का भुगतान			
मू .	182.36		
पु .	145.81	328.17	328.17
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,309.17 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयीं। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	26,273.62		
पु .	26,735.22	53,008.84	52,958.94
			- 49.90

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26,735.22 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयीं। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 49.90 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	9,765.45	13,773.13	13,773.13
पु .	4,007.68		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[03] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXVII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	6,078.76	14,752.23	14,735.67
पु .	8,673.47		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) शहरी सड़कें			
मू .	291.11	1,175.46	1,175.46
पु .	884.35		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[20] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	616.19	1,301.12	1,301.12
पु .	684.93		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा 31 मार्च 2022 को ₹ 12,681.15 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-04-337(17) [03] " के अंतर्गत ₹ 16.56 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,569.28 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	29,881.97	36,986.72	36,986.72
पु.	7,104.75		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,104.75 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059-80-001(02) [39])			
मू.	2,390.56	2,637.61	2,637.61
पु.	247.05		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 247.05 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(23) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	22,868.29	29,149.35	29,165.90
पु.	6,281.06		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,281.06 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध कराई गई। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 16.55 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(23) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,829.46	2,321.02	2,321.02
पु.	491.56		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(23) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	457.37	580.26	580.26
पु.	122.89		

अनुदान संख्या 021 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(23) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू .	686.05		
	870.38	870.38	..
पु .	184.33		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 798.78 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज			
01. सड़क तथा पुल			
800. अन्य कर्ज			
(02) सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कर्ज			
[02] राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड			
मू .	0.01		
अ .	19,179.00	24,340.98	..
पु .	5,161.97	24,340.98	

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,161.97 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को ऋण जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवृद्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(16) हवाई पट्टियों का निर्माण			
मू .	952.20		
	1,018.53	318.53	- 700.00
पु .	66.33		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 66.33 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 700.00 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 022 - क्षेत्र का विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और

2705. कमान क्षेत्र विकास

पूंजी - 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और

4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	23,09,77	23,09,78	20,82,84	- 2,26,94
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,23,76
प्रभारित				
मूल	4	4	..	- 4
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,14,36,16	2,14,36,16	1,38,69,33	- 75,66,83
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				75,30,64
प्रभारित				
मूल	6	17,22	17,18	- 4
अनुपूरक	17,16			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4

अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत (अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) आयुक्त क्षेत्रीय विकास के माध्यम से			
[01] निदेशन एवं प्रशासन			
मू.	455.88		
		3.17	
पु.	- 452.71	3.17	..

₹ 452.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 7,566.83 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 36.19 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 7,517.58 लाख, ₹ 12,180.83 लाख, ₹ 13,667.04 लाख, ₹ 8,005.08 लाख तथा ₹ 7,566.83 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 16.76 प्रतिशत से 50.99 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत के कारणों में से एक भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति रहा।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
800. अन्य व्यय			
(02). जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)			
[01]. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	6,120.00		
		1,163.67	
पु.	- 4,956.33	1,163.67	..

31 मार्च 2022 को ₹ 4,956.33 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,814.36 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,141.97 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
06. सीमा क्षेत्र विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू. 4,080.60	2,162.70	2,162.70	..
पु. - 1,917.90			

31 मार्च 2022 को ₹ 1,917.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से केवल 50 प्रतिशत केन्द्रीय अंश प्राप्त होने के परिणामस्वरूप राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[03] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र) फेज II			
मू. 9,114.65	6,545.50	6,517.55	- 27.95
पु. - 2,569.15			

₹ 2,569.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 242 स्वीकृत पदों में से 104 पदों के रिक्त रहने, (ii) मार्च, 2022 के अन्तिम कार्य दिवसों में कर्मचारियों के बकाया बिलों के पास नहीं होने, (iii) जल उपभोक्ता संगठन को एकमुश्त कार्यात्मक अनुदान जारी करने हेतु मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन(उत्तर), हनुमानगढ से प्रस्तावों के प्राप्त नहीं होने तथा (iv) किसानों के मध्य विवाद, न्यायालय प्रकरणों, क्षेत्र में खडी फसलों, बदलते समीकरण तथा असमय बारिश के कारण कोर्सेज (खाला) के निर्माण कार्य में अवरोध के परिणामस्वरूप कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी ।

₹ 27.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[04] निदेशन प्रशासन (गंग नहर परियोजना क्षेत्र) फेज II			
मू. 1,114.38	1,001.94	1,001.95	+ 0.01
पु. - 112.44			

₹ 112.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 124 स्वीकृत पदों में से 70 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
102. मेवात क्षेत्र विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	130.00		
पु.	436.50		
	566.50	566.50	..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 436.50 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. पिछड़े क्षेत्र			
103. मगरा क्षेत्र विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	102.00		
पु.	695.50		
	797.50	797.50	..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 695.50 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
103. भाखडा और गंग क्षेत्र का विकास			
(03). अमर सिंह जस्साना डिस्ट्रीब्यूटरी			
[02]. अमर सिंह जस्साना परियोजना			
मू.	0.01		
पु.	235.23		
	235.24	235.24	..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 235.23 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में खाला (कोर्सेज) के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई।

105. सिद्धमुख नोहर प्रोजेक्ट			
(04) मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय विकास			
(इ.गा.न.प.) बीकानेर के माध्यम से			
मू.	0.01		
पु.	711.93		
	711.94	711.66	- 0.28

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 711.93 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में खाला (कोर्सेज) के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 022 – (समाप्त)

5. मण्डी विकास निधि –

चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मण्डियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए 1965-66 में *मण्डी विकास निधि* स्थापित की गयी थी।

यह निधि जो कि एक ब्याज रहित रिजर्व है, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। वर्ष के दौरान मण्डियों के विकास पर व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2022 को निधि में जमा शेष ₹ 4.82 लाख था जो कि वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 22 में दिखाया गया है।

अनुदान संख्या 023 – श्रम तथा रोजगार

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास तथा
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	14,09,03,07	14,09,03,13	10,82,41,01	– 3,26,62,12
अनुपूरक	6			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
				3,26,57,44
प्रभारित				
मूल	4	4	..	– 4
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
				4
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	26,00,03	26,00,03	13,94,95	– 12,05,08
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
				12,05,08

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
01. श्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रधान कार्यालय			
[01] प्रधान कार्यालय संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	660.87	558.29	557.59
अ .	0.01		
पु .	– 102.59		
			– 0.70

₹ 102.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 86 स्वीकृत पदों में से 24 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
101. रोजगार सेवाएं			
(05) रोजगार कार्यालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,651.23	1,477.87	1,477.89
पु.	- 173.36		+ 0.02
₹ 173.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अनुमान से महंगाई भत्ते में कम बढ़ोत्तरी के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. रोजगार सेवाएं			
101. रोजगार सेवाएं			
(06) नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट (मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज)			
[01] मॉडल करियर सेंटर			
मू.	343.93	29.57	29.57
पु.	- 314.36		..
31 मार्च 2022 को ₹ 314.36 लाख का प्रावधान नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 13 जिला रोजगार कार्यालयों के लिए मॉडल करियर सेंटर हेतु फर्नीचर एवं फिक्सचर, जॉब फेयर एवं आई टी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, क्योंकि इन कार्यालयों में नवीनीकरण का कार्य चल रहा था।			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) संकल्प योजना			
[01] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)			
मू.	1,511.00	662.90	662.90
पु.	- 848.10		..
31 मार्च 2022 को ₹ 848.10 लाख का प्रावधान संकल्प योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. रोजगार सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(11) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	69,733.00	41,725.82	41,725.81
अ.	0.04		- 0.01
पु.	- 28,007.22		
₹ 28,007.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर योजना को रोजगार योग्य बनाने के लिए, राज्य सरकार ने राज्य के विभागों में 1 जनवरी 2022 से चार घण्टे अनिवार्य इंटरनशिप के परिणामस्वरूप युवाओं में नई योजना के प्रति कम रुचि दिखाये जाने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
03. प्रशिक्षण			
102. प्रशिक्षु प्रशिक्षण			
(01) शिक्षुओं का प्रशिक्षण			
[01] शिक्षुओं का प्रशिक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	494.90	383.48	383.48
पु.	- 111.42		..

₹ 111.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्मिकों का अन्य लेखा मद में स्थानान्तरण होने से वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम
- (02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- [01] प्रशासनिक व्यय

मू.	280.51	165.98	165.98	..
पु.	- 114.53			

31 मार्च 2022 को ₹ 114.53 लाख का प्रावधान वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम
- (02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- [02] आई.ई.सी एक्टिविटीज

मू.	100.00
पु.	- 100.00			

31 मार्च 2022 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजी

दत्तमत

1. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 2,745.44 लाख, ₹ 711.38 लाख, ₹ 3,143.96 लाख, ₹ 1,972.20 लाख तथा ₹ 1,205.08 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 40.26 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों का निष्पादन अनुमान से कम होने के कारण बतायी गयी।

अनुदान संख्या 023 - (समाप्त)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(04) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	500.00		
पु.	- 65.45	434.55	434.55

31 मार्च 2022 को ₹ 65.45 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के शुरुआती महीनों में विभाग बंद होने से मशीनरी और उपकरण की खरीद प्रक्रिया में देरी तथा फर्म द्वारा क्रय आदेश के अनुसार सम्पूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। वस्तुओं की आपूर्ति में देरी पर फर्मों पर परिसमापन हर्जाना भी लगाया गया जो भी बचत का एक कारण रहा।

203. रोजगार
(10) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई.
[01] संयंत्र एवं उपकरण

मू.	100.00		
पु.	- 83.60	16.40	16.40

₹ 100.00 लाख का प्रावधान अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में नये आई.टी.आई. की स्थापना के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए अनुमानित था।

31 मार्च 2022 को ₹ 83.60 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण विभाग बंद होने से मशीनरी और उपकरण की खरीद प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

203. रोजगार
(15) स्ट्राइव (स्किल स्ट्रेगथनिंग फॉर इण्डस्ट्रीयल
वैल्यू एन्हैसमेंट)
[01] कौशल संवर्धन

मू.	2,000.00		
पु.	- 1,056.00	944.00	944.00

31 मार्च 2022 को ₹ 1,056.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 024 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,
2202. सामान्य शिक्षा,
2203. तकनीकी शिक्षा,
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं और
2205. कला एवं संस्कृति

पूंजी - 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,59,02,71,14	3,68,06,01,10	3,43,91,65,82	- 24,14,35,28
अनुपूरक	9,03,29,96			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				23,99,54,68
प्रभारित				
मूल	50,11	35,30,21	5,18,41	- 30,11,80
अनुपूरक	34,80,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				30,21,55
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	11,57,46,16	11,57,46,34	4,17,62,47	- 7,39,83,87
अनुपूरक	18			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				7,39,83,87
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				
राजस्व				
दत्तमत				

- सितम्बर, 2021 (₹ 0.08 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 90,329.88 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 90,329.96 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 2,41,435.28 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,480.60 लाख अनुभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) सामान्य व्यय-निदेशालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,920.35	1,678.61	1,676.83
पु.	- 241.74		
			- 1.78
₹ 241.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण			
[01] प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	7,200.00	6,439.74	6,439.74
पु.	- 760.26		
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 760.26 लाख का प्रावधान मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा बजट में 10 प्रतिशत की कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(09) स्कूल वापसी अभियान			
[01] निःशुल्क पोशाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय			
मू.	23,000.00
पु.	- 23,000.00		
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 23,000.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
112. विद्यालयों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम			
(01) मिड डे मील			
[02] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू.	68,900.00	63,759.97	63,759.87
अ.	32,800.00		
पु.	- 37,940.03		
			- 0.10
मार्च 2022 में द्वितीय अनुपूर्क अनुदान द्वारा लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की प्रत्याशा में मिड-डे-मिल पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लिया गया ₹ 32,800.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के तहत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2022 को ₹ 37,940.03 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] समग्र शिक्षा पर व्यय-सामान्य			
मू.	6,66,150.00	5,71,781.91	5,71,050.82
पु.	- 94,368.09		

₹ 94,368.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने, (ii) प्राथमिक शिक्षा विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा में उन्नयन होने के कारण कर्मचारियों का स्थानान्तरण तथा (iii) भर्ती प्रक्रिया में देरी होने के कारण नये शिक्षकों की भर्ती नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 731.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[04] राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (आर एस सी ई आर टी), उदयपुर पर व्यय			
मू.	1,620.03	877.06	877.06
पु.	- 742.97		

31 मार्च 2022 को ₹ 742.97 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
196. जिला परिषद/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) निरीक्षण			
[02] निरीक्षण कार्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,564.21	3,917.24	3,915.15
पु.	- 646.97		

₹ 646.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) निरीक्षण			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	500.00	121.25	121.25
पु.	- 378.75		

31 मार्च 2022 को ₹ 378.75 लाख का प्रावधान कोविड अवधि के दौरान स्कूलों के संचालन नहीं होने के कारण वाहनों को किराये के शीर्ष के अन्तर्गत स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) निरीक्षण			
[02] निरीक्षण कार्यालयों का संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	13,199.43	11,111.13	11,095.87
पु.	- 2,088.30		- 15.26

₹ 2,088.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के 57 प्रस्तावित नये कार्यालयों को खोलने की स्वीकृति देरी से जारी होने को आरोपित की गयी।

₹ 15.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण			
[01] माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा			
मू.	6,000.01	4,799.99	4,799.99
पु.	- 1,200.02		..

31 मार्च 2022 को ₹ 1,200.02 लाख का प्रावधान निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के विरुद्ध राजस्थान राज्य पाठ पुस्तक मंडल द्वारा बिल के वास्तविक प्रस्तुतीकरण के अनुसार अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा			
101. निरीक्षण			
(01) साधारण व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,353.72	4,581.33	4,580.95
पु.	- 772.39		- 0.38

₹ 772.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(19) माध्यमिक शिक्षा का कम्प्यूटराइजेशन			
मू.	582.17	16.03	16.03
पु.	- 566.14		..

31 मार्च 2022 को ₹ 566.14 लाख का प्रावधान मुख्यतः कम्प्यूटीकरण के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(20) गार्गी पुरस्कार			
मू.	9,660.00	5,000.00	5,000.00
पु.	- 4,660.00		..

31 मार्च 2022 को ₹ 4,660.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः गार्गी पुरस्कार के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल पिछले वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(23) लेपटॉप वितरण			
मू.	8,400.00
पु.	- 8,400.00
31 मार्च 2022 को ₹ 8,400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(29) मुख्यमंत्री जन सहभागिता विकास योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	1,700.00	1,300.00	..
पु.	- 400.00	1,300.00	..
31 मार्च 2022 को ₹ 400.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(32) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के संचालन पर व्यय			
मू.	3,400.00
पु.	- 3,400.00
31 मार्च 2022 को ₹ 3,400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(33) शिक्षण संस्थाओं को सहायता			
[01] निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से			
मू.	2,500.06
पु.	- 2,500.06
31 मार्च 2022 को ₹ 2,500.06 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(01) सैनिक स्कूल			
[01] सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ को सहायता			
मू .	1,275.00	675.00	675.00
पु .	- 600.00		
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(01) सैनिक स्कूल			
[02] सैनिक स्कूल, झुंझुनू को सहायता			
मू .	3,550.00	2,366.15	2,366.15
पु .	- 1,183.85		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,783.85 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[01] समग्र शिक्षा-सामान्य			
मू .	83,015.02	71,644.35	71,644.26
अ .	4,529.71		
पु .	- 15,900.38		
मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,529.71 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत देखते हुए अनावश्यक था। ₹ 15,900.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निदेशालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,860.28	1,619.40	1,619.41
पु .	- 240.88		
₹ 240.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(07) संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू .	628.00	428.00	428.00
पु .	- 200.00		
31 मार्च 2022 को ₹ 200.00 लाख का प्रावधान कोविड महामारी को देखते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(14) हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान			
मू .	1,675.00	727.00	727.00
पु .	- 948.00		..
₹ 948.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(20) विश्वविद्यालयों को अनुदान			
[06] एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर			
मू .	1,300.01	198.00	198.00
पु .	- 1,102.01		..
₹ 1,102.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(11) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय			
मू .	2,455.24	601.15	601.15
पु .	- 1,854.09		..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,854.09 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(13) राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)			
[01] राजकीय महाविद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	70,058.99	62,150.29	62,150.28
पु .	- 7,908.70		- 0.01
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(14) राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिये)			
[01] राजकीय महाविद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	19,111.48	16,476.24	16,476.24
पु .	- 2,635.24		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 10,543.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(02) महाविद्यालय को अनुदान			
मू.	100.01
पु.	- 100.01		
31 मार्च 2022 को ₹ 1,00.01 लाख का समस्त प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदानों का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	2,000.00	909.19	909.19
पु.	- 1,090.81		..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,090.81 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु आवेदनों के कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(01) निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा द्वारा			
मू.	267.74	139.78	139.78
पु.	- 127.96		..
31 मार्च 2022 को ₹ 127.96 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा वाहनों के किराये पर कम लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(04) निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा द्वारा			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,014.11	826.14	826.16
पु.	- 187.97		+ 0.02
₹ 187.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(05) पढ़ना लिखना अभियान			
[01] साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	1,386.00
पु.	- 1,386.00
31 मार्च 2022 को ₹ 1,386.00 लाख का समस्त प्रावधान पढ़ना लिखना अभियान के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(04) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय (प्राथमिक स्तर)			
[01] प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,401.59	799.66	799.66
पु.	- 1,601.93		..
₹ 1,601.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल कैडेट कोर			
[02] छोटी शाखाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	820.78	552.05	546.45
पु.	- 268.73		- 5.60
₹ 268.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए एन सी सी के संबंध में किसी भी गतिविधि के संचालन नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
₹ 5.60 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल कैडेट कोर			
[03] बड़ी शाखाएं-निदेशालय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,608.91	2,213.57	2,206.81
पु.	- 395.34		- 6.76
₹ 395.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 436 स्वीकृत पदों में से 193 पदों के रिक्त रहने तथा अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित कनिष्ठ लेखाकारों का अन्य लेखा मद में स्थानान्तरण के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
₹ 6.76 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम (08) भारत स्काउट एण्ड गाईड को अनुदान [01] माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से	मू. 100.00 पु. - 100.00
31 मार्च 2022 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2205. कला एवं संस्कृति 102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन (03) संगीत नाटक अकादमी को प्रोत्साहन हेतु अनुदान	मू. 560.00 पु. - 415.00	145.00	145.00 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 415.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन (11) जवाहर कला केन्द्र	मू. 853.50 पु. - 464.02	389.48	389.48 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 464.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन (16) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर	मू. 912.75 पु. - 709.00	203.75	203.75 ..
₹ 709.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम (33) आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण [01] आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण को सहायताार्थ अनुदान	मू. 3,100.33 पु. - 807.08	2,293.25	2,293.25 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 807.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
103. पुरातत्व विज्ञान			
(06) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू .	2,195.00	1,907.57	1,907.57
पु .	- 287.43		
31 मार्च 2022 को ₹ 287.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
105. सार्वजनिक पुस्तकालय			
(02) भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के माध्यम से			
[01] पुस्तकालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,337.33	1,081.48	1,081.46
पु .	- 255.85		
₹ 255.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 237 स्वीकृत पदों में से 100 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।			
107. संग्रहालय			
(01) संग्रहालय-प्रतिबद्ध			
मू .	898.90	795.25	795.25
पु .	- 103.65		
₹ 103.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

प्रभारित

1. ₹ 3,011.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,480.10 लाख का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।
2. ₹ 3,011.80 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में ₹ 3,021.55 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कालेज तथा संस्थान			
(13) राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)			
[01] राजकीय महाविद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01		
अ.	3,028.11	28.08	28.08
पु.	- 3,000.04		..

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,028.11 लाख का अनुपूरक विनियोजन लगभग अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2022 को ₹ 3,000.04 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजी

दत्तमत

1. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 14,402.96 लाख, ₹ 12,755.57 लाख, ₹ 10,598.52 लाख, ₹ 19,792.78 लाख तथा ₹ 73,983.87 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.63 प्रतिशत से 63.92 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(13) समग्र शिक्षा अभियान			
[01] निर्माण कार्य पर व्यय			
मू.	30,800.00		
पु.	- 30,396.67	403.33	403.33

31 मार्च 2022 को ₹ 30,396.67 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश नहीं जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 24,298.25 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,098.42 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(13) समग्र शिक्षा अभियान			
[02] निर्माण कार्य पर व्यय			
मू.	680.00
पु.	- 680.00

31 मार्च 2022 को ₹ 680.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

01. सामान्य शिक्षा
202. माध्यमिक शिक्षा
(17) नाबार्ड आर आई डी एफ XXIII के तहत निर्माण कार्य
[01] माध्यमिक विद्यालयों के तहत निर्माण कार्य

मू.	5,000.00
पु.	- 5,000.00

31 मार्च 2022 को ₹ 5,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. सामान्य शिक्षा
202. माध्यमिक शिक्षा
(18) नाबार्ड आर आई डी एफ XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य

मू.	5,763.00	700.00	700.00	..
पु.	- 5,063.00			

31 मार्च 2022 को ₹ 5,063.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. सामान्य शिक्षा
202. माध्यमिक शिक्षा
(19) नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण

मू.	15,000.00	7,500.00	7,500.00	..
पु.	- 7,500.00			

31 मार्च 2022 को ₹ 7,500.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(20) समग्र शिक्षा अभियान			
[01] माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू.	42,000.00		
पु.	- 21,143.07	20,856.93	20,856.93
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 21,143.07 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(22) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना			
[01] माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण कार्य			
मू.	2,500.01		
पु.	- 2,500.01
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,500.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(06) संस्कृत महाविद्यालय			
[01] भवन			
मू.	350.00		
पु.	- 143.79	206.21	206.21
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 143.79 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(07) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	3,557.00		
पु.	- 2,706.48	850.52	850.52
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,706.48 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(01) खेल विभाग के माध्यम से -जिला खेल कॉम्प्लेक्स			
मू .	7,637.50		
		2,906.65	2,906.65
पु.	- 4,730.85		..

31 मार्च 2022 को ₹ 4,730.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

04. कला तथा संस्कृति			
106. संग्रहालय			
(05) एस.एम.एस. टाउन हॉल तथा जलेबी चौक में अन्तर्राष्ट्रीय म्यूजियम की स्थापना हेतु			
मू .	100.00		
	
पु.	- 100.00		..

31 मार्च 2022 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(15) मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास			
मू .	1,000.00		
		1,699.38	1,699.38
पु.	699.38		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 699.38 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(21) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में निर्माण कार्य			
अ .	690.00		
पु.	690.00		
	1,380.00	1,380.00	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 690.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
(09) विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] हरिदेव जोशी जनसम्पर्क एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय			
अ .	0.01		
पु.	999.99		
	1,000.00	1,000.00	..
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
(09) विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य			
[03] डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर			
अ .	0.01		
पु.	249.99		
	250.00	250.00	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,249.98 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. सामान्य शिक्षा			
205. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
(01) राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान			
[01] संस्कृत शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू .	150.00		
पु.	112.00		
	262.00	262.00	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 112.00 लाख की अतिरिक्त निधियां लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(04) आई.आई.आई.टी. के निर्माण हेतु			
मू .	0.01		
पु.	792.99		
	793.00	793.00	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 792.99 लाख की अतिरिक्त निधियां आई.आई.आई.टी., कोटा के निर्माण पर कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 024 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(03) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति अधिकरण (आर एच पी पी ए)			
[01] राज.धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति अधिकरण में निर्माण कार्य			
अ .	0.01		
पु.	1,614.99		
	1,615.00	1,615.00	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,614.99 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(04) आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण (ए डी एम ए)			
[01] आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण में निर्माण कार्य			
अ .	0.01		
पु.	155.99		
	156.00	156.00	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,55.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़ को उधार			
मू .	0.01		
पु.	359.99		
	360.00	360.00	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 359.99 लाख की अतिरिक्त निधियां पाठ्य पुस्तक मण्डल से सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़ द्वारा लिये गये उधार के पुर्नभुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 025 – कोषागार व लेखा प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन

पूँजी – 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय,

7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज और

7999. आकस्मिकता निधि को विनियोजन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,53,60,97			
अनुपूरक	40,25,03	3,93,86,00	3,64,46,31	– 29,39,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				29,31,30
प्रभारित				
मूल	10,02			
अनुपूरक	..	10,02	15	– 9,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				9,87
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	5,00,00,00			
अनुपूरक	5,00,02	5,05,00,02	5,05,00,00	– 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,939.69 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा आईएफएमएस तृतीय चरण के लिए डॉटा सेंटर कम्पोनेंट की खरीद हेतु लिया गया ₹ 4,025.03 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
- ₹ 2,939.69 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 8.39 लाख अन्अभ्यर्पित रही ।

अनुदान संख्या 025 - (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(04) एस.पी.एफ.एम. राजस्थान परियोजना			
[01] विश्व बैंक पोषित			
मू.	4,211.00		
		2,140.71	
पु.	- 2,070.29	2,140.72	+ 0.01
₹ 2,070.29 लाख की प्रत्याशित बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 026 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
2211. परिवार कल्याण और
3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,16,27,29,12	1,18,98,70,22	1,14,09,66,41	- 4,89,03,81
अनुपूरक	2,71,41,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4,85,97,34
प्रभारित				
मूल	65,17	73,39	43,73	- 29,66
अनुपूरक	8,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				29,67
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	4,91,97,23	12,19,30,60	11,57,81,97	- 61,48,63
अनुपूरक	7,27,33,37			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				61,47,61
टिप्पणियाँ तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- सितम्बर, 2021 (₹ 0.02 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 27,141.08 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 27,141.10 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 48,903.81 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 306.47 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 001. निदेशन और प्रशासन (01) प्रधान कार्यालय स्थापना			
मू . 651.50	517.37	517.37	..
पु . - 134.13			

₹ 134.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
001. निदेशन और प्रशासन
(03) प्रधान कार्यालय
[01] प्रधान कार्यालय स्थापना-प्रतिबद्ध

मू . 5,130.60	4,583.42	4,578.94	- 4.48
पु . - 547.18			

₹ 547.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

₹ 4.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[01] जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर

मू . 3,188.60	2,778.46	2,784.21	+ 5.75
पु . - 410.14			

₹ 410.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, जिसके तथा ₹ 5.75 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[39] पी.बी.एम. मैन्स अस्पताल, बीकानेर-प्रतिबद्ध

मू . 6,511.89	5,904.20	5,900.79	- 3.41
पु . - 607.69			

₹ 607.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[52] उम्मेद अस्पताल, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू .	3,843.00		
		3,443.97	3,443.96
पु .	- 399.03		- 0.01
₹ 399.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[71] श्री खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाइट अस्पताल, पावटा, उदयपुर-प्रतिबद्ध			
मू .	1,296.78		
		1,024.59	1,024.58
पु .	- 272.19		- 0.01
₹ 272.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कुल 119 स्वीकृत पदों में से 34 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[73] राजकीय जिला अस्पताल, रामपुरा, कोटा-प्रतिबद्ध			
मू .	1,196.56		
		1,044.02	1,044.03
पु .	- 152.54		+ 0.01
₹ 152.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[74] जिला अस्पताल, बीकानेर-प्रतिबद्ध			
मू .	1,126.80		
		967.73	967.74
पु .	- 159.07		+ 0.01
₹ 159.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[13] औषधालय तथा सहायता चौकियाँ-प्रतिबद्ध			
मू.	12,837.60		
		11,396.33	11,393.39
पु.	- 1,441.27		- 2.94

31 मार्च 2022 को ₹ 1,441.27 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) जिला स्तरीय संस्थापन
[01] क्षेत्रीय और जिला स्थापना

मू.	569.00		
		443.44	441.85
पु.	- 125.56		- 1.59

₹ 125.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) जिला स्तरीय संस्थापन
[07] क्षेत्रीय और जिला स्तरीय संस्थापना-प्रतिबद्ध

मू.	6,367.80		
		5,538.47	5,536.34
पु.	- 829.33		- 2.13

₹ 829.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) जिला स्तरीय संस्थापन
[08] क्षय क्लिनिक-प्रतिबद्ध

मू.	3,997.85		
		3,337.70	3,335.86
पु.	- 660.15		- 1.84

₹ 660.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(01) निदेशन और प्रशासन			
मू .	1,171.60		
अ.	0.02	780.09	780.06
पु .	- 391.53		- 0.03
₹ 391.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) निरोगी राजस्थान के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने और (iii) कोविड-19 महामारी के कारण त्यौहारों तथा प्रदर्शनियों के कम आयोजन होने को आरोपित की गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(02) अस्पताल तथा औषधालय			
[04] अस्पताल और औषधालय -प्रतिबद्ध			
मू .	12,515.48		
पु .	- 1,671.75	10,843.73	10,842.82
₹ 1,671.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्मिकों/अधिकारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् पदों के रिक्त रहने एवं आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के मामलों का उसी वित्तीय वर्ष में अंतिमीकरण नहीं किये जाने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(06) आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायतार्थ अनुदान			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान			
मू .	3,050.00		
पु .	- 1,150.00	1,900.00	1,900.00
₹ 1,150.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(09) धन्वतरी आयुष स्वरोजगार योजना			
[01] निदेशालय आयुर्वेद विभाग			
मू .	1,000.03		
पु .	- 1,000.03
31 मार्च 2022 को ₹ 1,000.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(03) ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	2,428.50		
पु.	- 340.60	2,087.90	2,087.06
			- 0.84

₹ 340.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	30,262.00		
पु.	- 4,715.63	25,546.37	25,539.29
			- 7.08

₹ 4,715.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

₹ 7.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	79,811.20		
पु.	- 13,962.15	65,849.05	65,809.73
			- 39.32

₹ 13,962.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

₹ 39.32 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[05] स्वास्थ्य उप-केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	7,534.00		
पु.	- 1,709.46	5,824.54	5,821.09
			- 3.45

₹ 1,709.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा संविदा कर्मों की नियमित नियुक्ति के परिणामतः संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू .	2,020.94		
		1,772.08	1,771.98
पु .	- 248.86		- 0.10

₹ 248.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के प्रकरण में उसी वित्तीय वर्ष में अंतिमीकरण नहीं किये जाने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ
 101. आयुर्वेद
 (02) अस्पताल और औषधालय
 [01] अस्पताल और औषधालय-प्रतिबद्ध

मू .	69,210.16		
		57,211.10	57,202.73
पु .	- 11,999.06		- 8.37

₹ 11,999.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्मिकों/अधिकारियों का स्थानान्तरण होने के बाद पदों के रिक्त रहने तथा आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के प्रकरण में उसी वित्तीय वर्ष में अंतिमीकरण नहीं किये जाने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

₹ 8.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
 105. एलोपैथी
 (01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा
 [02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

मू .	2,243.50		
		1,997.78	1,996.22
पु .	- 245.72		- 1.56

₹ 245.72 लाख की अन्तिम बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों एवं कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
 105. एलोपैथी
 (01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा
 [03] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर

मू .	736.00		
अ .	0.01		
पु .	- 169.27		
		566.74	566.73
			- 0.01

₹ 169.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार संवीक्षा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नये हार्डवेयर की खरीद, आरोग्य ऑनलाईन प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में आपूर्ति एवं रखरखाव, ई-लाइब्रेरी हॉस्टल लेन, ई-क्लासरूम तथा सुरक्षा उपकरणों के सॉफ्टवेयर के प्रस्तावों के वापस प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[24] रविन्द्र नाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर-प्रतिबद्ध			
मू .	8,728.18		
पु .	- 1,199.32	7,528.86	7,528.85 - 0.01
₹ 1,199.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कुल 555 स्वीकृत पदों में से 206 पदों के रिक्त रहने, (ii) सी.एस. (पी.जी.) विद्यार्थियों का अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं होने के परिणामस्वरूप अध्ययन अवकाश वेतन के बकाया का भुगतान नहीं होने तथा (iii) सेवारत सीएस (अध्ययन के लिए स्वीकृति की पुष्टि) पीजी छात्रों के संबंध में अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र देरी से प्राप्त होने को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों को अनुदान			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू .	3,020.01		
पु .	- 3,000.01	20.00	20.00 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 3,000.01 लाख का प्रावधान मुख्यतः राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,014.75 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 985.26 लाख) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(06) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी			
[01] सहायतार्थ अनुदान			
मू .	17,550.01		
पु .	- 5,993.48	11,556.53	11,556.53 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 5,993.48 लाख का प्रावधान मुख्यतः राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,510.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 2,483.48 लाख) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(08) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू .	686.94		
पु .	- 686.94
31 मार्च 2022 को ₹ 686.94 लाख का समस्त प्रावधान झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था ।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलौपेथी			
(09) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू .	343.49
पु .	- 343.49		
31 मार्च 2022 को ₹ 343.49 लाख का समस्त प्रावधान झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू .	580.80	432.89	432.44
पु .	- 147.91		- 0.45
₹ 147.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(06) दृष्टिविकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम			
[20] दृष्टिविकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण-प्रतिबद्ध			
मू .	1,107.60	968.36	965.54
पु .	- 139.24		- 2.82
₹ 139.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(23) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम			
[01] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू .	5,159.70	3,899.61	3,879.52
पु .	- 1,260.09		- 20.09
31 मार्च 2022 को ₹ 1,260.09 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 20.09 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(24) राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण कार्यक्रम			
[01] राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू.	375.80		
पु.	- 108.86	266.94	266.95 + 0.01

₹ 108.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

06. लोक स्वास्थ्य
800. अन्य व्यय
(05) निरोगी राजस्थान
[01] डी.एम.एच.एस. के माध्यम से

मू.	700.03		
पु.	- 350.03	350.00	350.00 ..

31 मार्च 2022 को ₹ 350.03 लाख का प्रावधान कार्यालय खर्चों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

06. लोक स्वास्थ्य
800. अन्य व्यय
(06) जनता क्लीनिक
[01] डी.एम.एच.एस. के माध्यम से

मू.	165.60		
पु.	- 147.69	17.91	17.91 ..

31 मार्च 2022 को ₹ 147.69 लाख का प्रावधान मुख्यतः वर्ष के दौरान 142 में से केवल 15 जनता क्लीनिक खुलने तथा पदों पर कार्यरत कर्मियों का भुगतान इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स प्लान (ई.सी.आर.पी.) के माध्यम से करने से संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2211. परिवार कल्याण
003. प्रशिक्षण
(02) आक्जलरी नर्स, मिडवाइफ दाई और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

मू.	2,454.56		
पु.	- 794.35	1,660.21	1,659.28 - 0.93

₹ 794.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः केन्द्र प्रायोजित बुनियादी ढांचा रखरखाव योजना की मार्गदर्शिका के क्रम में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 60:40 (केन्द्र तथा राज्य हिस्सा) के पैटर्न पर स्वीकृत पदों के लिए वेतन पर 100 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सहायता शीर्ष से करने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[06] नई जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन			
मू .	302.00	184.42	184.42
पु .	- 117.58		..

₹ 302.00 लाख का प्रावधान चयनित संस्थाओं जिन्होंने जनसंख्या स्थिरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, को पुरस्कार राशि देने हेतु अनुमानित था। यद्यपि चुनी हुई संस्थाएं जिन्होंने योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड का पालन नहीं किया था, योजना से बाहर हो गयी, परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 117.58 लाख की प्रत्याशित बचत रही जो 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गयी।

105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[11] असफल नसबंदी प्रकरणों में मुआवजा			
मू .	450.00	124.65	124.35
पु .	- 325.35		- 0.30

31 मार्च 2022 को ₹ 325.35 लाख का प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में असफल नसबंदी के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा उनका हिस्सा बढ़ाने से मना करने पर राज्य स्तर पर दोगुना राशि/दर पर हर्जाने के भुगतान की सहायता से संबंधित मामले का निपटारा न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[12] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू .	4,120.00	2,060.00	2,060.00
पु .	- 2,060.00		..

₹ 4,120.00 लाख का प्रावधान शुभ लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं को पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा विद्यालय में प्रवेश लेने पर तीसरी किशत के भुगतान के लिए अनुमानित था। यद्यपि, कोविड महामारी को देखते हुए माता-पिता द्वारा अधिकांश बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाने से 31 मार्च 2022 को ₹ 2,060.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला परिवार केंद्रों का संचालन			
[01] परिवार कल्याण केंद्र			
मू .	8,979.55	7,935.84	7,934.39
पु .	- 1,043.71		- 1.45

₹ 1,043.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः केंद्र प्रायोजित बुनियादी ढांचा रखरखाव योजना की मार्गदर्शिका के क्रम में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 60:40 (केंद्र तथा राज्य हिस्सा) के पैटर्न पर स्वीकृत पदों के लिए वेतन पर 100 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सहायता शीर्ष से करने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	6,036.71	5,004.00	5,003.64
पु.	- 1,032.71		- 0.36
31 मार्च 2022 को ₹ 1,032.71 लाख का प्रावधान मुख्यतः महिला स्वास्थ्य कर्मियों के पदों के बडी संख्या में रिक्त रहने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर कार्यालयों द्वारा वेतन बिलों के एक माह से ज्यादा लम्बित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) ग्रामीण उप केन्द्रों का संचालन			
[01] ग्रामीण उप केन्द्र			
मू.	57,301.21	48,343.10	48,338.60
पु.	- 8,958.11		- 4.50
₹ 8,958.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के विरुद्ध महिला स्वास्थ्य कर्मियों के पदस्थापन नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां			
(01) परम्परागत गर्भ निरोधक			
मू.	1,400.00
पु.	- 1,400.00		
31 मार्च 2022 को ₹ 1,400.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से परम्परागत गर्भ निरोधक प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2019-20 तथा 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	4,466.00	1,891.67	1,891.67
पु.	- 2,574.33		..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,574.33 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
(03) भरपाई (लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के नियोक्ताओं के सहित)-प्रतिबद्ध			
मू .	1,450.00	1,997.09	1,997.09
पु .	547.09		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 547.09 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों के चिकित्सा पुनर्भरण के प्रकरणों की संख्या में बढ़ोत्तरी के कारण उपलब्ध कराई गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[08] सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

मू .	1,725.02	2,215.48	2,213.98	- 1.50
पु .	490.46			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 490.46 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) नई भर्ती/पदोन्नति एवं महंगाई भत्ते की दर बढ़ने के कारण वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय, (ii) मशीनरी और उपकरणों के रखरखाव पर बढ़े हुए व्यय, (iii) जीवन रक्षक औषधियों की खरीद तथा (iv) गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[31] महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा

मू .	1,386.80	1,569.54	1,569.53	- 0.01
पु .	182.74			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 182.74 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
101. आयुर्वेद
(02) अस्पताल तथा औषधालय
[01] अस्पताल तथा औषधालय
(निदेशक, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से)

मू .	1,796.90	2,172.07	2,166.79	- 5.28
पु .	375.17			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 375.17 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में वर्ष 2021-22 से सीकर, कोटा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करने पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 5.28 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 800. अन्य व्यय (01) निःशुल्क जाँच योजना [05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	मू . 1,740.31 पु . 297.05	2,037.36	2,030.21 - 7.15
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 297.05 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना को सुचारु रूप से चलाने हेतु सामग्री, संविदा सेवाओं, औषधियों एवं दवाईयों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। ₹ 7.15 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 800. अन्य व्यय (01) निःशुल्क जाँच योजना [06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा	मू . 1,715.21 पु . 315.91	2,031.12	2,029.71 - 1.41
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 315.91 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 800. अन्य व्यय (02) निःशुल्क दवा योजना [01] निःशुल्क दवा योजना-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर	मू . 2,040.00 पु . 207.92	2,247.92	2,247.92 ..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 207.92 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत जीवन रक्षक औषधियों (जैसे कैंसर, किडनी डायलिसिस, थैलेसीमिया आदि) की मांग की पूर्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा न कर पाने के मामलों में औषधियों की आपूर्ति में निरंतरता बनाये रखने के क्रम में चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध करवायी गयी।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(02) निःशुल्क दवा योजना			
[05] निःशुल्क दवा योजना-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू .	610.00	772.53	766.57
पु .	162.53		
			- 5.96

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 162.53 लाख की अतिरिक्त निधियां संविदा सेवाओं, औषधियों एवं दवाईयों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 5.96 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(20) निःशुल्क जाँच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू .	9,222.00	10,332.41	10,320.98
पु .	1,110.41		
			- 11.43

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,110.41 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के अन्तर्गत जाँच में प्रयुक्त उपभोज्य/अभिकर्मक के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान एवं संविदा कर्मियों की संख्या में बढोत्तरी तथा संविदा आधार पर लगे हुए कर्मियों को मानदेय के बकाया का भुगतान हेतु उपलब्ध करवायी गयी ।

₹ 11.43 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू .	1,15,880.00	1,87,847.00	1,87,847.00
अ.	27,141.01		
पु .	44,825.99		
			..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44,825.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 6,148.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए सितम्बर, 2021 (₹ 33,900.16 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 38,833.21 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 72,733.37 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 12,391.40 लाख, ₹ 7,195.86 लाख, ₹ 7,801.62 लाख, ₹ 6,428.26 लाख तथा ₹ 6,148.63 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी, जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.04 प्रतिशत से 42.03 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के लिए विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(07) निर्माण कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य			
विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	17,847.01		
पु.	- 16,458.91	1,388.10	1,388.10
			..
<p>31 मार्च 2022 को ₹ 16,458.91 लाख का प्रावधान (i) 2021-22 से पूर्व बनायी गयी धर्मशालाओं के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान नहीं होने, (ii) वित्त विभाग द्वारा ₹ 15,000.00 लाख की स्वीकृति जारी नहीं करने तथा (iii) ट्रॉमा केन्द्र के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ट्रॉमा केन्द्र के लिए उपकरणों की खरीद नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 16,458.90 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) किया गया।</p>			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	963.03		
पु.	- 121.82	841.21	841.20
			- 0.01
<p>₹ 121.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियाँ फरवरी, 2022 माह में जारी होने के कारण छत लीकेज मरम्मत कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी द्वारा निविदा प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।</p>			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	692.50		
पु.	- 448.94	243.56	242.52
			- 1.04
<p>31 मार्च 2022 को ₹ 448.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।</p>			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(12) स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	431.02
पु .	- 431.02
31 मार्च 2022 को ₹ 431.02 लाख का समस्त प्रावधान एकल निविदा पर अन्तिम निर्णय नहीं ले पाने के कारण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मोड पर लीनियर एक्सीलरेटर मशीन एवं बोन मेरो ट्रांसप्लांट (वी.एम.टी.) इकाई की खरीद नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(13) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	500.00
पु .	- 500.00
31 मार्च 2022 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(14) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	250.00	69.44	69.44
पु .	- 180.56
31 मार्च 2022 को ₹ 180.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(15) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू .	1,300.02
पु .	- 1,300.02
31 मार्च 2022 को ₹ 1,300.02 लाख का समस्त प्रावधान यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु नये उपकरणों की खरीद के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,240.04 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 59.98 लाख) किया गया ।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(16) पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू .	200.01
पु .	- 200.01
31 मार्च 2022 को ₹ 200.01 लाख का समस्त प्रावधान नवीन सुपर स्पेशलिटी विंग के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के अनुपात में कार्यकारी एजेंसी को निधियाँ जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(16) पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	500.00	399.72	..
पु .	- 100.28	399.72	..
31 मार्च 2022 को ₹ 100.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(17) पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-IV			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	400.00	292.98	..
पु .	- 107.02	292.98	..
31 मार्च 2022 को ₹ 107.02 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी एजेंसी को निधियां कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर			
मू .	1,200.00	205.00	+ 0.01
पु .	- 995.00	205.01	+ 0.01
31 मार्च 2022 को ₹ 995.00 लाख का प्रावधान (i) जी+8 आई.पी.डी. ब्लॉक के निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी का निश्चय नही होने, (ii) ठेकेदारों द्वारा बिल समय पर प्रस्तुत नहीं करने और कोषालय को प्रस्तुत किये बिल पास नहीं होने के परिणामतः वर्ष के दौरान भुगतान न होने, (iii) एकल निविदा प्राप्त होने/पर्याप्त निविदा प्राप्त न होने पर निविदा निरस्त होने के कारण पी जी सीट्स फेज-II के अन्तर्गत निष्पादन एजेंसी पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा विभागानुसार उपकरणों की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	2,500.00	160.57	160.57
पु.	- 2,339.43		..

31 मार्च 2022 को ₹ 2,339.43 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,000.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 339.43 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर

मू.	2,000.00	1,151.37	1,151.36	- 0.01
पु.	- 848.63			

₹ 848.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पी. जी. सीट फेज- II के लिए उपकरणों की खरीद हेतु प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति देरी से 28.01.2022 को जारी होने, जिसके कारण बहुत ही कम समय उपलब्ध था, इसलिए उपकरणों के लिए बोली प्राप्त नहीं हुई और तकनीकी रूप से स्वीकृत नहीं हुई तथा सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रक्रिया और आपूर्ति की गयी सामग्री की स्थापना 31.03.2022 तक पूरी न हो सकने के परिणामतः भुगतान जारी नहीं करने को आरोपित की गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर

मू.	1,800.00	787.30	787.30	..
पु.	- 1,012.70			

31 मार्च 2022 को ₹ 1,012.70 लाख का प्रावधान (i) चिकित्सा महाविद्यालय में पी जी हॉस्टल के निर्माण के लिए स्वीकृति 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अन्तिमीकरण तक जारी नहीं की गयी। यद्यपि, स्वीकृति 18.02.2022 को जारी की गयी परिणामतः केवल ₹ 50.00 लाख निष्पादन एजेंसी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये गये तथा (ii) नये उपकरणों की खरीद के लिए निधियां जारी न होने एवं आयातित उपकरणों की समय पर आपूर्ति न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(20) नवीन नर्सिंग महाविद्यालय			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू .	6,000.01		
पु .	- 5,592.01	408.00	408.00
₹ 5,592.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(21) नवीन पब्लिक हेल्थ कॉलेज			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू .	3,000.01
पु .	- 3,000.01
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(22) ट्राॅपिकल मेडिसिन एवं वायरोलोजी संस्थान			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू .	600.01
पु .	- 600.01
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(23) कार्डियोलोजी संस्थान			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू .	600.01
पु .	- 600.01
31 मार्च 2022 को उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 4,200.03 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,200.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.03 लाख) किया गया । यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(24) पीजी मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	600.01	100.00	100.00
पु .	- 500.01

31 मार्च 2022 को ₹ 500.01 लाख का प्रावधान प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा इस संस्थान के लिए अधिग्रहीत जमीन पर स्टॉफ आवास को ध्वस्त करने में देरी होने से उम्मेद अस्पताल में पी जी मातृत्व नवजात संस्थान भवन के निर्माण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(25) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	1,000.01		
		400.00	400.00
			..
पु .	- 600.01		

₹ 1,000.01 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के निर्माण के लिए अनुमानित था। यद्यपि, मथुरा दास माथुर अस्पताल के पास भूजल विभाग की जमीन के आवंटन की प्रक्रिया में लगे समय के कारण 31 मार्च 2022 को राशि ₹ 600.01 लाख अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित (₹ 600.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) की गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(27) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर			
अ .	350.01		
	
पु .	- 350.01		

सितम्बर, 2021 (₹ 350.00 लाख) एवं मार्च, 2022 (₹ 0.01 लाख) में निर्माण कार्यों के लिए लिया गया ₹ 350.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2022 को समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(27) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[02] झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज			
अ .	150.00		
	
पु .	- 150.00		

सितम्बर, 2021 में निर्माण कार्य के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹150.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च, 2022 को समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(15) औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण			
[01] औषधि नियंत्रक के माध्यम से			
मू .	0.03		
पु .	252.09	252.12	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 252.09 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया के दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(03) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजना			
[02] जिला एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/स्थापना			
मू .	0.02		
अ .	38,833.20	54,644.00	..
पु .	15,810.78		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,810.78 लाख की अतिरिक्त निधियां मशीनरी एवं उपकरणों के क्रय तथा निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
अ .	28,900.00		
पु .	6,308.00	35,208.00	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,308.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण			
मू .	610.00		
पु .	234.00	844.00	..

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू .	2,490.00		
पु .	870.00	3,360.00	3,360.00
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू .	2,693.35		
पु .	898.65	3,592.00	3,592.00
31 मार्च 2022 को उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,002.65 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
101. आयुर्वेद			
(04) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय			
अ .	500.00		
पु .	403.00	903.00	903.00
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 403.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	800.01		
पु .	1,199.29	1,999.30	1,999.30
31 मार्च 2022 को ₹ 1,199.29 लाख की अतिरिक्त निधियाँ बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में मथुरा दास माथुर अस्पताल में बहुमंजिला आई.सी.यू. के निर्माण तथा न्यूरो इन्टरवेंशन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए उपलब्ध करवायी गयी ।			

अनुदान संख्या 026 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[01] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
अ .	3,000.00		
पु .	2,018.47	5,018.47	5,018.47 ..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,018.47 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(15) यू.जी.सीट्स में अभिवृद्धि			
[05] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
अ .	0.04		
पु .	1,799.96	1,800.00	1,800.00 ..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,799.96 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(16) पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन-फेज-III			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू .	0.02		
पु .	499.98	500.00	500.00 ..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 499.98 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 027 – पेय जल योजना
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2215. जलपूर्ति तथा सफाई
पूंजी – 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	39,75,59,12			
अनुपूरक	4,32,81,40	44,08,40,52	43,11,55,72	– 96,84,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				88,68,77
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	85,42	85,43	75,66	– 9,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				9,77
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	43,61,15,63			
अनुपूरक	30	43,61,15,93	34,71,04,82	– 8,90,11,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				8,91,14,68

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 9,684.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 43,281.40 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 9,684.80 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 816.03 लाख अनुभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(04) जलपूर्ति योजना, भरतपुर-प्रतिबद्ध			
मू. 2,140.73	1,917.09	1,917.09	..
पु. - 223.64			
₹ 223.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) विद्युत् एवं जल प्रभार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(10) जलपूर्ति योजना, कोटा-प्रतिबद्ध			
मू. 7,554.44	6,487.26	6,475.37	- 11.89
पु. - 1,067.18			
₹ 1,067.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, विद्युत् एवं जल प्रभार, मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 11.89 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) निष्पादन			
मू. 5,712.79	5,128.36	5,128.15	- 0.21
पु. - 584.43			
₹ 584.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) शिल्पशाला			
मू. 3,790.02	2,819.44	2,815.87	- 3.57
पु. - 970.58			
₹ 970.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, मरम्मत एवं रखरखाव पर पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(11) निष्पादन			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	29,461.76	25,299.27	- 36.35
पु.	- 4,126.14		

₹ 4,126.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यालय व्यय तथा कार्यात्मक वाहनों का संचालन एवं रखरखाव पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 36.35 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. मल जल तथा सफाई
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(02) मल निकासी योजनाओं का संधारण
[01] स्थानीय निकायों को सहायता

मू.	660.00
पु.	- 660.00		

31 मार्च 2022 को ₹ 660.00 लाख का समस्त प्रावधान नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 89,011.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 89,114.68 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 68,302.17 लाख, ₹ 1,04,381.89 लाख, ₹ 1,02,252.63 लाख, ₹ 63,842.46 लाख तथा ₹ 89,011.11 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 17.51 प्रतिशत से 31.52 प्रतिशत के बीच थी। 2017-18 से 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
मू.	36,407.24	29,214.72	- 51.16
पु.	- 7,192.52		

31 मार्च 2022 को ₹ 7,192.52 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण से कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 51.16 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[12] बीसलपुर परियोजना से जयपुर जलपूर्ति (जे.बी.आई.सी.)			
मू.	140.00	..	62.28 + 62.28
पु.	- 140.00		
31 मार्च 2022 को ₹ 140.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा बिना प्रावधान के ₹ 62.28 लाख का व्यय किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
वर्ष 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[17] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	2,400.00	1,643.98	1,627.07 - 16.91
पु.	- 756.02		
31 मार्च 2022 को ₹ 756.02 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 16.91 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[18] जल पूर्ति योजनाओं का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण			
मू.	500.00	65.02	65.02 ..
पु.	- 434.98		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[22] प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार, सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवीकरण			
मू.	500.00	195.72	195.72 ..
पु.	- 304.28		

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[27] जवाई-पाली-जालोर जलपूर्ति योजना (जवाई-जोधपुर पाइप लाइन परियोजना)			
मू .	2,061.00		
पु .	- 2,019.44	41.56	41.56
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[31] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जल प्रदाय योजना			
मू .	1,717.50		
पु .	- 911.28	806.22	806.22
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[49] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू .	343.50		
पु .	- 175.84	167.66	167.66
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जल पूर्ति योजना, जोधपुर (ई.ए.पी.)			
मू .	4,465.50		
पु .	- 1,898.51	2,566.99	2,566.99
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[83] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू .	549.60		
पु .	- 307.86	241.74	241.74
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[83] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू .	549.60		
पु .	- 307.86	241.74	241.74

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[84] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	1,717.50		
पु .	- 1,326.18	391.32	391.32
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[87] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I, पार्ट- II (शहरी)			
मू.	687.00		
पु .	- 515.25	171.75	171.75
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[88] जवाई-पाली पाईपलाईन परियोजना फेज-द्वितीय, पार्ट-बी (शहरी)			
मू.	274.80		
पु .	- 228.62	46.18	46.18
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[96] बत्तीसा नाले पर बाँध बनाकर सिरौही जिले हेतु पेयजल योजना (शहरी)			
मू.	274.80		
पु .	- 206.10	68.70	68.70
उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 8,328.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[24] चम्बल परियोजना, भरतपुर			
मू.	150.00		
पु .	- 150.00
31 मार्च 2022 को ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[44] नागोर लिफ्ट कैनाल फेज-।			
मू .	1,000.00		
		250.11	250.11
पु .	- 749.89		..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[85] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू .	2,770.00		
		167.55	166.85
पु .	- 2,602.45		- 0.70
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 3,352.34 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[70] कम्प्यूटरीकरण/स्काडा सिस्टम/ई-गवर्नेन्स इत्यादि			
मू .	385.00		
		74.54	74.54
पु .	- 310.46		..
31 मार्च 2022 को ₹ 310.46 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण एवं तकनीकी उपकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[86] ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू	6,870.00		
		506.59	506.59
पु .	- 6,363.41		..
31 मार्च 2022 को ₹ 6,363.41 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(07) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू.	2,200.00		
		1,035.46	1,035.46
पु .	- 1,164.54		..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,164.54 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण से स्वीकृति कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(10) मूल्य हास आरक्षित निधि			
[01] मूल्य हास आरक्षित निधि के विरुद्ध जलपूर्ति योजनाओं का पुर्नउद्धार			
मू.	6,711.15		
	
पु .	- 6,711.15		..
31 मार्च 2022 को ₹ 6,711.15 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
वर्ष 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[02] बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय परियोजना, फेज-II (शहरी)			
मू.	4,594.39		
		3,741.54	3,738.54
पु .	- 852.85		- 3.00
31 मार्च 2022 को ₹ 852.85 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण से स्वीकृति कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[05] झंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	1,030.50		
		168.37	168.37
पु .	- 862.13		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी की जिले हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	893.10		
पु .	- 543.85	349.25	349.25 ..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,405.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[12] शहरी जलप्रदाय योजना, उदयपुर के लिए जयसमंद पेयजल संवर्धन योजना			
मू.	1,717.50		
पु .	- 1,717.50
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[13] राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना द्वितीय चरण			
मू.	137.40		
पु .	- 137.40
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,854.90 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[25] उम्मेद सागर जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू .	1,000.01		
पु .	- 645.97	354.04	354.04 ..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[30] कोलायत (नोखा) जलपूर्ति योजना			
मू .	206.11		
		42.00	42.00
पु .	- 164.11		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[41] तीवरी-मथानिया-ओसियां-बावड़ी भोपालगढ जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू .	549.61		
		161.23	161.23
पु .	- 388.38		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[46] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू .	1,622.00		
		27.61	27.61
पु .	- 1,594.39		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[52] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना, फेज- II, पार्ट-डी			
मू .	915.91		
		408.79	408.79
पु .	- 507.12		..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 3,299.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[48] नर्मदा-गुढामालानी जलपूर्ति योजना			
मू .	610.61		
		440.96	440.96
पु .	- 169.65		..
31 मार्च 2022 को ₹ 169.65 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[51] बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरौही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)			
मू .	1,259.40
पु .	- 1,259.40
31 मार्च 2022 को ₹ 1,259.40 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[61] गरड़दा पेयजल परियोजना			
मू .	1,030.50
पु .	- 1,030.50
31 मार्च 2022 को ₹ 1,030.50 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[59] नहरों का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण (बीकानेर)			
मू .	3,000.00	1,587.30	1,577.38
पु .	- 1,412.70		- 9.92
31 मार्च 2022 को ₹ 1,412.70 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण से स्वीकृति कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 9.92 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[63] परवन-अकावाद पेयजल परियोजना			
मू .	3,435.00	2,576.25	2,576.25
पु .	- 858.75		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[72] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई. डी.एफ. XXIII)			
मू .	2,748.00	1,717.51	1,717.51
पु .	- 1,030.49		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[74] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई. डी.एफ. XXV)			
मू .	8,816.10		
पु .	- 2,222.35	6,593.75	6,559.10 - 34.65
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 4,111.59 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
शीर्ष "4215-01-102(01) [74]" के अंतर्गत ₹ 34.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[68] राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना, चरण तृतीय			
मू .	4,866.00
पु .	- 4,866.00
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[71] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई. डी.एफ. XXII)			
मू .	343.50
पु .	- 343.50
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
[93] जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पंचायत समिति भैसरोडगढ़ के 38 गांवों में चम्बल नदी से ग्रामीण जलप्रदाय परियोजना			
मू .	648.05
पु .	- 648.05
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 5,857.55 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[69] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई. डी.एफ. XXVI)			
मू .	15,801.00		
पु .	- 5,070.13	10,730.87	10,730.87
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[73] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई. डी.एफ. XXIV)			
मू .	5,152.50		
पु .	- 4,356.71	795.79	795.79
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 9,426.84 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(02) पाइपों द्वारा ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[03] 2215- जलपूर्ति और सफाई 02-001(09) से स्थानान्तरित प्रतिशतता व्यय (प्रोरेटा)			
मू .	11,883.28		
पु .	- 1,248.26	10,635.02	10,635.02
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(19) चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जल प्रदाय योजना			
मू .	1,717.51		
पु .	- 921.13	796.38	796.38
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(36) नर्मदा परियोजना (नाबार्ड)			
मू .	1,030.51		
पु .	- 258.52	771.99	771.99

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(44) चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना (ई.ए.पी.)			
मू .	549.61		
पु .	- 224.84	324.77	324.77
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(48) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विभिन्न कम्पोनेंट्स का सुदृढीकरण-रिजूविनेशन			
मू .	600.00		
पु .	- 435.89	164.11	163.89
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(67) जवाई क्लस्टर परियोजना-II			
मू .	1,629.55		
पु .	- 163.49	1,466.06	1,466.06
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(95) नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज द्वितीय (डीडीपी) ग्रामीण			
मू .	1,030.51		
पु .	- 913.15	117.36	117.36
उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 4,165.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[01] अन्य ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
मू .	48,560.00		
पु .	- 13,773.83	34,786.17	34,713.19

₹ 13,773.83 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड-19 महामारी के कारण से कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 72.98 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(12) पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू .	1,200.00		
पु .	- 600.07	599.93	599.73 - 0.20
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(21) जनता जल योजना			
मू .	650.00		
पु .	- 268.12	381.88	380.45 - 1.43
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 868.19 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण से स्वीकृति कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(39) पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना			
मू .	13,104.70		
पु .	- 10,260.42	2,844.28	2,844.28 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 10,260.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 9,524.93 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 735.49 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(50) बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-II			
मू .	3,053.01		
पु .	- 2,381.54	671.47	671.47 ..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(68) बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकसू फागी एवं बस्सी			
मू .	3,244.00		
पु .	- 2,773.18	470.82	470.82 ..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 5,154.72 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[03] जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियां			
मू .	13,000.00		
पु .	- 2,528.44		
		10,471.56	10,471.28
			- 0.28
₹ 2,528.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[04] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलप्रदाय योजना			
मू .	1,297.60		
पु .	- 1,045.26		
		252.34	244.99
			- 7.35
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[05] बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल परियोजना			
मू .	1,946.40		
पु .	- 1,470.30		
		476.10	476.10
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[07] डीग पेयजल परियोजना			
मू .	1,297.60		
पु .	- 899.70		
		397.90	378.70
			- 19.20
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[08] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबाई)			
मू .	1,259.40		
पु .	- 930.58		
		328.82	328.82
			..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[09] बाइमेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-सी (नाबार्ड)			
मू.	4,579.51		
पु.	- 2,314.98	2,264.53	2,264.53
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[10] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर-जवाजा			
मू.	2,270.80		
पु.	- 1,387.68	883.12	883.12
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[11] गागरीन पेयजल परियोजना			
मू.	2,984.48		
पु.	- 2,496.19	488.29	488.28
01. जलपूर्ति			- 0.01
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[12] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	1,946.40		
पु.	- 1,183.18	763.22	763.22
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[14] चम्बल-भरतपुर क्लस्टर परियोजना-प्रथम चरण भाग-द्वितीय (नाबार्ड)			
मू.	7,785.60		
पु.	- 5,685.42	2,100.18	2,099.68
			- 0.50

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[15] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)			
मू .	1,992.31		
पु .	- 1,837.73	154.58	154.58
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[17] बाड़मेर जिले की शिव तहसील की नर्मदा से जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू .	6,106.01		
पु .	- 3,869.53	2,236.48	2,236.48
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[18] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू .	3,167.60		
पु .	- 1,440.91	1,726.69	1,726.69
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[22] क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना नावां तहसील			
मू .	648.80		
पु .	- 532.27	116.53	116.53
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[23] निवाई तथा टोंक तहसील के 199 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू .	2,595.20		
पु .	- 2,542.90	52.30	51.23
			- 1.07

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[24] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू .	2,595.20		
पु .	- 1,858.51	736.69	736.69
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[25] झुन्झुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति की चुरु बिसाउ परियोजना			
मू .	1,946.40		
पु .	- 304.90	1,641.50	1,641.50
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[26] बीसलपुर-चाकसू परियोजना			
मू .	2,595.20		
पु .	- 1,788.67	806.53	779.97
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[27] बीसलपुर फागी परियोजना			
मू .	1,297.60		
पु .	- 796.46	501.14	471.00
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[28] अंता-मांगरोल तहसील जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू .	3,179.12		
पु .	- 1,805.16	1,373.96	1,373.96

उपरोक्त उन्नीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 34,190.33 लाख प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

शीर्ष "4215-01-102(99) [04], [07], [26] तथा [27]" के अंतर्गत ₹ 83.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[29] बीसलपुर दूध परियोजना के अन्तर्गत 108 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू .	648.80
पु .	- 648.80
31 मार्च 2022 को ₹ 648.80 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित परियोजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
वर्ष 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[06] चूरु-झुन्झुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना			
मू .	549.55	252.61	..
पु .	- 296.94	252.61	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[31] पाली जिले की सोजत तहसील के 10 ग्राम पंचायतों की जोधपुर के दांतीवाडा आई.जी.एन.पी. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जलाशय से क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना			
मू .	1,297.60	966.26	..
पु .	- 331.34	966.26	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 628.28 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[33] राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण			
मू .	137.40	0.96	..
पु .	- 136.44	0.96	..
31 मार्च 2022 को ₹ 136.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(45) नागोर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-II (ई ए पी)			
मू .	16,488.00	18,232.96	18,898.22
पु .	1,744.96		
			+ 665.26
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 1,744.96 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा ₹ 665.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू .	81,012.00	94,763.93	94,746.95
पु .	13,751.93		
			- 16.98
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निरीक्षण एवं अनुश्रवण			
मू .	1,000.00	2,025.64	2,024.26
पु .	1,025.64		
			- 1.38
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[16] नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)			
मू .	1,221.21	1,623.61	1,623.61
पु .	402.40		
			..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 15,179.97 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा शीर्ष "4215-01-102(99) [01]" के अंतर्गत ₹ 16.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[13] चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू .	7,823.50		
		15,422.63	15,422.63
पु .	7,599.13		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[20] जवाई क्लस्टर परियोजना, पार्ट-चतुर्थ			
मू .	0.02		
		618.30	618.30
पु .	618.28		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[21] नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम			
मू .	1,622.00		
		2,021.95	2,021.95
पु .	399.95		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[32] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी जिले की हिंडौली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू .	5,701.49		
		6,397.38	6,397.38
पु .	695.89		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[34] वृहद पेयजल परियोजना मे रेट्रोफिटिंग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत एचएफटीसी उपलब्ध कराये जाने का कार्य			
अ.	0.02		
		19,888.85	19,888.85
पु .	19,888.83		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[36] बीकानेर जिले की खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना			
अ.	0.02		
पु .	824.38	824.40	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[38] झालावाड़ जिले की राजगढ़ बांध से झालरापाटन कस्बा तथा 104 ग्रामों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)			
अ.	0.02		
पु .	517.48	517.50	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[41] जोधपुर जिले की क्षेत्रीय जल प्रदाय भेर हरलाया (भाग प्रथम) परियोजना से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना			
अ.	0.02		
पु .	137.98	138.00	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[44] बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
अ.	0.02		
पु .	1,167.88	1,167.90	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[46] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण भाग- 'अ'			
अ.	0.02		
पु .	309.09	309.11	..

उपरोक्त दस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32,158.89 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 027 - (समाप्त)

5. **उचन्त लेन-देन** : 2021-22 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उचन्त" लेन-देनों का विभाजन विभिन्न उचन्त उप शीर्षों में आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है :-

लघु शीर्ष "उचन्त" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
		<i>(₹ लाख में)</i>		
स्टॉक	(+ 3,394.61	..	41.64	(+ 3,352.97
विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 3,221.17	(+ 3,221.17
योग	(+ 6,615.78	..	41.64	(+ 6,574.14

अनुदान संख्या 028 – ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	6,69,92,67	11,19,85,57	8,28,59,92	- 2,91,25,65
अनुपूरक	4,49,92,90			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,91,25,64
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3,06,00,00	6,80,00,00	6,80,00,00	..
अनुपूरक	3,74,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 29,125.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 44,992.90 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 16,425.57 लाख, ₹ 24,276.27 लाख, ₹ 21,378.99 लाख, ₹ 4,370.21 लाख तथा ₹ 29,125.65 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 4.77 प्रतिशत से 33.13 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 028 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
(पी.एम.के.एस.वाई.) वाटरशेड कम्पोनेन्ट			
[01] कार्यकलाप संबन्धी			
मू .	40,087.36		
पु .	- 28,916.86	11,170.50	11,170.50
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 28,916.86 लाख का प्रावधान *प्रधानमंत्री सिंचाई योजना-वाटरशेड कम्पोनेन्ट योजना* के सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) के बैंक खाते में निधियां कम स्थानान्तरित करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 22,743.31 लाख) तथा अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित (₹ 6,173.35 लाख) किया गया, क्योंकि भारत सरकार से निधियां जारी करने की स्वीकृति 31 मार्च 2022 को जारी की गयी थी ।

05. बंजर भूमि विकास
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(10) राजीव गाँधी जल संचय योजना
[01] जल संरक्षण योजना (सामान्य)

मू .	8,840.00		
अ .	4,414.20	8,571.53	8,571.53
पु .	- 4,682.67		..

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा *राजीव गांधी जल संचय योजना* के तहत लिया गया ₹ 4,414.20 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।

31 मार्च 2022 को ₹ 4,682.67 लाख का प्रावधान वित्त विभाग से माह मार्च, 2022 में संशोधित अनुमानों में अनुमोदित निधियों का प्रावधान प्राप्त होने और वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रशासनिक अनुमोदन प्रक्रियाधीन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतण परियोजना
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतण परियोजना (एन आर ई टी पी)

मू .	2,500.00		
पु .	- 1,261.77	1,238.23	1,238.23
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 1,261.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 028 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू .	1,246.65		
		915.68	915.68
पु .	- 330.97		..

31 मार्च 2022 को ₹ 330.97 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[01] अनुदान			
मू .	2,500.00		
		8,095.68	8,095.68
पु .	5,595.67		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,595.67 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 029 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2217. शहरी विकास और

3055. सड़क परिवहन

पूंजी – 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय ,

5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,

6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और

7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	60,34,41,00	60,34,41,02	51,54,35,49	– 8,80,05,53
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
प्रभारित				
मूल	3	3	..	– 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
3				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	13,23,84,19	34,82,84,15	31,14,95,18	– 3,67,88,97
अनुपूरक	21,58,99,96			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
3,57,82,77				
प्रभारित				
मूल	1	6,21,52	6,21,51	– 1
अनुपूरक	6,21,51			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
1				

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 88,005.53 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 403.88 लाख अनुभ्यर्पित रही ।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 1,10,361.23 लाख, ₹ 1,08,418.55 लाख, ₹ 90,058.24 लाख, ₹ 1,37,800.70 लाख तथा ₹ 88,005.53 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 12.96 प्रतिशत से 22.14 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

3. . बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[11] कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू. 559.82	422.44	422.44	..
पु. - 137.38			
31 मार्च 2022 को ₹ 137.38 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू. 21,800.01	3,000.00	3,000.00	..
पु. - 18,800.01			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
मू. 21,800.01	3,000.00	3,000.00	..
पु. - 18,800.01			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[03] उदयपुर स्मार्ट सिटी			
मू. 27,800.01	9,000.00	9,000.00	..
पु. - 18,800.01			

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 56,400.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 27,000.03 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 29,400.00 लाख) किया गया , जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

उपरोक्त राजस्व शीर्षों से राज्य सरकार की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु पूंजीगत अनुभाग में व्यय की बुकिंग के उद्देश्य से निधियों को संबंधित पूंजी शीर्ष में डायवर्ट किया गया था । स्मार्ट सिटी योजना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार या तो अनुदान जारी कर सकती है या इन कंपनियों में शेयर पूंजी के माध्यम से निवेश कर सकती है । इस प्रकार, उपरोक्त निधियों का संबंधित पूंजी शीर्षों में डायवर्ट करना स्मार्ट सिटी योजना के दिशा-निर्देशों और सरकारी लेखा नियम 1990 तथा आई.जी.ए.एस.-2 के अनुसार नहीं है ।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास सृजन हेतु			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[04] कोटा स्मार्ट सिटी			
मू.	21,800.01		
पु.	- 13,900.01	7,900.00	7,900.00

31 मार्च 2022 को ₹ 13,900.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

उपरोक्त राजस्व शीर्ष से राज्य सरकार की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु पूंजीगत अनुभाग में व्यय की बुकिंग के उद्देश्य से निधि को संबंधित पूंजी शीर्ष में डायवर्ट किया गया था। स्मार्ट सिटी योजना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार या तो अनुदान जारी कर सकती है या इन कंपनियों में शेयर पूंजी के माध्यम से निवेश कर सकती है। इस प्रकार, उपरोक्त निधि का संबंधित पूंजी शीर्ष में डायवर्ट करने स्मार्ट सिटी योजना के दिशा-निर्देशों और सरकारी लेखा नियम 1990 तथा आई.जी.ए.एस.-2 के अनुसार नहीं है।

80. सामान्य
001. निदेशन तथा प्रशासन
(06) स्थानीय निकायों के संचालक
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	1,305.40			
पु.	- 178.42	1,126.98	1,126.71	- 0.27

₹ 178.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा महंगाई भत्तों की दरों में अपेक्षा से कम वृद्धि होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय
[01] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

मू.	3,434.50			
पु.	- 3,434.50

31 मार्च 2022 को ₹ 3,434.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता
(36) स्वच्छ भारत मिशन
[01] स्वच्छ भारत मिशन

मू.	2,558.77			
पु.	- 1,579.47	979.30	979.30	..

31 मार्च 2022 को ₹ 1,579.47 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(38) ठोस कचरा प्रबन्धन			
[01] सामान्य			
मू.	900.50
पु.	- 900.50
31 मार्च 2022 को ₹ 900.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(42) 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[04] 14वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	5,895.44
पु.	- 5,895.44
31 मार्च 2022 को ₹ 5,895.44 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(46) सीवरेज लाईन की साफ सफाई			
[01] सामान्य			
मू.	900.50
पु.	- 900.50
31 मार्च 2022 को ₹ 900.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[01] मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	9,685.30
पु.	- 9,685.30
31 मार्च 2022 को ₹ 9,685.30 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 7,024.27 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,661.03 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[04] मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	19,507.97
पु.	- 19,507.97
31 मार्च 2022 को ₹ 19,507.97 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 19,507.96 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 0.01 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[07] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	2,910.19	1,391.55	1,391.55
पु.	- 1,518.64		..
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[10] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	4,365.30	2,087.31	2,087.31
पु.	- 2,277.99		..
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[13] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (सामान्य)			
मू.	541.16	63.05	63.05
पु.	- 478.11		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 4,274.74 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	300.00		
पु.	- 144.31	155.69	152.86
			- 2.83
31 मार्च 2022 को ₹ 144.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[01] स्वच्छ भारत मिशन			
मू.	6,027.44		
पु.	- 3,720.61	2,306.83	2,306.83
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 3,720.61 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(40) ठोस कचरा प्रबन्धन			
[01] सामान्य			
मू.	2,122.82		
पु.	- 2,122.82
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,122.82 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास (शहरी)			
मू.	13,514.03		
पु.	- 13,514.03
			..
₹ 13,514.03 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 13,514.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.03 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(46) 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[04] 14वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	14,563.88
पु.	- 14,563.88
31 मार्च 2022 को ₹ 14,563.88 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(49) टाउन हाल निर्माण			
[01] सामान्य			
मू.	3,434.50
पु.	- 3,434.50
31 मार्च 2022 को ₹ 3,434.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
वर्ष 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(50) सीवरेज लाइन की साफ सफाई			
[01] सामान्य			
मू.	2,122.82
पु.	- 2,122.82
31 मार्च 2022 को ₹ 2,122.82 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[01] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	24,043.79	12,085.43	12,085.43
पु.	- 11,958.36

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[04] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	36,065.65	18,128.16	18,128.16
पु.	- 17,937.49		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 29,895.85 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 29,895.83 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.02 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[07] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (सामान्य)			
मू.	1,369.13	159.51	159.51
पु.	- 1,209.62		..

31 मार्च 2022 को ₹ 1,209.62 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[02] ग्रीन टैक्स (सामान्य)			
मू.	21,847.00	17,383.67	17,383.67
पु.	- 4,463.33		..

31 मार्च 2022 को ₹ 4,463.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(08) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	25,000.01	5,423.76	5,423.29
पु.	- 19,576.25		- 0.47

31 मार्च 2022 को ₹ 19,576.25 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 19,576.24 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(21) जल संरक्षण उपकर निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्थानीय निकाय विभाग			
मू.	1,174.00
पु.	- 1,174.00

31 मार्च 2022 को ₹ 1,174.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	4,121.41	486.24	86.24
पु.	- 3,635.17		- 400.00

31 मार्च 2022 को ₹ 3,635.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 3,635.14 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 0.03 लाख) किया गया, जिसके तथा ₹ 400.00 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	2,060.70	2,569.00	..
पु.	508.30		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 508.30 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[17] उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	0.01	240.42	..
पु.	240.41		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 240.41 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	18,578.24	22,586.24	22,586.24
पु.	4,080.00		..
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	977.80	1,388.74	1,388.74
पु.	410.94		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,490.94 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(47) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[01] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
मू.	0.01	24,111.44	24,111.44
पु.	24,111.43		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,111.43 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (सामान्य)			
मू.	3,571.88	10,715.64	10,715.64
पु.	7,143.76		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,143.76 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	46,677.26	59,748.40	59,748.40
पु.	13,071.14		..

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	2,456.70	3,673.71	3,673.71
पु.	1,217.01		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,288.15 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(51) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[01] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
मू.	0.01	39,735.92	39,735.92
पु.	39,735.91		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39,735.91 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (सामान्य)			
मू.	3,297.12	9,891.36	9,891.36
पु.	6,594.24		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,594.24 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] मोटर यान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार (सामान्य)			
मू.	8,250.00	21,092.66	21,092.66
पु.	12,842.66		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,842.66 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को मोटर यान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार के हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार (सामान्य)			
मू.	29,215.00	34,511.00	34,511.00
पु.	5,296.00		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,296.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार के हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(04) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] राजस्थान शहरी विकास निधि के बजट			
शीर्ष 8229-200-(10) में अन्तरण (सामान्य)			
मू.	6,869.00	20,607.00	20,607.00
पु.	13,738.00		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,738.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान शहरी विकास निधि को हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 36,788.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2021 (₹ 75,961.51 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 1,39,938.45 लाख) में लिया गया ₹ 2,15,899.96 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 36,788.97 लाख की अंतिम बचत में से, राशि ₹ 1,006.20 लाख अनुभ्यर्पित रही जोकि सरकारी खाते में ₹ 1,349.99 लाख जमा कराने के कारण थी तथा अनुदान के अन्तर्गत प्रमुखता से बतायी गयी है। तथ्य को ध्यान में रखते हुये ₹ 35,782.77 लाख अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 55,084.44 लाख, ₹ 19,680.13 लाख, ₹ 48,961.28 लाख, ₹ 6,055.55 लाख तथा ₹ 36,788.97 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 4.09 प्रतिशत से 37.64 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) शहरी सड़कें एवं नालियां आदि (आर ओ बी)			
[07] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू. 3,091.05	486.57	486.57	..
पु. - 2,604.48			
31 मार्च 2022 को ₹ 2,604.48 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(02) राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना के माध्यम से (आर.यू.आई.डी.पी.) छः प्रमुख शहरों का विकास (ई.ए.पी.) निर्माण कार्य			
मू. 0.01	..	- 1,094.60	- 1,094.60
पु. - 0.01			
₹ 1,094.60 लाख का ऋण व्यय जोधपुर क्षेत्र में कार्य के कारण जोधपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त हुए बकाया अंशदान को जमा कराने के कारण था।			

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(03) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. द्वितीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू. 11.21	16.14	- 239.25	- 255.39
पु. 4.93			
₹ 239.25 लाख का ऋण व्यय द्वितीय चरण के तहत स्थानीय निकायों के लिए किये गये कार्यों के बकाया अंशदान के लिए स्वायत्त स्वशासन विभाग द्वारा जमा ₹ 255.39 लाख के कारण था।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(06) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास			
[01] प्रोग्राम लोन			
मू.	50,023.59		
पु.	- 13,372.15		
	36,651.44	36,651.45	+ 0.01
₹ 13,372.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) प्रोग्राम लोन के अन्तर्गत शामिल किये गये झालावाड, माउण्ट आबू और कोटा के सीवरेज कार्य की धीमी प्रगति, (ii) झालावाड शहर में सीवरेज लाईन के लिए चट्टानों की खुदाई में धीमी प्रगति, (iii) धामानी सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट पर सम्प वैल के कार्य का जनता के विरोध के कारण शुरू ना होना तथा (iv) समय पर भूमि आवंटन नहीं होने के कारण कोटा के सीवरेज कार्य को देने में देरी होने को आरोपित की गयी।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(01) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू.	0.01		
अ.	26,699.99	23,700.00	23,700.00
पु.	- 3,000.00		..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(01) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	0.01		
अ.	26,699.99	23,700.00	23,700.00
पु.	- 3,000.00		..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(01) स्मार्ट सिटी			
[04] कोटा स्मार्ट सिटी			
मू.	0.01		
अ.	31,599.99	23,700.00	23,700.00
पु.	- 7,900.00		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत सितम्बर, 2021 (₹ 27,800.00 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 57,199.97 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 84,999.97 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 13,900.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत) को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु निवेश अथवा इन कम्पनियों को अनुदान जारी करने के बजाय प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा निधियां जारी करने हेतु पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत खोले गये।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

इस कारण, राज्य बजट 2021-22 में प्रारम्भिक प्रावधान संबंधित राजस्व मुख्य शीर्ष "2217" के अन्तर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन करने हेतु इन कम्पनियों को अनुदान जारी करने हेतु लिया गया था जिसे इन कम्पनियों को पूंजी शीर्ष के अन्तर्गत निधियां जारी करने के उद्देश्य से अभ्यर्पित/अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। स्मार्ट सिटी स्कीम के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार या तो अंश पूंजी द्वारा कम्पनियों में निवेश कर सकती है अथवा उन्हें अनुदान जारी कर सकती है। इसलिए, राज्य सरकार की उपरोक्त कार्यवाही सरकारी लेखा नियम-1990, स्मार्ट सिटी स्कीम के दिशानिर्देशों और भारतीय सरकारी लेखा प्रणाली-2 के अनुसार नहीं है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(01) स्मार्ट सिटी			
[03] उदयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	0.01		
अ.	32,699.99	23,700.00	23,700.00
पु.	- 9,000.00		..

सितम्बर, 2021 में (₹ 10,900.00 लाख) और मार्च, 2022 (₹ 21,799.99 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 32,699.99 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। 31 मार्च 2022 को ₹ 9,000.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 6,789.79 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,210.21 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने सितम्बर, 2021 में (₹ 10,900.00 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 21,799.99 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा कम्पनी (कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत) को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु निवेश अथवा इन कम्पनियों को अनुदान जारी करने के बजाय पूंजीगत अनुभाग में नियमित व्यय हेतु निधियां जारी की।

इस कारण, राज्य बजट 2021-22 में प्रारम्भिक प्रावधान संबंधित राजस्व मुख्य शीर्ष "2217" के अन्तर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन करने हेतु इन कम्पनियों को अनुदान जारी करने हेतु लिया गया था जिसे इन कम्पनियों को पूंजी शीर्ष के अन्तर्गत निधियां जारी करने के उद्देश्य से अभ्यर्पित/अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। स्मार्ट सिटी स्कीम के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार या तो अंश पूंजी द्वारा कम्पनियों में निवेश कर सकती है अथवा उन्हें अनुदान जारी कर सकती है। इसलिए, राज्य सरकार की उपरोक्त कार्यवाही सरकारी लेखा नियम-1990, स्मार्ट सिटी स्कीम के दिशानिर्देशों और भारतीय सरकारी लेखा प्रणाली-2 के अनुसार नहीं है।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं
051. निर्माण
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं
[01] स्वायत्त शासन विभाग

अ .	11,460.43	5,563.34	5,563.34	..
पु .	- 5,897.09			

सितम्बर, 2021 (₹ 5,000.00 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 6,460.43 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 11,460.43 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 5,897.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड			
मू.	6,000.00
पु.	- 6,000.00

31 मार्च 2022 को ₹ 6,000.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को कर्ज जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[02] शहरी जनसहभागी योजना			
मू.	343.45	446.48	446.48
पु.	103.03

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 103.03 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर यू एस डी आई पी)			
[01] चतुर्थ चरण (ई ए पी)			
मू.	28,500.00	43,988.92	44,332.70
अ.	11,500.00	..	+ 343.78
पु.	3,988.92

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,988.92 लाख की अतिरिक्त निधियां सड़कों/भवनों के निर्माण कार्य पर हुए व्यय को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 343.78 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 029 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(03) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ .	0.01		
पु .	2,747.59	2,747.60	..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(05) ठोस कचरा प्रबन्धन			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ .	0.01		
पु .	3,023.31	3,023.32	..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(06) सीवरेज लाईन			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ .	0.01		
पु .	3,023.31	3,023.32	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,794.21 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व -	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
	2041.	वाहन कर,
	2055.	पुलिस,
	2056.	जेल,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं ,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2245.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत,
	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2404.	डेयरी विकास,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2435.	अन्य कृषि कार्यक्रम,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2705.	कमान क्षेत्र विकास,
	2801.	बिजली,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3054.	सड़क तथा सेतु,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3075.	अन्य परिवहन सेवाएं,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति और
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी -	4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
4215.	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4216.	आवास पर पूंजीगत परिव्यय,
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4220.	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4236.	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
4250.	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4401.	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
4403.	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
4406.	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
4425.	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
4515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4575.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4801.	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4802.	पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
4853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
4885.	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
5054.	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
5452.	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
5475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
6408.	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,
6425.	सहकारिता के लिए कर्ज,
6801.	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और
7055.	सड़क परिवहन के लिए अन्य कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

राजस्व

दत्तमत

मूल	1,56,84,46,08	1,77,33,95,03	1,58,42,05,85	- 18,91,89,18
अनुपूरक	20,49,48,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				18,75,60,10

प्रभारित

मूल	4	4	..	- 4
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	36,02,03,04	38,50,81,54	31,82,95,36	- 6,67,86,18
अनुपूरक	2,48,78,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				6,56,81,55

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,89,189.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2021 (₹ 0.10 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 2,04,948.85 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,04,948.95 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 1,89,189.18 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,629.08 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 1,33,700.81 लाख, ₹ 70,022.84 लाख, ₹ 1,52,010.66 लाख, ₹ 1,21,737.99 लाख तथा ₹ 1,89,189.18 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.50 प्रतिशत से 10.77 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
113. समग्र शिक्षा				
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा				
[03] समग्र शिक्षा अंतर्गत जनजातियों क्षेत्र उपयोजना (टी एस पी) पर व्यय				
मू.	1,09,515.00	91,511.05	91,413.03	- 98.02
पु.	- 18,003.95			

₹ 18,003.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों का माध्यमिक शिक्षा में उन्नयन के कारण कर्मचारियों का स्थानांतरण होने को आरोपित की गयी।

₹ 98.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[06] राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद अंतर्गत जनजातियों क्षेत्र उपयोगना (टी एस पी) पर व्यय			
मू.	378.03	186.20	186.20
पु.	- 191.83		..

31 मार्च 2022 को ₹ 191.83 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना
(11) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की
फीस का पुनर्भरण

मू.	7,800.00	5,890.86	5,890.77	- 0.09
पु.	- 1,909.14			

31 मार्च 2022 को ₹ 1,909.14 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) छात्रों का कम संख्या में प्रवेश होने, (ii) विद्यालयों में प्रवेश के बाद भौतिक सत्यापन के दौरान छात्रों की अपात्रता तथा (iii) दान आधारित चल रहे कुछ विद्यालयों द्वारा पुनर्भरण का दावा प्राप्त नहीं हुआ, यद्यपि, यह विद्यालय छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश देते हैं, के कारण शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को फीस के कम पुनर्भरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना
(12) मिड डे मील
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ

मू.	15,900.00	15,971.96	15,971.96	..
अ.	17,000.73			
पु.	- 16,928.77			

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मिड डे मील की गतिविधियों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 17,000.73 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए लगभग अनावश्यक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 16,928.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 10,113.23 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 6,815.54 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना
(15) स्कूल वापसी अभियान
[01] निःशुल्क पोषाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय

मू.	7,000.00
पु.	- 7,000.00			

31 मार्च 2022 को ₹ 7,000.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[03] समग्र शिक्षा-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	14,104.02		
		12,380.23	+ 0.01
पु.	- 1,723.79		

₹ 1,723.79 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

02. माध्यमिक शिक्षा

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

(04) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की छात्राओं को गार्गी/
प्रोत्साहन पुरस्कार

मू.	1,890.00		
		1,300.00	
पु.	- 590.00		

31 मार्च 2022 को ₹ 590.00 लाख का प्रावधान गार्गी पुरस्कार योजना 2021-22 के तहत छात्रों के चयन मानदंड के लिए राज्य सरकार से संशोधित स्वीकृति देर से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप केवल 2020-21 के बकाया दावों का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

(17) जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत संचालित योजनाएं
(जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)

[04] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण

मू.	2,889.30		
		2,578.25	- 13.55
पु.	- 311.05		

31 मार्च 2022 को ₹ 311.05 लाख का प्रावधान जनजाति कल्याण निधि के तहत छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्रों की शैक्षणिक उत्प्रेरण की योजनाओं पर व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 13.55 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. माध्यमिक शिक्षा

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

(18) लेपटॉप वितरण

मू.	1,600.00		
	
पु.	- 1,600.00		

31 मार्च 2022 को ₹ 1,600.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल, अजमेर से निधियां उपलब्ध कराकर निःशुल्क लेपटॉप का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2019-20 तथा 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(26) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के संचालन पर व्यय			
मू.	700.00
पु.	- 700.00
31 मार्च 2022 को ₹ 700.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	1,250.00	577.17	..
पु.	- 672.83	577.17	..
31 मार्च 2022 को ₹ 672.83 लाख का प्रावधान लाभार्थियों की कम संख्या के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जनजातियों के लिए			
मू.	438.55	104.86	..
पु.	- 333.69	104.86	..
31 मार्च 2022 को ₹ 333.69 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) पढ़ना लिखना अभियान			
[01] साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	214.00
पु.	- 214.00
31 मार्च 2022 को ₹ 214.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	7,588.60	6,339.39	6,335.97
पु.	- 1,249.21		
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	5,845.50	4,986.68	4,978.59
पु.	- 858.82		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 2,108.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
शीर्ष "2210-01-197(02) [04] " के अंतर्गत ₹ 8.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अन्य अस्पताल			
मू.	1,667.56	1,349.11	1,348.89
पु.	- 318.45		
₹ 318.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	6,117.30	4,946.63	4,945.65
पु.	- 1,170.67		
31 मार्च 2022 को ₹ 1,170.67 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अस्पताल तथा औषधालय-आयुर्वेद-प्रतिबद्ध			
मू.	4,262.85		
पु.	- 577.02	3,685.83	3,682.35
			- 3.48

₹ 577.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने तथा आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) के मामलों की स्वीकृति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(08) धन्वतरी आयुष स्वरोजगार योजना
[01] निदेशालय आयुर्वेद विभाग

मू.	500.03			
पु.	- 500.03

31 मार्च 2022 को ₹ 500.03 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(01) आयुर्वेद
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

मू.	981.69			
पु.	- 981.69

31 मार्च 2022 को ₹ 981.69 लाख का समस्त प्रावधान मार्च, 2022 तक राज्य वार्षिक कार्य योजना के स्वीकृत नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(04) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी
[01] सहायतार्थ अनुदान

मू.	4,050.00			
पु.	- 1,575.00	2,475.00	2,475.00	..

31 मार्च 2022 को ₹ 1,575.00 लाख का प्रावधान राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2211. परिवार कल्याण
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(02) ग्रामीण उपकेन्द्रों का संचालन
[02] जनजातिय क्षेत्र हेतु ग्रामीण उपकेन्द्र

मू.	11,245.80			
पु.	- 2,370.27	8,875.53	8,875.53	..

₹ 2,370.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के विरुद्ध महिला स्वास्थ्य कर्मियों की पदस्थापना नहीं होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[04] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू.	810.00		
पु.	- 405.00	405.00	405.00
			..
₹ 810.00 लाख का प्रावधान शुभ लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं को पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा विद्यालय में प्रवेश लेने पर तीसरी किशत के भुगतान के लिए अनुमानित था। यद्यपि, कोविड महामारी को देखते हुए माता-पिता द्वारा अधिकांश बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाने से 31 मार्च 2022 को ₹ 405.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	876.00		
पु.	- 423.50	452.50	452.50
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 423.50 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) राज्य सरकार द्वारा इस शीर्ष के माध्यम से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के बजाय पूंजी अनुभाग के तहत शीर्ष खोलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
[01] राज्य सरकार द्वारा प्रचलित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	974.66		
पु.	- 173.19	801.47	801.48
			+ 0.01
₹ 173.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्वीकृत पदों के विरुद्ध महिला स्वास्थ्य कर्मियों की पदस्थापना नहीं होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[03] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	674.00		
पु.	- 674.00
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 674.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	502.15	192.18	192.18
पु.	- 309.97		..
31 मार्च 2022 को ₹ 309.97 लाख का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(38) ठोस कचरा प्रबन्धन			
[03] जनजाति क्षेत्र योजना			
मू.	176.67
पु.	- 176.67		..
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(46) सीवरेज लाईन की साफ सफाई			
[03] जनजाति क्षेत्र उपयोगना			
मू.	176.67
पु.	- 176.67		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 353.34 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(42) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[06] 14 वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	1,156.94
पु.	- 1,156.94		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[03] मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (टी एस पी)			
मू.	1,900.69
पु.	- 1,900.69
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[06] मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (टी एस पी)			
मू.	3,828.33
पु.	- 3,828.33
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 6,885.96 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[09] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (टी एस पी)			
मू.	571.11	273.08	..
पु.	- 298.03	273.08	..
31 मार्च 2022 को ₹ 298.03 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[12] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (टी एस पी)			
मू.	856.67	409.63	..
पु.	- 447.04	409.63	..
31 मार्च 2022 को ₹ 447.04 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	1,182.90
पु.	- 1,182.90

31 मार्च 2022 को ₹ 1,182.90 लाख का समस्त प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(40) ठोस कचरा प्रबन्धन
[03] जनजातिय क्षेत्र योजना

मू.	416.26
पु.	- 416.26

31 मार्च 2022 को ₹ 416.26 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना
[03] सबके लिए आवास-अनुसूचित जनजातिय
क्षेत्र उपयोगना

मू.	2,652.04	935.80	935.80	..
पु.	- 1,716.24

31 मार्च 2022 को ₹ 1,716.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(46) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान
[06] 14 वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान

मू.	2,858.07
पु.	- 2,858.07

31 मार्च 2022 को ₹ 2,858.07 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(49) टाउन हाल निर्माण			
[03] जनजाति क्षेत्र उपयोजना			
मू.	674.00
पु.	- 674.00
31 मार्च 2022 को ₹ 674.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(50) सीवरेज लाईन की साफ सफाई			
[03] जनजाति क्षेत्र उपयोजना			
मू.	416.26
पु.	- 416.26
31 मार्च 2022 को ₹ 416.26 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[03] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू.	4,718.46	2,371.69	2,371.69
पु.	- 2,346.77		..
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[06] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू.	7,077.68	3,557.53	3,557.53
पु.	- 3,520.15		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[09] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (टी.एस.पी.)			
मू.	268.69		
पु.	- 237.39	31.30	31.30
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 6,104.31 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[44] अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[48] उद्यान विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
31 मार्च 2022 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
शीर्ष "2225-02-796(02) [44]" के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[51] पशु पालन परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	400.00
पु.	- 400.00
31 मार्च 2022 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान पशु पालन परियोजना हेतु अनुदान के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[53] स्वरोजगार हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	250.00
पु.	- 250.00
31 मार्च 2022 को ₹ 250.00 लाख का समस्त प्रावधान स्व-रोजगार हेतु अनुदान के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[54] कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	1,250.00
पु.	- 1,250.00
31 मार्च 2022 को ₹ 1,250.00 लाख का समस्त प्रावधान कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[55] कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	500.00
पु.	- 500.00
31 मार्च 2022 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान कौशल विकास परियोजना हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[58] विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम			
मू.	500.00
पु.	- 500.00
31 मार्च 2022 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)			
[07] कृषि विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	250.00
पु.	- 250.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)			
[18] कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	250.00
पु.	- 250.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान माडा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
[01] कृषि विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	283.92
पु.	- 283.92

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
[04] पशु पालन परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	250.00
पु.	- 250.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
[10] कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	250.00
पु.	- 250.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 783.92 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा			
मू.	30,500.00	27,494.98	27,277.95
पु.	- 3,005.02		- 217.03
31 मार्च 2022 को ₹ 3,005.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 217.03 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[05] परियोजना निर्माण			
मू.	245.87
पु.	- 245.87
31 मार्च 2022 को ₹ 245.87 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[13] जनजाति बालक बालिकाओं के लिए कोचिंग			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00

31 मार्च 2022 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	1,666.40	1,488.30	1,480.06
पु.	- 178.10		- 8.24

₹ 178.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः खाद्य सामग्री, प्रशिक्षण, पर्यटन और सम्मेलन, संविदात्मक व्यय और बिजली तथा जल प्रभार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 8.24 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) संकल्प योजना			
[02] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (जनजाति क्षेत्र के लिए)			
मू.	297.00	72.38	72.38
पु.	- 224.62		..

31 मार्च 2022 को ₹ 224.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. रोजगार सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(08) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	13,708.00	7,298.38	7,298.38
अ.	0.02		..
पु.	- 6,409.64		

31 मार्च 2022 को ₹ 6,409.64 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर योजना को रोजगार योग्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के विभागों में 01 जनवरी 2022 से चार घंटे की इंटरशिप अनिवार्य कर दी, जिसके परिणामस्वरूप युवाओं द्वारा नई योजना में कम रुचि दिखाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[03] जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	609.00	435.43	435.31
पु.	- 173.57		- 0.12

31 मार्च 2022 को ₹ 173.57 लाख का प्रावधान साथिन (महिला सहायिका) को मानदेय का भुगतान साथिन की वास्तविक संख्या के अनुसार किया गया तथा राज्य सरकार के वेतन प्रबंधक मॉड्यूल में तकनीकी समस्या के कारण बीकानेर, बाड़मेर एवं प्रतापगढ़ जिलों में मार्च, 2022 के अंतिम सप्ताह में मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(15) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग			
मू.	350.00	28.00	28.00
पु.	- 322.00		..

₹ 350.00 लाख का प्रावधान महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिये कर्ज हेतु अनुमानित था। यद्यपि, कोविड-19 महामारी के कारण अनुमानित बजट को ₹ 140.00 लाख तक कम कर दिया गया। तत्पश्चात, ₹ 140.00 लाख में से ₹ 28.00 लाख के कर्ज वितरित किए गए, शेष आवेदित राशि ₹ 112.00 लाख बैंकों द्वारा ऑनलाइन अग्रेषित नहीं किए गए थे। उपरोक्त को देखते हुए, 31 मार्च 2022 को ₹ 322.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(15) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[03] कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण			
मू.	597.10	256.21	256.21
पु.	- 340.89		..

31 मार्च 2022 को ₹ 340.89 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी की परिस्थिति को देखते हुए प्रशिक्षण, यात्रा तथा सेमिनारों पर कम व्यय होने और राज्य सरकार के वेतन प्रबंधक मॉड्यूल में तकनीकी समस्या के कारण मार्च, 2022 के अंतिम सप्ताह में बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम			
मू.	1,202.78	808.31	808.28
पु.	- 394.47		- 0.03

₹ 394.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[14] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
मू.	2,898.19		
पु.	- 2,252.07	646.12	646.10
			- 0.02
31 मार्च 2022 को ₹ 2,252.07 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[15] प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
मू.	1,870.71		
पु.	- 298.72	1,571.99	1,571.85
			- 0.14
31 मार्च 2022 को ₹ 298.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) तीर्थ यात्रा योजना			
[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना			
मू.	170.00		
पु.	- 170.00
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 170.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[18] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	3,900.00		
पु.	- 483.82	3,416.18	3,416.18
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 483.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[23] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार			
मू. 807.00	611.68	611.69	+ 0.01
पु. - 195.32			
31 मार्च 2022 को ₹ 195.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[27] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू. 174.60	10.38	10.37	- 0.01
पु. - 164.22			
31 मार्च 2022 को ₹ 164.22 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[35] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू. 700.41	232.29	232.29	..
पु. - 468.12			
31 मार्च 2022 को ₹ 468.12 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जनजातिय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू. 4,194.00	3,730.06	3,730.05	- 0.01
पु. - 463.94			
₹ 463.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	1,372.30		
		424.47	422.69
			- 1.78
पु.	- 947.83		

31 मार्च 2022 को ₹ 947.83 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। राज्य के बड़े क्षेत्र में शुष्क जलवायु के प्रचलित होने तथा बागवानी विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर अनचाही जलवायु दशाओं के प्रभाव के कारण राज्य में अनचाही एवं शुष्क जलवायु परिस्थितियों से उत्पन्न प्राथमिकता में परिवर्तन के कारण कृषकों द्वारा विभागीय योजना के लिए आवेदन नहीं किया गया। इसलिए योजना की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकी।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मू.	805.00		
		119.25	119.24
			- 0.01
पु.	- 685.75		

31 मार्च 2022 को ₹ 685.75 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से

मू.	615.00		
		84.78	84.78
			..
पु.	- 530.22		

31 मार्च 2022 को ₹ 530.22 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)
[03] पशु पालन विभाग के माध्यम से

मू.	330.00		
		1.30	1.30
			..
पु.	- 328.70		

31 मार्च 2022 को ₹ 328.70 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[12] डेयरी विभाग के माध्यम से			
मू.	450.00
पु.	- 450.00
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[13] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	360.00
पु.	- 360.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 810.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(71) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	515.10	178.62	..
पु.	- 336.48	178.62	..
31 मार्च 2022 को ₹ 336.48 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(74) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[02] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	210.00
पु.	- 210.00
31 मार्च 2022 को ₹ 210.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	1,808.00	1,378.22	- 0.01
पु.	- 429.78	1,378.21	- 0.01
31 मार्च 2022 को ₹ 429.78 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(81) सूक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम			
मू.	1,300.00		
पु.	- 1,133.92	166.08	164.13
			- 1.95

31 मार्च 2022 को ₹ 1,133.92 लाख का प्रावधान अक्टूबर, 2021 से केन्द्र तथा राज्य के हिस्से के भुगतान व्यवस्था का कार्यान्वयन अक्टूबर 2021 से प्रभावी हुआ तथा भुगतान प्रक्रिया के संचालन नहीं होने के कारण अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 तक केन्द्रीय हिस्से का भुगतान शून्य होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) पशु पालन विभाग			
[02] पशु अस्पताल और चिकित्सालय			
मू.	1,936.97		
पु.	- 261.54	1,675.43	1,675.42
			- 0.01

₹ 261.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पशु चिकित्सकों तथा पशुधन परिचारकों की भर्ती नहीं होने तथा (ii) परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद भी पशुधन सहायकों तथा अन्य कर्मियों को नियमित वेतनमान का भुगतान नहीं करने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) पंचायती राज संस्थानों में स्थानान्तरित कर्मचारियों का संस्थापन व्यय			
[02] जिला परिषदों को अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू.	202.60		
पु.	- 202.60
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 2,02.60 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) वन संरक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	1,439.43		
पु.	- 191.43	1,248.00	1,233.33
			- 14.67

31 मार्च 2022 को ₹ 191.43 लाख का प्रावधान मुख्यतः 146 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 14.67 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू.	4,281.47		
पु.	- 2,271.20	2,010.27	1,978.61
			- 31.66

31 मार्च 2022 को ₹ 2,271.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 31.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) कृषक कल्याण			
[01] मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना			
मू.	2,700.01
पु.	- 2,700.01

31 मार्च 2022 को ₹ 2,700.01 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित *कृषक कल्याण कोष* द्वारा *मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना* पर व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) कृषक कल्याण			
[02] कृषक उत्पादन संगठन योजना			
मू.	2,700.01
पु.	- 2,700.01

31 मार्च 2022 को ₹ 2,700.01 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित *कृषक कल्याण कोष* द्वारा *कृषक उत्पादन संगठन योजना* पर व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड कम्पोनेंट			
[02] कार्यकलाप संबन्धी (अनुसूचित जनजाति के लिए)			
मू.	10,611.36	78.25	78.25
पु.	- 10,533.11		..

31 मार्च 2022 को ₹ 10,533.11 लाख का प्रावधान *प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड घटक* योजना की एकल नोडल एजेंसी (एस एन ए) के बैंक खाते में निधियों के कम हस्तांतरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) राजीव गांधी जल संचय योजना			
[02] जल संरक्षण योजना (अनुसूचित जनजाति)			
मू.	2,340.00		
		1,731.83	1,731.83
पु.	- 608.17		..

31 मार्च 2022 को ₹ 608.17 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधियां देरी से जारी करने तथा वित्त वर्ष के अन्त तक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
[02] एन आर ई टी पी (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	1,000.00		
		716.75	716.75
पु.	- 283.25		..

31 मार्च 2022 को ₹ 283.25 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[01] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जनजाति)			
मू.	1,48,000.00		
		73,506.70	73,506.70
पु.	- 74,493.30		..

31 मार्च 2022 को ₹ 74,493.30 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जनजाति के लिए)			
मू.	40,627.12		
अ.	16,356.00	43,840.00	43,840.00
पु.	- 13,143.12		..

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 16,356.00 लाख का प्रावधान जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 13,143.42 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 11,360.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,783.12 लाख) किया गया, यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	377.75		
पु.	- 181.18	196.57	196.57
31 मार्च 2022 को ₹ 181.18 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(40) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	10,745.01		
अ.	6,912.79	8,496.02	8,496.02
पु.	- 9,161.78		
मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गतिविधियों की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 6,912.79 लाख का प्रावधान जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों से भी कम था।			
31 मार्च 2022 को ₹ 9,161.78 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(44) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत			
जिला परिषद के लिए निष्पादन अनुदान			
[02] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	1,155.87		
पु.	- 1,155.87
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत			
समिति के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[02] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	4,623.51		
पु.	- 4,623.51
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 5,779.38 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) जिला परिषद/पंचायत समिति के भवन निर्माण हेतु			
[03] पंचायती राज विभाग के माध्यम से अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	189.00
पु.	- 189.00

31 मार्च 2022 को ₹ 1,89.00 लाख का समस्त प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान
[02] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिये)

मू.	11,558.77			
अ.	36,889.36	39,779.10	39,779.10	..
पु.	- 8,669.03			

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 36,889.36 लाख का प्रावधान जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 8,669.03 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता
(36) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए निष्पादन अनुदान
[02] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिये)

मू.	17,338.16			
पु.	- 17,338.16

31 मार्च 2022 को ₹ 17,338.16 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2700. मुख्य सिंचाई
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(02) यूनिट-II (नहर)-प्रतिबद्ध

मू.	1,017.42	844.72	834.14	- 10.58
पु.	- 172.70			

₹ 172.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्य भारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा चयनित वेतन श्रृंखला में कार्य भारित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं होने के कारण मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 10.58 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) विद्युत शुल्क के प्रति अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	5,980.52		
		5,303.08	5,303.08
पु.	- 677.44		..

31 मार्च 2022 को ₹ 677.44 लाख का प्रावधान विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कर के संग्रहण के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनी को विद्युत शुल्क के एवज में सहाय्य जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना			
[01] ब्याज अनुदान			
मू.	1,050.00		
		608.38	608.38
पु.	- 441.62		..

31 मार्च 2022 को ₹ 441.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2852. उद्योग			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) शहरी क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड योजना			
[01] राजस्थान वित्त निगम को सहायता			
मू.	3,500.00		
	
पु.	- 3,500.00		..

31 मार्च 2022 को ₹ 3,500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) स्टार्टअप हेतु सीड मनी			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	700.00		
	
पु.	- 700.00		..

31 मार्च 2022 को ₹ 700.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार			
[01] महानगरों के अतिरिक्त शहरी सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार			
मू.	6,740.00
पु.	- 6,740.00		

31 मार्च 2022 को ₹ 6,740.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

3055. सड़क परिवहन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	808.80	16.00	16.00
पु.	- 792.80		..

31 मार्च 2022 को ₹ 792.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) राजस्थान जन आधार योजना			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	732.02	243.14	243.14
पु.	- 488.88		..

31 मार्च 2022 को ₹ 488.88 लाख का प्रावधान (i) नए पी.वी.सी. जन आधार कार्ड के वितरण एवं छपाई पर निर्णय नहीं होने तथा (ii) अन्य आई.टी. कार्यों, ए.टी.एम. में नकद प्रबंधन तथा स्वयं सेवा कियोस्क (शहरी और ग्रामीण) के लिए राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कम मांग होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	1,500.00	3,400.00	3,400.00
पु.	1,900.00		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,900.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम
(उद्योग विभाग)
[02] ब्याज अनुदान

मू.	2,100.00	2,900.00	2,900.00
पु.	800.00		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2202. सामान्य शिक्षा
01. प्रारम्भिक शिक्षा
113. समग्र शिक्षा
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा
[06] स्टार परियोजना
(जनजातीय क्षेत्र उपयोजना पर व्यय)

मू.	24.97	1,463.00	1,463.00
पु.	1,438.03		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,438.03 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों
को सहायता
(16) प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों
को अनुदान
[02] विद्यालय संचालन पर व्यय (जनजाति क्षेत्र)

मू.	20,010.00	25,009.92	25,009.92
पु.	4,999.92		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,999.92 लाख की अतिरिक्त निधियां महंगाई भत्ते की बढ़ी दरों पर हुए व्यय के भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिए पॉलिटेक्निक विद्यालय			
मू.	290.30	519.26	519.26
पु.	228.96		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 228.96 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) और सातवें वेतन आयोग के अनुसार शैक्षिक कर्मियों के वेतन निर्धारण तथा (ii) न्यायालय के निर्णयों की अनुपालना में शैक्षिक अधिकारियों के बकाया के भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल को अनुदान			
मू.	176.00	430.19	430.19
पु.	254.19		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 254.19 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	1,200.00	1,477.61	1,477.61
पु.	277.61		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 277.61 लाख की अतिरिक्त निधियां पी.जी., सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और इंटर्न में पढने वाले छात्रों को देय वजीफे की दरों में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(07) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	2,404.28	2,745.14	2,742.94
पु.	340.86		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 340.86 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत परीक्षण में प्रयुक्त उपभोग्य सामग्रियों/अभिकर्मकों की बकाया देनदारियों के भुगतान और संविदा पर लगे कर्मियों को बकाया मानदेय के भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी।			- 2.20

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला परिवार केन्द्रों का संचालन			
[02] जनजातीय क्षेत्र हेतु परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	1,763.85	1,964.54	1,963.43
पु.	200.69		
			- 1.11
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.69 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्र प्रायोजित बुनियादी ढाँचा रखरखाव योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर 100 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा राज्य सरकार द्वारा वेतन एवं भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्यांश जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना			
मू.	1,753.00	1,931.00	..
पु.	178.00		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 178.00 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	3,645.87	4,432.42	4,432.42
पु.	786.55		
			..
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(47) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत सहायता			
[03] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत सहायता			
मू.	0.01	4,731.74	4,731.74
पु.	4,731.73		
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,518.28 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय/राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (टी.एस.पी.)			
मू.	700.96	2,102.88	2,102.88
पु.	1,401.92		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,401.92 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	9,160.13	11,725.26	11,725.26
पु.	2,565.13		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,565.13 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[06] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	482.11	720.95	720.95
पु.	238.84		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 238.84 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(51) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[03] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
मू.	0.01	7,797.92	7,797.92
पु.	7,797.91		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,797.91 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (टी.एस.पी.)			
मू.	647.04	1,941.12	1,941.12
पु.	1,294.08		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,294.08 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(04) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] राजस्थान शहरी विकास निधि के बजट शीर्ष 8229-200-(10) में अन्तरण (टी.एस.पी.)			
मू.	1,348.00	4,044.00	4,044.00
पु.	2,696.00		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,696.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान शहरी विकास निधि को निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) अनुसूचित जनजाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू.	1,600.00	2,600.51	2,548.50
अ.	0.01		- 52.01
पु.	1,000.50		

₹ 1,600.00 लाख का प्रावधान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत पीडित/आश्रितों को तुरन्त सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.50 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष से सम्बन्धित बकाया दायित्वों के भुगतान तथा अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सी सी टी एन एस) से विभागीय पोर्टल के एकीकरण से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 52.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) अनुसूचित जनजाति के लिए सहयोग योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	500.00	1,084.74	1,081.07
पु.	584.74		- 3.67

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 584.74 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में नई श्रेणियों को सम्मिलित करने तथा भुगतान दर में वृद्धि करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जन जाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायताार्थ अनुदान			
[56] विद्युत/डीजल पम्प सेट वितरण, कुंओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाईप लाईन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु अनुदान			
मू.	300.00		
पु.	289.66	589.66	589.66

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 289.66 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[45] स्वरोजगार हेतु अनुदान			
मू.	0.01		
पु.	499.99	500.00	500.00

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 499.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[47] जनजाति विकास कोष अंतर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य, डेयरी, पशुपालन, कृषि उद्यानिकी, कुसुम, कौशल उन्नयन इत्यादि कार्यक्रम			
अ.	0.01		
पु.	599.99	600.00	600.00

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 599.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[03] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	475.00		
पु.	311.04	786.04	785.72
			- 0.32
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 311.04 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[18] सहरिया के लिए एकीकृत विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	2,700.00		
पु.	1,747.47	4,447.47	4,447.47
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,747.47 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[14] संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत जनजाति विकास हेतु अन्य विविध कार्यक्रम			
अ.	0.01		
पु.	1,860.44	1,860.45	1,860.45
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,860.44 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अतिरिक्त गतिविधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	6,800.00		
पु.	782.16	7,582.16	7,538.72
			- 43.44
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 782.16 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 43.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) कोविड-19 के अंतर्गत जरूरतमंद (गैर पेंशनर) व्यक्तियों को सहायता			
[03] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	10,200.00	11,220.00	11,220.00
पु.	1,020.00		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,020.00 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2401. फसल कृषि-कर्म

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु
[29] परम्परागत कृषि विकास योजना

मू.	494.58	1,418.80	1,418.80
पु.	924.22		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 924.22 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

- (51) उद्यान विभाग के माध्यम से
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु सहायता (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)

मू.	1,584.08	5,999.99	5,999.45	- 0.54
पु.	4,415.91			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,415.91 लाख की अतिरिक्त निधियां संयंत्र की प्रारंभिक लागत अधिक होने से कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सहाय्य सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी। इसके व्यापक प्रचार के कारण कृषकों में इसके लिए मांग भी अधिक थी। एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में समस्त राशि हस्तान्तरित करने के कारण भी अधिक व्यय प्रदर्शित हो रहा है।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2404. डेयरी विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान			
मू.	6,500.00		
		7,280.00	7,280.00
पु.	780.00		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 780.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(35) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	0.01		
		6,439.00	6,439.00
पु.	6,438.99		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,438.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[02] अनुदान (अनुसूचित जनजाति के लिए)			
मू.	4,400.00		
		8,769.97	8,769.97
पु.	4,369.97		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,369.97 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[02] अनुदान			
मू.	1,000.01		
		3,238.27	3,238.27
पु.	2,238.26		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,238.26 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
25 15. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	1,985.85	3,271.07	3,271.07
पु.	1,285.22		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,285.22 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	473.58	1,166.67	1,166.67
पु.	693.09		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 693.09 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	770.58	2,651.93	2,651.93
पु.	1,881.35		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,81.35 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	7,943.40	13,041.99	13,041.99
पु.	5,098.59		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,098.59 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	3,082.34		
		10,607.75	10,607.75
पु.	7,525.41		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,525.41 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	350.00		
		910.00	907.98
पु.	560.00		- 2.02
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 560.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) ग्रीड से जुड़े हुए पम्प सेटो के सौर ऊर्जाकरण हेतु कुसुम योजना के अन्तर्गत सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ .	0.01		
		190.68	190.68
पु .	190.67		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 190.67 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषक ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना के क्रियान्वयन हेतु निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् दरों में राहत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ .	0.01		
		932.96	932.96
पु .	932.95		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 932.95 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के क्रियान्वयन हेतु निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ .	0.01		
		4,955.62	4,955.62
पु .	4,955.61		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,955.61 लाख की अतिरिक्त निधियां वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित विद्युत् वितरण कंपनियों के 50 प्रतिशत नुकसान को अधिग्रहण करने के लिए उपलब्ध करायी गयी। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने जी.एस.डी.पी. के 0.50 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा प्रदान की जो बिजली क्षेत्र में प्रदर्शन और सुधार से जुड़ी हुई हैं।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(29) खादी की बिक्री पर रिबेट			
[01] खादी वस्त्रों की बिक्री पर रिबेट हेतु अनुदान			
मू .	150.00		
		400.00	400.00
पु .	250.00		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आई पी डी एस)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू .	350.00		
		800.00	800.00
पु .	450.00		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 450.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू .	5,018.67		
		9,526.25	9,526.25
पु .	4,507.58		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,507.58 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी को देखते हुए मुफ्त गेहूँ के परिवहन, संग्रहण एवं वितरण पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. सितम्बर, 2021 (₹ 20,615.71 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 4,262.79 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 24,878.50 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. ₹ 66,786.18 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,104.63 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
3. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 62,826.57 लाख, ₹ 77,881.07 लाख, ₹ 63,792.59 लाख, ₹ 1,279,29.14 लाख तथा ₹ 66,786.18 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.23 प्रतिशत से 37.21 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,061.95	400.00	400.00
पु.	- 661.95		..
31 मार्च 2022 को ₹ 661.95 लाख का प्रावधान कार्यो का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय			
(2059-80-001(02) [03])			
मू.	385.99	26.68	26.68
पु.	- 359.31		..
31 मार्च 2022 को ₹ 359.31 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	1,837.07	902.71	902.71
पु.	- 934.36		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	942.48	275.00	275.00
पु.	- 667.48		..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) न्यायिक भवन (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना)			
मू.	1,769.91	100.69	100.69
पु.	- 1,669.22		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 3,271.06 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			

मू.	678.00	162.12	162.12
पु.	- 515.88		..

31 मार्च 2022 को ₹ 515.88 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			

मू.	1,070.00	130.00	130.00
पु.	- 940.00		..

31 मार्च 2022 को ₹ 940.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] समग्र शिक्षा में निर्माण कार्य पर व्यय			
मू.	5,720.00		
पु.	- 5,623.32	96.68	96.68

31 मार्च 2022 को ₹ 5,623.32 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू.	7,800.00		
पु.	- 2,793.37	5,006.63	5,006.63

31 मार्च 2022 को ₹ 2,793.37 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,676.02 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,117.35 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	3,055.00		
अ.	0.01	650.00	650.00
पु.	- 2,405.01		

31 मार्च 2022 को ₹ 2,405.01 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,405.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	5,600.13		
पु.	- 5,564.22	35.91	35.91

31 मार्च 2022 को ₹ 5,564.22 लाख का प्रावधान 10 ट्रॉमा केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,238.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 326.22 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	452.01	226.05	226.05
पु.	- 225.96		..
31 मार्च 2022 को ₹ 225.96 लाख का प्रावधान एस.आर. छात्रावास के निर्माण में कार्यों की धीमी गति तथा महाविद्यालय में नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	471.89	164.59	164.58
पु.	- 307.30		- 0.01
₹ 307.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः लोक निर्माण विभाग द्वारा आधुनिकीकरण के नए कार्यों को शुरू नहीं करने को आरोपित की गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	240.01	65.19	64.35
पु.	- 174.82		- 0.84
31 मार्च 2022 को ₹ 174.82 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा डायग्नोस्टिक विंग के निर्माण को निरस्त करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	800.00	530.02	530.02
पु.	- 269.98		..
31 मार्च 2022 को ₹ 269.98 लाख का प्रावधान एकल निविदा पर अंतिम निर्णय नहीं लेने के कारण पी.पी.पी. मोड़ पर लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन तथा बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बी.एम.टी.) यूनिट की खरीद नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
31 मार्च 2022 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	700.00	477.75	477.75
पु.	- 222.25
31 मार्च 2022 को ₹ 222.25 लाख का प्रावधान यू.जी. सीटों में वृद्धि के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए उपकरण की खरीद के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	150.01
पु.	- 150.01
31 मार्च 2022 को ₹ 150.01 लाख का समस्त प्रावधान सुपर स्पेशियलिटी विंग के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी एच.एस.सी.सी. लिमिटेड/एच.आई.टी.ई.एस. को निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। कार्य की समीक्षा के बाद किए गए कार्य के अनुपात में कार्यकारी एजेंसी को भुगतान किया जाना था।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) पी.एम.एस.एस.वाई के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-IV			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,700.00	1,050.00	1,050.00
पु.	- 650.00
31 मार्च 2022 को ₹ 650.00 लाख का प्रावधान उपकरण के कम क्रय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस.चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	3,300.00	738.05	738.05
पु.	- 2,561.95		..

31 मार्च 2022 को ₹ 2,561.95 लाख का प्रावधान (i) जी+8 आई.पी.डी. ब्लॉक के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी का अंतिमीकरण नहीं करने, (ii) राज्य सरकार द्वारा विकसित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मॉड्यूल के द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति जारी करने का निर्णय लेने के बाद, तकनीकी कारण से भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित कार्यप्रवाह प्रबंधन प्रणाली (जी.डब्ल्यू.एम.एस. मॉड्यूल) के माध्यम से समय पर ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया नहीं होने, (iii) ठेकेदारों द्वारा बिलों को समय पर प्रस्तुत नहीं करने तथा कोषालय को प्रस्तुत बिल पास नहीं होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान भुगतान नहीं होने तथा (iv) एकल निविदा प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण पी.जी. सीट फेज-II के तहत कार्यकारी एजेंसी पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उपकरणों का क्रय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

मू.	700.00	21.05	21.05	..
पु.	- 678.95			

31 मार्च 2022 को ₹ 678.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा

मू.	500.02
पु.	- 500.02			

31 मार्च 2022 को ₹ 500.02 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	11,063.00		
पु.	- 3,563.00	7,500.00	7,500.00
31 मार्च 2022 को ₹ 3,563.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) नवीन नर्सिंग महाविद्यालय			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	2,000.01		
पु.	- 1,838.01	162.00	162.00
₹ 1,838.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) नवीन पब्लिक हेल्थ कॉलेज			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	1,000.01		
पु.	- 1,000.01
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलोजी संस्थान			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	200.01		
पु.	- 200.01
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) कार्डियोलोजी संस्थान			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	2,00.01		
पु.	- 2,00.01
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,400.03 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) पी जी मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	200.01
पु.	- 200.01		
31 मार्च 2022 को ₹ 200.01 लाख का समस्त प्रावधान इस संस्थान के लिए अधिग्रहित भूमि पर स्टाफ क्वार्टरों को गिराने में देरी के कारण उम्मेद अस्पताल में पी.जी. मेटरनिटी नियोनेटोलॉजी संस्थान भवन के निर्माण पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	500.01	250.00	250.00
पु.	- 250.01		..
31 मार्च 2022 को ₹ 250.01 लाख का प्रावधान मथुरा दास माथुर चिकित्सालय के समीप कैंसर संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी के परिणामस्वरूप निर्माण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[01] ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
मू.	9,520.00	6,200.83	6,179.13
पु.	- 3,319.17		- 21.70
₹ 3,319.17 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 21.70 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[02] 2215- जलपूर्ति और सफाई-01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिये संधारण-प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)			
मू.	2,415.00	1,787.00	1,787.00
पु.	- 628.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 628.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[20] पोकरण-फलसुंड जल प्रदाय परियोजना			
मू.	2,990.50		
		493.77	
पु.	- 2,496.73		..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,496.73 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,690.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 806.73 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[26] नर्मदा-गुढा मलानी जलपूर्ति योजना			
मू.	169.01		
		..	
पु.	- 169.01		..
31 मार्च 2022 को ₹ 169.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[27] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना-फेज-2			
मू.	845.01		
		155.08	
पु.	- 689.93		..
31 मार्च 2022 को ₹ 689.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[30] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	337.51		
		168.76	
पु.	- 168.75		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[40] जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू.	442.75		
		277.99	
पु.	- 164.76		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[41] बीसलपूर-दूदू परियोजना-चाकसू फागी एवं बस्सी			
मू.	760.00
पु.	- 760.00
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[58] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	380.00	2.95	..
पु.	- 377.05	2.95	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[66] जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पंचायत समिति भैसरोड़गढ़ के 38 गांवों के चम्बल नदी से ग्रामीण जलप्रदाय परियोजना			
मू.	151.24
पु.	- 151.24
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[68] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-द्वितीय (डीडीपी) ग्रामीण			
मू.	202.51	20.72	..
पु.	- 181.79	20.72	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[73] बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिसोही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)			
मू.	321.00
पु.	- 321.00

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[74] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना, फेज- II पार्ट-डी			
मू.	253.51		
पु.	- 160.18	93.33	93.33
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[81] गरडदा पेयजल परियोजना			
मू.	202.50		
पु.	- 202.50
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[83] परवन-अकावाद पेयजल परियोजना			
मू.	675.00		
पु.	- 220.34	454.66	454.66
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[88] राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना, चरण तृतीय			
मू.	1,140.00		
पु.	- 1,140.00
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[89] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXVI)			
मू.	3,105.00		
पु.	- 1,198.34	1,906.66	1,906.66

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[92] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXIII)			
मू.	540.00		
पु.	- 202.50	337.50	337.50
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[93] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXIV)			
मू.	1,012.50		
पु.	- 833.35	179.15	179.15
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[94] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXV)			
मू.	2,026.50		
पु.	- 322.23	1,704.27	1,704.27
उपरोक्त पन्द्रह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 6,404.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	7,000.00		
पु.	- 2,121.33	4,878.67	4,865.94
31 मार्च 2022 को ₹ 2,121.33 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 12.73 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[04] जवाई-पाली पाइप लाइन परियोजना			
मू.	405.00
पु.	- 405.00
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[06] चम्बल बालेर सवाई माधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	337.50	165.00	165.00
पु.	- 172.50		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[13] शहरी जलप्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	877.50	457.56	457.56
पु.	- 419.94		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	450.00	260.58	257.98
पु.	- 189.42		- 2.60
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[43] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	337.50	48.70	48.70
पु.	- 288.80		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू.	509.00
पु.	- 509.00		
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,984.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[45] ईसरदा बाँध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	1,350.00	95.32	95.32
पु.	- 1,254.68		..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,254.68 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[56] झूंगरपुर, आसपुर एवं डोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	202.50
पु.	- 202.50		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[63] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूँदी जिले को हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	175.50
पु.	- 175.50		

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[64] शहरी जलप्रदाय योजना के लिए जयसमंद पेयजल संवर्धन योजना			
मू.	337.50
पु.	- 337.50
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 715.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू.	20,856.00	18,772.54	18,767.33
पु.	- 2,083.46		- 5.21
₹ 2,083.46 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 5.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[02] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	304.00	31.92	31.92
पु.	- 272.08		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[03] बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल परियोजना			
मू.	456.00	81.00	81.00
पु.	- 375.00		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[05] डीग पेयजल परियोजना			
मू.	304.00	41.09	41.09
पु.	- 262.91		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[06] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबार्ड)			
मू.	321.00		
पु.	- 283.93	37.07	37.07
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[07] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-सी (नाबार्ड)			
मू.	1,267.51		
पु.	- 633.75	633.76	633.76
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[08] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर-जवाजा			
मू.	532.00		
पु.	- 398.33	133.67	133.67
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[09] गागरीन पेयजल परियोजना			
मू.	699.20		
पु.	- 398.84	300.36	300.35
01. जलपूर्ति			- 0.01
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[10] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	456.00		
पु.	- 304.50	151.50	151.50
01. जलपूर्ति			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[12] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर क्लस्टर परियोजना प्रथम चरण भाग- द्वितीय (नाबार्ड)			
मू.	1,824.00		
		374.73	374.73
पु.	- 1,449.27		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[13] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	391.51		
		30.38	30.38
पु.	- 361.13		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[15] बाडमेर जिले की शिव तहसील की नर्मदा से जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	1,690.01		
		583.64	583.64
पु.	- 1,106.37		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू.	794.00		
		407.99	407.99
पु.	- 386.01		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[21] निवाई तथा टोंक तहसील के 199 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू.	608.00		
		4.54	4.54
पु.	- 603.46		..

उपरोक्त तेरह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 6,835.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[22] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू.	608.00	361.00	361.00
पु.	- 247.00		
₹ 247.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[24] बीसलपुर-चाकसू परियोजना			
मू.	608.00	146.06	146.06
पु.	- 461.94		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[25] बीसलपुर फागी परियोजना			
मू.	304.00	109.72	109.72
पु.	- 194.28		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[26] अंता-मांगरोल तहसील जिला बांरा की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू.	744.80	236.26	235.60
पु.	- 508.54		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[27] बीसलपुर दूदू परियोजना के अन्तर्गत 108 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू.	152.00
पु.	- 152.00		

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,316.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) न्यायिक आवास			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता सा.नि.वि. के माध्यम से)			
मू.	530.97		
		9.64	9.63
पु.	- 521.33		- 0.01
31 मार्च 2022 को ₹ 521.33 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकार्यों के लिए			
मू.	606.60		
		95.49	95.49
पु.	-511.11		..
31 मार्च 2022 को ₹ 511.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ.	2,000.00		
		1,135.73	1,135.73
पु.	- 864.27		..
सितम्बर, 2021 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2022 को ₹ 864.27 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण			
मू.	1,000.00		
	
पु.	- 1,000.00		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] नहरों का सुदृढीकरण			
मू.	500.00
पु.	- 500.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[03] जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरुत्थान			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 2,500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[01] आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	2,785.00	2,235.00	..
पु.	- 550.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[02] अभियांत्रिकी महाविद्यालय भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	500.00
पु.	- 500.00

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[05] हेण्ड पम्प स्थापना सहित पेयजल योजनाएं			
मू. 300.00			
	79.30	79.30	..
पु. - 220.70			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[11] खेल छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 616.05			
	250.00	250.00	..
पु. - 366.05			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[13] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव			
मू. 1,000.00			
	685.15	685.15	..
पु. - 314.85			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[14] राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण			
मू. 600.00			
	212.50	212.50	..
पु. - 387.50			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[17] राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य			
मू. 500.00			
	183.28	183.28	..
पु. - 316.72			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[19] टी.ए.डी. के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	912.00
पु.	- 912.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[20] अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत माँ बाड़ी केन्द्रों का निर्माण, सुविधाओं का विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	1,600.00	500.00	500.00
पु.	- 1,100.00
उपरोक्त नो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 4,667.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[04] बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) माडा क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[03] जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) आंगनबाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अंतर्गत			
मू.	300.00
पु.	- 300.00		
31 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र तथा उपकरण			
मू.	350.00	89.25	89.25
पु.	- 260.75		..
31 मार्च 2022 को ₹ 260.75 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारम्भिक महीनों में कोविड महामारी से कार्यालयों के बन्द होने के कारण अधिकांश आई.टी.आई. भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से उपकरण एवं संयंत्र की खरीद प्रक्रिया में देरी से तथा मशीन तथा उपकरण की खरीद नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] सहकारी विभाग के माध्यम से ग्रामीण गोदामों का निर्माण			
मू.	700.00	435.00	435.00
पु.	- 265.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 265.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	425.00	6.62	6.62
पु.	- 418.38		..
31 मार्च 2022 को ₹ 418.38 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु चिकित्सालय तथा पशु चिकित्सालय उप केन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी- XXIV			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
31 मार्च 2022 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राज्य स्तर, जिला पॉलीक्लिनिकस, पशु चिकित्सा अस्पतालों और उप-केन्द्रों/औषधालयों का निर्माण-नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.- XXVI)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,500.00	1,000.00	1,000.00
पु.	- 500.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 500.00 लाख का प्रावधान राज्य स्तर, जिला पॉलीक्लिनिकस, पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्रों/औषधालयों के निर्माण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	1,260.00	230.00	230.00
पु.	- 1,030.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,030.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	857.00	445.50	445.50
पु.	- 4,11.50		..
31 मार्च 2022 को ₹ 411.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	1,550.75		
पु.	- 764.62	786.13	720.92
34. धोलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	2,800.00		
पु.	- 1,128.44	1,671.56	1,671.56

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,893.06 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "4700-24-796(01)" के अंतर्गत ₹ 65.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. सोमकमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,000.00		
पु.	- 195.74	804.26	803.11

31 मार्च 2022 को ₹ 195.74 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	490.00		
पु.	- 430.20	59.80	59.80

31 मार्च 2022 को ₹ 430.20 लाख का प्रावधान परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के लिए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) तकली परियोजना			
मू.	280.00		
पु.	- 210.00	70.00	70.00

31 मार्च 2022 को ₹ 210.00 लाख का प्रावधान परियोजना से संबंधित लाभार्थियों को मुआवजे के भुगतान हेतु अनुग्रह राशि की स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	6,30.00		
अ.	0.01	3,41.91	3,41.91
पु.	- 2,88.10		..
₹ 288.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	2,402.49		
पु.	- 766.31	1,636.18	1,555.87
₹ 766.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			
₹ 80.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[03] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.- XXVI			
मू.	1,322.00		
पु.	- 1,108.52	213.48	212.32
31 मार्च 2022 को ₹ 1,108.52 लाख का प्रावधान परियोजना से सम्बन्धित नए कार्यों की वांछित प्रगति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) परियोजनाओं का पुनर्जीवन/उन्नयन/ आधुनिकीकरण, नवीनीकरण			
मू.	872.93		
पु.	- 868.51	4.42	4.42
31 मार्च 2022 को ₹ 868.51 लाख का प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) कार्यक्रम के माध्यम से			
मू.	3,926.00		
		1,754.03	1,754.03
पु.	- 2,171.97		..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,171.97 लाख का प्रावधान ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं होने के परिणामस्वरूप कुछ बड़े कार्य शुरू नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	4,166.40		
		2,156.00	2,156.00
पु.	- 2,010.40		..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	2,800.00		
		1,400.00	1,400.00
पु.	- 1,400.00		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 3,410.40 लाख का प्रावधान दोनों विद्युत् कंपनियों द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा कम निवेश करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	2,100.00		
अ .	1,984.00	3,071.27	3,071.27
पु.	- 1,012.73		..
सितम्बर, 2021 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,984.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2022 को ₹ 1,012.73 लाख का प्रावधान विद्युत् कंपनी द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा कम निवेश करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	196.00
पु.	- 196.00		

31 मार्च 2022 को ₹196.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) जोधपुर में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (ii) जोधपुर तथा कोटा में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2017-18 से 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	477.17	279.14	279.14
पु.	- 198.03		..

31 मार्च 2022 को ₹198.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	10,784.00	4,604.43	4,604.43
पु.	- 6,179.57		..

31 मार्च 2022 को ₹ 6,179.57 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजन करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

यद्यपि, वर्ष 2021-22 के दौरान, केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के तहत शेष की अनुपलब्धता के कारण सी. आर. एफ. से व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की गई क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त राशि को सी आर एफ में हस्तान्तरित नहीं किया था।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) निजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू.	403.81		
		33.29	33.29
पु.	- 370.52		..
31 मार्च 2022 को ₹ 370.52 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू.	15,128.03		
		7,050.03	7,050.03
पु.	- 8,078.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 8,078.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजन करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू.	6,260.36		
		1,832.67	1,832.67
पु.	- 4,427.69		..
31 मार्च 2022 को ₹ 4,427.69 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजन करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[14] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	1,656.64		
		972.00	972.00
पु.	- 684.64		..
31 मार्च 2022 को ₹ 684.64 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) ग्रामीण सड़कें			
मू.	9,646.44		
		4,906.72	4,906.72
पु.	- 4,739.72		..
31 मार्च 2022 को ₹ 4,739.72 लाख की निधियां अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजन करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059-80-001-(02)-[39])			
मू.	3,016.48		
पु.	- 1,246.17	1,770.31	1,770.31
31 मार्च 2022 को ₹1,246.17 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹1,097.37 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹148.80 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

80. सामान्य
001. निदेशन तथा प्रशासन
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र की सड़कें)
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)

मू.	1,131.18	663.87	663.87	..
पु.	- 467.31			

31 मार्च 2022 को ₹ 467.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र की सड़कें)
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू.	754.14	442.58	442.58	..
पु.	- 311.56			

31 मार्च 2022 को ₹ 311.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना
(01) पर्यटन स्थलों का विकास

मू.	6,167.00	505.98	505.98	..
पु.	- 5,661.02			

31 मार्च 2022 को ₹ 5,661.02 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,000.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 661.02 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	5,465.00		
		193.29	193.29
पु.	- 5,271.71		..
31 मार्च 2022 को ₹ 5,271.71 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,000.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 271.71 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(04) राजस्थान जन आधार योजना
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	852.00		
		610.00	610.00
पु.	- 242.00		..

31 मार्च 2022 को ₹ 242.00 लाख का प्रावधान राजस्थान जन आधार रेजिडेंट डाटा डिपोजिटरी, हार्डवेयर अपग्रेडेशन सिस्टम साफ्टवेयर लाइसेंस, एप्लीकेशन डवलपमेंट, नये प्लेटफार्म पर माइग्रेशन के रखरखाव हेतु राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अनुमान से कम मांग करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू.	612.00		
		804.00	804.00
पु.	192.00		..
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	1,072.00		
		1,440.00	1,440.00
पु.	368.00		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	1,152.84		
		1,538.00	1,538.00
पु.	385.16		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 945.16 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	0.02		
		200.00	200.00
पु.	199.98		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹199.98 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	600.00		
		753.21	753.21
पु.	153.21		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹153.21 लाख की अतिरिक्त निधियां मथुरा दास माथुर अस्पताल में नये डायग्नोस्टिक विंग के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[02] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
अ.	0.02		
		1,350.00	1,350.00
पु.	1,349.98		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,349.98 लाख की अतिरिक्त निधियां नए चिकित्सा महाविद्यालय के लिए उपकरण की खरीद हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[03] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय			
अ .	0.01		
पु .	208.99	209.00	209.00
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 208.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (स्वायत्त निकाय) को राजस्व मदों के अंतर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के बजाय राज्य लेखों में पूंजी शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय (स्वायत्त निकायों) को निधियां जारी करने के लिए सितम्बर, 2021 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा पूंजी अनुभाग के तहत शीर्ष खोला गया।			
चूंकि उपरोक्त निधियों से सृजित संपत्तियां विश्वविद्यालय की हैं, ना कि राज्य सरकार की, इसलिए, राज्य सरकार की उपरोक्त कार्यवाही राज्य जी एफ एण्ड ए आर तथा सरकारी लेखा नियम 1990 और भारत सरकार लेखा मानक (आई जी ए एस)-2 के अनुसार नहीं है। अतः कार्यालय महालेखाकार द्वारा उपरोक्त नए शीर्ष को खोलने के लिए कार्योंत्तर सहमति नहीं दी गई थी।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[58] बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना- द्वितीय चरण (शहरी)			
मू .	600.00		
पु .	200.00	800.00	800.00
			..
01. जल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू .	2,027.50		
पु .	622.64	2,650.14	2,650.14
			..
01. जल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[32] वृहद पेयजल परियोजनाओं में रेट्रोफिटिंग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत एच एफ टी सी उपलब्ध कराये जाने का कार्य			
अ.	0.02		
पु .	3,843.92	3,843.94	3,843.94
			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[34] बीकानेर जिले की खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना			
अ.	0.02		
		162.00	162.00
पु .	161.98		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[42] बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना			
अ.	0.02		
		229.50	229.50
पु .	229.48		..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,058.02 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (रूडसिको) में निवेश			
[03] स्वायत्त शासन विभाग (टी एस पी)			
अ.	0.01		
		3,724.33	3,724.33
पु .	3,724.32		..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ.	0.01		
		539.20	539.20
पु .	539.19		..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) ठोस कचरा प्रबन्धन			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ.	0.01		
		592.93	592.93
पु .	592.92		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) सीवरेज लाईन			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ.	0.01		
पु.	592.92	592.93	..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,449.35 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[03] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	0.01		
पु.	659.99	660.00	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[10] सड़क एवं पुलिया का निर्माण			
मू.	0.01		
पु.	1,754.86	1,754.87	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[22] संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत जनजाति विकास हेतु अन्य पूंजीगत कार्यक्रम			
अ.	0.01		
पु.	797.30	797.31	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,212.15 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[14] माँ-बाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण			
मू.	0.01		
पु.	499.99	500.00	500.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[29] छात्रावासों में क्षमता वृद्धि हेतु निर्माण कार्य			
मू.	0.01		
पु.	199.99	200.00	200.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[34] जनजाति विकास कोष अंतर्गत जनजाति भागीदारी योजना से आधारभूत सुविधाओं का विकास			
अ.	0.01		
पु.	479.99	480.00	480.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	0.01		
पु.	399.99	400.00	400.00

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,579.96 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	884.96		
पु.	265.00		
		1,149.96	1,149.96
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 265.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः राजस्थान शहरी ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरल कॉरपोरेशन लिमिटेड को निर्माण कार्यों के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	6,300.00		
पु.	7,700.00		
		14,000.00	14,000.00
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,700.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में प्रत्येक विधायक के लिए राशि ₹ 225.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 500.00 लाख करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	10,688.00		
पु.	1,525.03		
		12,213.03	12,213.03
			..
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	3,360.00		
पु.	2,716.69		
		6,076.69	5,648.88
			- 427.81

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
40. जयसमन्द परियोजना का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII			
मू.	125.99		
पु.	169.84	295.83	288.66
			- 7.17

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,411.56 लाख की अतिरिक्त निधियां चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष "4700-39-796(01) [01] और 40-796(01) [02]" के अंतर्गत ₹ 434.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	4,972.19		
पु.	1,199.26	6,171.45	6,171.45
			..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,199.26 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	406.00		
पु.	272.06	678.06	678.06
			..

₹ 406.00 लाख का प्रावधान विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डी.आर.आई.पी.) के लिए अनुमानित था। इसके अतिरिक्त सुकली सेल्वा बांध संभाग- सिरौही, जवाई नहर संभाग- सुमेरपुर, बीसलपुर बांध संभाग- देवली, गंभीरी बांध संभाग- चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिक मांग उठाये जाने के कारण 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 272.06 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[06] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV			
मू.	1,500.00	1,801.01	1,801.01
पु.	301.01		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[01] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर			
मू.	28.00	1,442.72	1,309.11
पु.	1,414.72		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹1,715.73 लाख की अतिरिक्त निधियां चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
शीर्ष "4702-796(04) [01] " के अंतर्गत ₹133.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच पी सी एल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[03] रिफायनरी (टी एस पी)			
मू.	10,000.00	26,710.00	26,710.00
अ.	4,262.61		
पु.	12,447.39		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹12,447.39 लाख की अतिरिक्त निधियां एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफायनरी में निवेश करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	0.01	250.98	250.98
पु.	250.97		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.97 लाख की अतिरिक्त निधियां खनन क्षेत्र की सड़कों के निर्माण/सुदृढीकरण के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	558.76	1,353.93	1,353.93
पु.	795.17		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 795.17 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	5,156.04	10,302.22	10,277.22
पु.	5,146.18		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,146.18 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 25.00 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			- 25.00
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) शहरी सड़कें			
मू.	57.13	209.88	209.88
पु.	152.75		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 152.75 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	1,750.29	2,284.31	2,284.31
पु.	534.02		
			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[16] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	1,192.92	2,552.43	2,551.43
पु.	1,359.51		
			- 1.00

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,893.53 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)
[90] निर्माण कार्य

मू.	5,864.16	9,012.85	9,012.85	..
पु.	3,148.69			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,148.69 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय
(2059-80-001-(02)-[39])

मू.	469.14	662.26	662.26	..
पु.	193.12			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 193.12 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता प्रभारों के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(16) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें
[01] ग्रामीण सड़कें

मू.	18,737.20	23,930.02	23,930.02	..
पु.	5,192.82			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,192.82 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(18) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,487.77		
पु.	960.34		
	5,448.11	5,449.11	+ 1.00
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 960.34 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] बैकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू.	294.00		
पु.	595.83		
	889.83	889.83	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 595.83 लाख की अतिरिक्त निधियां आई आई टी-जोधपुर और राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंक्स (ए आई ओ टी) लैब की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[27] ई-ऑफिस			
मू.	18.48		
पु.	207.90		
	226.38	226.38	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 207.90 लाख की अतिरिक्त निधियां राज ईवॉल्ट प्रोजेक्ट (डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक) हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	198.00		
पु.	1,128.93		
	1,326.93	1,326.93	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,128.93 लाख की अतिरिक्त निधियां डाटा सेंटर में विभिन्न उपकरणों की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंद्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी हेतु कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	0.01		
पु.	465.78	465.79	..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 465.78 लाख की अतिरिक्त निधियां एशियन विकास बैंक से राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 031 – पुनर्वास एवं सहायता

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 032 - नागरिक आपूर्ति

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3456. सिविल पूर्ति और
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी - 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर
पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,85,61,53			
अनुपूरक	2,06,32,35	6,91,93,88	6,65,39,46	- 26,54,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				26,54,43
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	3,88	3,89	3,87	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3,10,11			
अनुपूरक	..	3,10,11	19,55	- 2,90,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,92,75

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,654.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों के परिवहन, संग्रहण एवं वितरण पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 20,632.35 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 032 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 290.56 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 292.75 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।
2. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 565.33 लाख, ₹ 339.28 लाख, ₹ 385.84 लाख , ₹ 340.41 लाख तथा ₹ 290.56 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 77.44 प्रतिशत से 99.47 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
102. नागरिक आपूर्ति			
(09) उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण			
मू.	235.83
पु.	- 235.83

31 मार्च 2022 को ₹ 235.83 लाख का का समस्त प्रावधान उपभोक्ता मंच सुदृढीकरण योजना-II के अन्तर्गत प्रस्तावित नये भवनों हेतु राज्य सरकार से भूमि आंवटन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 233.48 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2.35 लाख) किया गया ।

अनुदान संख्या 033 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और
 2236. पोषण
 पूंजी - 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज और
 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,00,52,19,30		
अनुपूरक	12,13,16,58	1,12,65,35,88	1,09,47,21,99 - 3,18,13,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			2,77,54,99
प्रभारित			
मूल	30		
अनुपूरक	5,89	6,19	5,93 - 26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			26
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	2,91,88,76		
अनुपूरक	2	2,91,88,78	1,86,75,26 - 1,05,13,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			1,05,13,52
टिप्पणियां तथा टीकाएं :			

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 31,813.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2021 (₹ 10,000.09 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 1,11,316.39 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,21,316.58 लाख का प्रावधान का अत्यधिक था।
- ₹ 31,813.89 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4,058.90 लाख अनुभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

3. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 237,19.11 लाख, ₹ 54,076.68 लाख, ₹ 46,617.12 लाख, ₹ 29,102.41 लाख तथा ₹ 31,813.89 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 2.82 प्रतिशत से 8.38 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	7,293.25		
पु.	- 1,352.26	5,940.99	5,917.40
			- 23.59

₹ 1,352.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए पदों के विरुद्ध नये कामिकों की नियुक्ति न होना, (ii) समर्पण अवकाश के नकदीकरण के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति, (iii) सरकारी छात्रावासों में अनावृत्ती सामग्री खरीद के लिए जिला कार्यालयों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा (iv) कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दो महीने (जुलाई और अगस्त 2021) के लिए विभागीय छात्रावासों का संचालन नहीं होने के कारण खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने तथा स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध छात्रावासों में छात्रों का कम संख्या में प्रवेश लेने को आरोपित की गयी।

₹ 23.59 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
793. अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
- (01) अनुसूचित जाति उप परियोजना

मू.	3,600.00			
पु.	- 1,528.94	2,071.06	2,071.06	..

31 मार्च 2022 को ₹ 1,528.94 लाख का प्रावधान सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में निधियों के हस्तान्तरण की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने की वजह से योजना के सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खातों में निधियों का हस्तान्तरण न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियों को सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाना चाहिये।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
- (01) अनुसूची जनजाति छात्रावासों का संचालन
- [02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां

मू.	3,807.01			
पु.	- 1,199.21	2,607.80	2,595.56	- 12.24

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

₹ 1,199.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए पदों के विरुद्ध नये कामिकों की नियुक्ति न होना, (ii) समर्पण अवकाश के नकदीकरण के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति, (iii) कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी छात्रावासों के बन्द होने के कारण छात्रावासों में कार्यरत जॉब बेसिस/अस्थायी रसोईयो को जुलाई व अगस्त 2021 महीने के लिए पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करने, (iv) कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दो माह के लिए विभागीय छात्रावासों का संचालन बन्द रहने के कारण अनुदानित छात्रावासों के संचालन हेतु अनुदान कम जारी करने एवं खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने, (v) सरकारी छात्रावासों में अनावृत्ती सामग्री खरीद के लिए जिला कार्यालयों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा (vi) कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दो महीने (जुलाई और अगस्त 2021) के लिए विभागीय छात्रावासों का संचालन नहीं होने के कारण खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने तथा स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध छात्रावासों में छात्रों का कम संख्या में प्रवेश लेना, को आरोपित की गयी।

₹ 12.24 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	771.87		
पु.	- 149.80	622.07	619.07 - 3.00

₹ 149.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए पदों के विरुद्ध नये कामिकों की नियुक्ति न होना, (ii) समर्पण अवकाश के नकदीकरण के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति, (iii) सरकारी छात्रावासों में अनावृत्ती सामग्री खरीद के लिए जिला कार्यालयों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा (iv) कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दो महीने (जुलाई और अगस्त 2021) के लिए विभागीय छात्रावासों का संचालन नहीं होने के कारण खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने तथा स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध छात्रावासों में छात्रों का कम संख्या में प्रवेश लेने को आरोपित की गयी।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)
[04] देवनारायण आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत छात्रावासों का संचालन

मू.	910.32		
पु.	- 157.37	752.95	752.78 - 0.17

31 मार्च 2022 को ₹ 157.37 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए गृह विभाग के दिशा निर्देशों की अनुपालना में विभागीय छात्रावासों का संचालन बंद होने की वजह से खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[05] विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (प्राथमिक शिक्षा विभाग)			
मू.	700.00		
पु.	- 254.32	445.68	443.79
			- 1.89
31 मार्च 2022 को ₹ 254.32 लाख का प्रावधान कोषालयों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं होने और जिला अधिकारियों द्वारा समस्त राशि का उपयोग न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[07] देवनारायण गुरुकुल योजना			
मू.	1,600.00		
पु.	- 520.42	1,079.58	1,079.58
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 520.42 लाख का प्रावधान निजी विद्यालयों में पढ रहे छात्रों के लिए दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति कम जारी करना और कोषालयों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) देवनारायण योजनान्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से)			
[01] उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन			
मू.	953.18		
पु.	- 111.81	841.37	841.37
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 111.81 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा			
मू.	8,776.64		
पु.	- 4,077.66	4,698.98	4,686.39
			- 12.59
31 मार्च 2022 को ₹ 4,077.66 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खातों में निधियां हस्तान्तरित न होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,059.95 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 17.71 लाख) किया गया। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियों को सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाना चाहिए।			
₹ 12.59 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिये रोजगार उन्मुखी/स्वरोजगार योजना			
मू.	200.00
पु.	- 200.00		

31 मार्च 2022 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न होने और राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) द्वारा प्रशिक्षण की यथास्थिति और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप निधियों को आरएसएलडीसी को हस्तांतरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2020-21 के दौरान भी, समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास			
मू.	336.21	122.87	122.11
पु.	- 213.34		- 0.76

₹ 213.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नये छात्रावासों में छात्रावास अक्षीक्षकों की पदस्थापना न होना, (ii) कोविड-19 महामारी के कारण बालिका छात्रावास के संचालन देरी होने और (iii) सामग्री क्रय की प्रक्रिया के पूर्ण न होने को आरोपित किया गया।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[09] अल्पसंख्यक बालक छात्रावास संचालन			
मू.	301.17	142.54	142.21
पु.	- 158.63		- 0.33

₹ 158.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नये छात्रावासों में छात्रावास अक्षीक्षकों की पदस्थापना न होने और कोविड-19 महामारी के कारण बालक छात्रावास के संचालन में देरी होने को आरोपित किया गया।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) उपसचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान			
मू.	400.00	250.00	250.00
पु.	- 150.00		..

31 मार्च 2022 को ₹ 150.00 लाख का प्रावधान चार दरगाहों के विकास पर कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि तीन दरगाह बूंदी, कोटा एवं नागौर के कार्य विभिन्न कारणों से शुरू नहीं हुए और झालावाड़ दरगाह के सम्बन्ध में किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[02] दिव्यांग स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान (अनु.जाति/जनजाति निगम के माध्यम से)			
मू.	500.01		
पु.	- 212.25	287.76	283.43
			- 4.33
31 मार्च 2022 को ₹ 212.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने और ₹ 4.33 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(10) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] समेकित बाल संरक्षण योजना हेतु अनुदान			
मू.	6,630.00		
पु.	- 1,656.00	4,974.00	4,973.20
			- 0.80
31 मार्च 2022 को ₹ 1,656.00 लाख का प्रावधान (i) गैर सरकारी बाल देखभाल संस्थानों के संचालन के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने, (ii) सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन) के लिए गैर-सरकारी बाल देखभाल संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त न होना तथा (iii) गैर-सरकारी बाल देखभाल संस्थानों एवं जिला इकाईयों में पदों के रिक्त रहने के परिणामस्वरूप सहायतार्थ अनुदान (वेतन) के कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(10) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[02] शिशु गृह/क्रेच का संचालन			
मू.	170.00		
पु.	- 170.00
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 170.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[15] सामुहिक विवाह अनुदान योजना हेतु अनुदान			
मू.	720.00		
पु.	- 151.55	568.45	562.95
			- 5.50
31 मार्च 2022 को ₹ 151.55 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए संस्थानों द्वारा आयोजित किये गये सामुहिक विवाहों के अनुसार सामुहिक विवाह अनुदान योजनान्तर्गत कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा भी कम व्यय होने का कारण थी।			
₹ 5.50 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[36] महिला शक्ति केन्द्र			
मू.	140.08		
पु.	- 117.71	22.37	22.38 + 0.01

31 मार्च 2022 को ₹ 117.71 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा इस योजना को जारी न रखने और भारत सरकार द्वारा मौजूदा महिला शक्ति केन्द्र योजना के स्थान पर प्रस्तावित नई योजना के दिशा निर्देश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(18) वृद्ध कल्याण
[05] वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना (एनएपीएसआरसी)

मू.	150.01		
पु.	- 130.03	19.98	19.99 + 0.01

31 मार्च 2022 को ₹ 130.03 लाख का प्रावधान कोविड-19 के कारण वृद्धाश्रम में विभिन्न गतिविधियों का संचालन न होने के परिणामस्वरूप कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(21) विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जातियों के लिए योजना
[06] उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

मू.	107.00		
पु.	- 105.00	2.00	2.00 ..

31 मार्च 2022 को ₹ 105.00 लाख का प्रावधान पात्र आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना
[06] उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

मू.	200.00		
पु.	- 171.21	28.79	28.69 - 0.10

31 मार्च 2022 को ₹ 171.21 लाख का प्रावधान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग			
मू.	1,700.00	146.56	146.56
पु.	- 1,553.44		..
₹ 1,700.00 लाख का प्रावधान महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिये कर्ज हेतु अनुमानित था। यद्यपि, कोविड-19 महामारी के कारण अनुमानित बजट को ₹ 322.00 लाख तक कम कर दिया गया। साथ ही ₹ 322.00 लाख में से ₹ 146.56 ऋण के ऋण वितरित किये गये, शेष ₹ 175.44 लाख की राशि के आवेदन पत्र बैंकों द्वारा ऑनलाईन नहीं भेजे गये। इसे देखते हुए, 31 मार्च 2022 को ₹ 1,553.44 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,209.52 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 343.92 लाख) का किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[03] कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण			
मू.	2,900.20	2,297.14	2,297.07
पु.	- 603.06		- 0.07
31 मार्च 2022 को ₹ 603.06 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए प्रशिक्षण, यात्रा तथा सेमिनार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[04] जागरूकता हेतु शिक्षा			
मू.	300.00	119.41	119.41
पु.	- 180.59		..
31 मार्च 2022 को ₹ 180.59 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा संशोधित अनुमान में व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
105. सरकारी कर्मचारी बीमा योजना			
(01) राज्य बीमा विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	6,454.79	5,817.89	5,819.00
पु.	- 636.90		+ 1.11
₹ 636.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
110. अन्य बीमा योजना			
(01) साधारण बीमा योजना-प्रतिबद्ध			
मू. 438.07			
पु. - 102.19	335.88	335.88	..
31 मार्च 2022 को ₹ 102.19 लाख का प्रावधान अन्य लेखा शीर्षों में पदों के स्थानान्तरण के कारण वेतन और भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[01] लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू. 24,100.00			
पु. - 4,683.48	19,416.52	19,352.64	- 63.88
31 मार्च 2022 को ₹ 4,683.48 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के दूसरे स्थान पर विस्थापित होने/भौतिक सत्यापन के अभाव/ पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु के कारण पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के कारण अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया।			
₹ 63.88 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[05] द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू. 2,800.00			
पु. - 508.60	2,291.40	2,291.40	..
31 मार्च 2022 को 508.60 लाख का प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन का भुगतान, उनके द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र, जो सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में एक बार प्रस्तुत करना अनिवार्य है, प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण, कम किया गया तथा लाभार्थियों की मृत्यु होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(02) आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
[02] नवीन अंशदायी पेंशन योजना-प्रतिबद्ध			
मू. 2,030.02			
पु. - 288.19	1,741.83	1,741.83	..
₹ 288.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदोन्नति पर अन्य लेखा शीर्षों में कामिकों के स्थानान्तरण और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक कर्मचारी के पी.आर.ए.एन. रखरखाव शुल्क में कमी हुई, जिसके परिणामस्वरूप नेशनल सिक्वोरिटीज् डिपॉजिटरी लिमिटेड को कम रखरखाव शुल्क का भुगतान होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] एकीकृत बाल विकास योजना			
मू.	14,497.39	9,685.76	9,682.46
पु.	- 4,811.63		- 3.30
₹ 4,811.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना			
मू.	1,334.40	1,107.56	1,107.56
पु.	- 226.84		..
31 मार्च 2022 को ₹ 226.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[17] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
मू.	14,823.79	5,221.65	5,220.02
पु.	- 9,602.14		- 1.63
31 मार्च 2022 को ₹ 9,602.14 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,477.23 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 4,124.91 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(08) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम			
[01] राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अनुदान			
मू.	137.20	1,796.50	1,796.50
अ.	55.95		..
पु.	1,603.35		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,603.35 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	8,000.00		
पु.	771.58		
	8,771.58	8,680.53	- 91.05
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 771.58 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 91.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[05] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	1,580.96		
पु.	321.61		
	1,902.57	1,901.33	- 1.24
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 321.61 लाख की अतिरिक्त निधियां तीन देवनारायण आवासीय विद्यालयों में 33 रिक्त पदों के भरे जाने और देवनारायण आवासीय विद्यालयों में अनावर्ती सामग्री, बेड एवं खाद्य सामग्री की खरीद के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(40) मानसिक पुनर्वास गृह संचालन			
मू.	1,200.00		
पु.	433.68		
	1,633.68	1,633.68	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 433.68 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(20) मिशन ग्राम्य शक्ति			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	0.02		
पु.	1,452.98		
	1,453.00	1,453.00	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,452.98 लाख की अतिरिक्त निधियां मिशन ग्राम्य शक्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद को निधियों के स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[01] संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	2,770.00		
पु.	364.19	3,134.19	3,133.11
			- 1.08
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 364.19 लाख की अतिरिक्त निधियां साधिन (महिला सहायिका) को उनकी संख्या में वृद्धि के कारण मानदेय के भुगतान पर बड़े हुए व्यय को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) महिला कल्याण			
[01] राज्य आश्रालय और पश्चातवर्ती सेवाएं			
मू.	391.60		
पु.	138.40	530.00	529.68
			- 0.32
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 138.40 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) राज्य महिला सदन/नारी निकेतन में ए.एन.एम.में पदों का सृजन विशिष्ट शिक्षक तथा इन रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिकों की नियुक्ति, के कारण वेतन तथा भत्तों, (ii) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देशों की अनुपालना में आश्रालयों के लिए स्मार्ट टेलीविजन का क्रय, (iii) निवासियों (आवासनियों) की संख्या एवं जांब बेसिस सेवाओं की मात्रा में वृद्धि और (iv) खाद्य सामग्री की दरों में वृद्धि पर बड़े हुए व्यय को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[08] सहयोग योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	1,400.00		
पु.	799.12	2,199.12	2,195.44
			- 3.68
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 799.12 लाख की अतिरिक्त निधिया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में नई श्रेणियों के जुड़ने से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा बजट भाषण में की गयी घोषणा के अनुपालना में भुगतान की दर में वृद्धि के कारण सहयोग योजना के अन्तर्गत अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
02. समाज कल्याण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] ब्लॉक स्तरीय संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	2,069.12		
पु.	464.54	2,533.66	2,525.95
			- 7.71
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 464.54 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिकों की पदस्थापना, नवनि्युक्त कनिष्ठ सहायक की पुष्टि एवं वेतन निर्धारण के कारण वेतन एवं भत्तों पर बड़े हुये व्यय को पूरा करने तथा 149 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों के लिए मैन विथ कम्प्यूटर मशीन की सेवाओं की हाईरिंग को नवम्बर, 2021 तक बढ़ाये जाने के कारण कम्प्यूटीकरण पर अधिक व्यय को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

₹ 7.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत अनुदान			
मू.	7,000.00		
		9,800.00	9,800.00
पु.	2,800.00		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,800.00 लाख की अतिरिक्त निधियां दुर्घटना के मामले अधिक प्राप्त होने तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त दुर्घटना के मामलों के लिए मुख्यमंत्री राहत निधि को प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा
[06] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

मू.	8,548.47			
		9,359.14	9,304.48	- 54.66
पु.	810.67			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 810.67 लाख की अतिरिक्त निधियां पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि होने तथा पेंशनरों के वृद्धावस्था पेंशन योजना से विधवा पेंशन योजना में स्थानान्तरण के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 54.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
200. अन्य कार्यक्रम
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड
[06] युद्ध विधवाओं को सम्मान भत्ता-प्रतिबद्ध

मू.	100.00			
		371.06	371.06	..
पु.	271.06			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 271.06 लाख की अतिरिक्त निधियां सम्मान भत्ता का बढी हुई दर से भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
200. अन्य कार्यक्रम
(14) पीडित प्रतिकर योजना
[01] राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मू.	1,500.00			
		1,813.42	1,813.42	..
पु.	313.42			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 313.42 लाख की अतिरिक्त निधियां पीडित प्रतिकर योजना के अन्तर्गत पीडितों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(17) बलों से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता			
[01] गृह (ग्रुप-2) विभाग			
मू.	25.00		
पु.	327.06	352.06	351.96
			- 0.10

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 327.06 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
200. अन्य कार्यक्रम
(19) सैनिकों एवं उनके परिवारों को सहायता
[02] कारगिल पैकेज के अन्तर्गत शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए सहायता

मू.	200.00			
पु.	1,400.00	1,600.00	1,600.00	..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,400.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री सहायता कोष से कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों को सहायता के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
200. अन्य कार्यक्रम
(23) राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2021
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से

मू.	0.07			
अ.	0.06	265.21	265.21	..
पु.	265.08			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 265.08 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना-2021 के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गई।

पूँजी

दत्तमत

1. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 4,939.20 लाख, ₹ 4,056.23 लाख, ₹ 3,141.31 लाख, ₹ 2,343.90 लाख तथा ₹ 10,513.52 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.29 प्रतिशत से 36.02 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[02] प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम			
मू.	5,794.35		
		3,645.22	
पु.	- 2,149.13	3,645.22	..

31 मार्च 2022 को ₹ 2,149.13 लाख का प्रावधान (i) भूमि आवंटन नहीं होने के कारण कुछ निर्माण कार्य शुरू न होने, (ii) कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम कार्यों का निष्पादन, (iii) पे-मैनेजर पर बिल प्रासेस्ड नहीं होने के कारण वर्ष के दौरान सिंगल नोडल अकाउन्ट (एस.एन.ए.) के बैंक खाते में स्थानान्तरण आदेश जारी होने के पश्चात् भी राशि का हस्तान्तरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[01] महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	460.00		
		..	
पु.	- 460.00

31 मार्च 2022 को ₹ 460.00 लाख का समस्त प्रावधान संबंधित मंत्री द्वारा पाली, कोटा व जयपुर में छात्रावास निर्माण के लिए सहमति देने के पश्चात् भी आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए प्रस्तावित छात्रावास निर्माण हेतु प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2015-16 से 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये गये थे।

02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(10) विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के लिए योजना			
[01] रेम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण			
मू.	200.01		
		..	
पु.	- 200.01

31 मार्च 2022 को ₹ 200.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2022)

अनुदान संख्या 033 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूँजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(03) भवन निर्माण			
मू.	500.00
पु.	- 500.00
31 मार्च 2022 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(09) आगनबाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	1,400.00
पु.	- 1,400.00
31 मार्च 2022 को ₹ 1,400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(10) आगनबाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	677.56	118.46	..
पु.	- 559.10	118.46	..
31 मार्च 2022 को ₹ 559.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(04) पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना [01] राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उद्धार			
मू.	15,000.00	10,000.00	..
पु.	- 5,000.00	10,000.00	..

31 मार्च 2022 को ₹ 5,000.00 लाख का प्रावधान राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड के स्थान पर नई योजना राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लागू करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,975.22 लाख) व अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 24.78 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 034 – प्राकृतिक आपदाओं से राहत

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	39,95,49,75	49,95,81,38	39,07,64,81	- 10,88,16,57
अनुपूरक	10,00,31,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				13,40,57,52
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,00,031.63 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 1,08,816.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,34,057.52 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
01. सूखा				
102. पीने के पानी की पूर्ति				
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति				
[01] ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति				
मू.	1,400.00	4.29	4.29	..
पु.	- 1,395.71			
01. सूखा				
102. पीने के पानी की पूर्ति				
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति				
[04] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल पूर्ति				
मू.	5,000.00	412.17	412.18	+ 0.01
पु.	- 4,587.83			

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति			
[04] पशु शिविर/गौशाला			
मू.	3,000.00		
पु.	- 2,022.65	977.35	975.30
			- 2.05
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[02] अग्नि सहायता			
मू.	2,000.00		
पु.	- 1,203.65	796.35	795.34
			- 1.01
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[04] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	10,600.00		
पु.	- 8,697.03	1,902.97	1,902.89
			- 0.08
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 17,906.87 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति			
[02] नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू.	120.00		
पु.	- 120.00
			..
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति			
[01] परिवहन			
मू.	3,600.00		
पु.	- 3,600.00
			..

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अन्तर्गत चारे की पूर्ति			
[02] पशु पोषण केन्द्र			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00
01. सूखा			
105. पशु चिकित्सा			
(04) सूखे क्षेत्रों में पशु चिकित्सा			
[01] औषधियों एवं टीका दवाईयों पर अतिरिक्त लागत			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[01] अन्य विशेष राहत			
मू.	200.00	..	- 5.24
पु.	- 200.00	..	- 5.24

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 5,120.00 लाख का समस्त प्रावधान आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 5.24 लाख का ऋण व्यय आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अवशेष राशि जमा कराने के कारण रही।

01. सूखा
800. अन्य व्यय
(01) राहत कार्यों पर व्यय
[27] कीट आक्रमण में व्यय

मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00

31 मार्च 2022 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान टिड्डी आक्रमण प्रकोप के कारण हुए नुकसान के लिए कृषकों को सहायता की आवश्यकता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[05] कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमांत कृषकों को कृषि आदान अनुदान			
मू.	13,000.00		
अ.	5,000.00	15,309.21	21,350.42
पु.	- 2,690.79		+ 6,041.21

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राहत कार्यों हेतु लिया गया ₹ 5,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 2,690.79 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

यद्यपि, ₹ 6,041.21 लाख का अंतिम आधिक्य था, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[07] प्रशिक्षण व्यय			
मू.	1,000.00		
पु.	- 716.67	283.33	283.33

31 मार्च 2022 को ₹ 716.67 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण पर आवश्यकतानुसार व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[01] आपात परिचालन केन्द्रों की स्थापना/सुदृढीकरण			
मू.	6,000.00		
पु.	- 5,911.21	88.79	88.78

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[04] आपदा प्रबन्धन योजनाओं का निर्माण			
मू.	2,400.00		
पु.	- 2,029.33	370.67	369.60

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 7,940.54 लाख का प्रावधान कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[05] आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों का सुदृढीकरण			
मू.	200.00
पु.	- 200.00		
31 मार्च 2022 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस पर व्यय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2019-20 तथा 2020-21 के दौरान भी, समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[05] कपड़े एवं बर्तन			
मू.	1,000.00	202.85	191.70
पु.	- 797.15		- 11.15
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[06] आवश्यक वस्तुओं एवं भोजन हेतु राहत			
मू.	200.00	17.40	17.40
पु.	- 182.60		..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(04) बाढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की पूर्ति			
[01] मानवीय जल पूर्ति			
मू.	200.00	4.79	4.78
पु.	- 195.21		- 0.01
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,174.96 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
शीर्ष "2245-02-101(16) [05]" के अंतर्गत ₹ 11.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[07] जीवन बचाव हेतु नाव किराया			
मू.	200.00
पु.	- 200.00		

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(04) बाढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की पूर्ति			
[02] पशुओं के लिए जल पूर्ति			
मू.	200.00
पु.	- 200.00		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
104. चारे की पूर्ति			
(02) आपदा से प्रभावितों को चारे की पूर्ति			
[01] आपदा से प्रभावितों को चारे की पूर्ति			
मू.	200.00
पु.	- 200.00		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. बाढ़, चक्रवात आदि
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
[01] सड़कों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

मू.	12,000.00			
अ.	8,000.00	5,784.88	5,484.81	- 0.07
पु.	- 14,215.12			

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और जीर्णोद्धार हेतु लिया गया ₹ 8,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 14,215.12 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. बाढ़, चक्रवात आदि
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
[02] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय

मू.	5,000.02			
पु.	- 4,665.58	334.44	334.43	- 0.01

31 मार्च 2022 को ₹ 4,665.58 लाख का प्रावधान आवश्यकतानुसार सर्च रेस्क्यू एवं संचार उपाय एवं उपकरणों का क्रय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
107. खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(02) बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत			
[01] बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत			
मू.	1,000.00	1.33	1.33
पु.	- 998.67		..
31 मार्च 2022 को ₹ 998.67 लाख का प्रावधान बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
109. खराब जलपूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(02) बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
[01] बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी			
(02) बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
[01] बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
मू.	1,000.00	172.07	172.06
पु.	- 827.93		- 0.01
31 मार्च 2022 को ₹ 827.93 लाख का प्रावधान बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[01] पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	2,000.00	54.02	53.07
पु.	- 1,945.98		- 0.95
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[03] पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	1,000.00	1.07	1.03
पु.	- 998.93		- 0.04

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[04] गम्भीर क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	1,000.00	87.53	86.36
पु.	- 912.47		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[05] गम्भीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	1,000.00	414.71	412.16
पु.	- 585.29		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[06] गम्भीर क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	1,000.00	7.84	7.52
पु.	- 992.16		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[07] आंशिक क्षतिग्रस्त घर			
मू.	2,000.00	956.17	881.17
पु.	- 1,043.83		
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 6,478.66 लाख का प्रावधान बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
शीर्ष "2245-02-113(09) [07]" के अंतर्गत ₹ 75.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[02] पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	2,000.00	1,018.99	930.84
अ.	5,000.00		
पु.	- 5,981.01		

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त कच्चे घरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता हेतु लिया गया ₹ 5,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 5,981.01 लाख का प्रावधान बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त कच्चे घरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "2245-02-113(09) [02]" के अंतर्गत ₹ 88.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			
मू.	5,000.00		
अ.	30,000.00	17,285.00	16,803.00
पु.	- 17,715.00		- 482.00

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा बाढ़ से लघु एवं सीमांत कृषकों को हुई फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान हेतु लिया गया ₹ 30,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 17,715.00 लाख का प्रावधान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत कृषकों को हुई फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित (₹ 15,773.60 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,941.40 लाख) किया गया।

शीर्ष "2245-02-114(09) [01]" के अंतर्गत ₹ 482.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू.	5,000.00		
अ.	4,000.00	3,439.54	3,273.49
पु.	- 5,560.46		- 166.05

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को ओलावृष्टि के कारण फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान हेतु लिया गया ₹ 4,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 5,560.46 लाख का प्रावधान ओलावृष्टि के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 166.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[04] पाला			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 2,000.00 लाख का समस्त प्रावधान पाला तथा शीतलहर के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. बाढ़, चक्रवात आदि
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान
[01] बाढ़

मू.	5,000.00			
अ.	24,000.00	7,303.89	7,132.97	- 170.92
पु.	- 21,696.11			

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान हेतु लिया गया ₹ 24,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत को देखते हुए अत्यधिक था ।

31 मार्च 2022 को ₹ 21,696.11 लाख का प्रावधान बाढ़ के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 15,867.04 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 5,829.07 लाख) किया गया ।

₹ 170.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

02. बाढ़, चक्रवात आदि
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान
[02] ओलावृष्टि

मू.	5,000.00			
पु.	- 3,616.52	1,383.48	1,331.66	- 51.82

31 मार्च 2022 को ₹ 3,616.52 लाख का प्रावधान ओलावृष्टि के कारण कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 51.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[04] पाला			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 2,000.00 लाख का समस्त प्रावधान क्रमशः पाला तथा शीतलहर के कारण कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(11) कीट आक्रमण में व्यय			
[01] कीट आक्रमण में व्यय			
मू.	1,000.00	90.75	90.03
पु.	- 909.25		- 0.72
31 मार्च 2022 को ₹ 909.25 लाख का प्रावधान टिड्डी झुंड के कारण फसलों के नुकसान हेतु किसानों को आवश्यकतानुसार कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
117. पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता			
मू.	1,000.00	32.72	32.26
पु.	- 967.28		- 0.46
31 मार्च 2022 को ₹ 967.28 लाख का प्रावधान बाढ़ से हुए नुकसान पर पशु क्रय के लिए कृषकों को आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(02) बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता			
मू.	2,000.00	785.17	785.18
पु.	- 1,214.83		+ 0.01

31 मार्च 2022 को ₹ 1,214.83 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. बाढ़, चक्रवात आदि
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
- (02) बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
- [01] बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता

मू.	200.00
पु.	- 200.00			

02. बाढ़, चक्रवात आदि
193. स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता
- (02) बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता
- [01] बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता

मू.	600.00
पु.	- 600.00			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 800.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ से प्रभावित नगर पालिकाओं/नगर परिषदों, पंचायतों तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों को आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. बाढ़, चक्रवात आदि
282. लोक स्वास्थ्य
- (07) बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य
- [01] दवाईयों की पूर्ति

मू.	62,690.00	57,467.09	57,435.25	- 31.84
अ.	2,341.53			
पु.	- 7,564.44			

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाईयों की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,341.53 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 7,564.44 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवाईयों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 31.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(08) कोविड-19 क्लस्टर कन्टेन्मेंट ऑपरेशन्स			
[01] महानिदेशक पुलिस के माध्यम से			
मू.	0.02		
अ.	4,999.98	2,143.14	2,146.56
पु.	- 2,856.86		- 3.42
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(08) कोविड-19 क्लस्टर कन्टेन्मेंट ऑपरेशन्स			
[02] महानिदेशक होमगार्ड के माध्यम से			
मू.	0.02		
अ.	7,999.98	5,694.18	5,689.91
पु.	- 2,305.82		- 4.27

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा कोविड-19 क्लस्टर कन्टेन्मेंट ऑपरेशन्स के तहत मानदेय के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 12,999.96 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 5,162.68 लाख का प्रावधान कोविड-19 क्लस्टर कन्टेन्मेंट ऑपरेशन्स के तहत मानदेय पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 05. राज्य आपदा मोचन निधि
- 101. आरक्षित निधियों और जमा लेखों का अन्तरण-
राज्य आपदा मोचन निधि
- (02) राज्य आपदा मोचन निधि को अन्तरण
- [01] राज्य आपदा मोचन निधि को अन्तरण

मू.	1,97,500.00			
		1,58,000.00	1,58,000.00	..
पु.	- 39,500.00			

31 मार्च 2022 को ₹ 39,500.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्र और राज्यांश का राज्य आपदा मिटिगेशन निधि में स्थानान्तरण के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 29,620.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 9,880.00 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
01. सूखा				
800. अन्य व्यय				
(03) राहत कार्यों पर व्यय				
[06] लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान				
मू.	21,869.72			
अ.	3,690.04	31,287.15	51,703.62	+ 20,416.47
पु.	5,727.39			
<p>31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,727.39 लाख की अतिरिक्त निधियां सूखे के कारण हुए फसल नुकसान हेतु आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी। ₹ 20,416.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।</p>				
02. बाढ़, चक्रवात आदि				
101. आनुग्रहिक राहत				
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत				
[01] अन्य मद				
मू.	200.00			
अ.	5,000.00	7,382.01	7,260.00	- 122.01
पु.	2,182.01			
<p>31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,182.01 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी। ₹ 122.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।</p>				
05. राज्य आपदा मोचन निधि				
101. आरक्षित निधियों और जमा लेखों का अन्तरण राज्य आपदा मोचन निधि				
(03) राज्य आपदा मिटिगेशन निधि का बजट शीर्ष 8121-00-130-(01) को स्थानान्तरण				
[01] केन्द्र का हिस्सा				
मू.	0.01			
पु.	29,619.99	29,620.00	29,620.00	..

अनुदान संख्या 034 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
05. राज्य आपदा मोचन निधि			
101. आरक्षित निधियों और जमा लेखों का अन्तरण			
राज्य आपदा मोचन निधि			
(03) राज्य आपदा मिटिगेशन निधि का बजट शीर्ष			
8121-00-130-(01) को स्थानान्तरण			
[02] राज्य का हिस्सा			
अ .	0.01		
पु .	9,879.99	9,880.00	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39,499.98 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्र और राज्यांश राज्य आपदा मोचन निधि से राज्य आपदा मिटिगेशन निधि को स्थानान्तरण के कारण उपलब्ध करायी गयी।

5. राज्य आपदा मोचन निधि:- पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष के लिए अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में मौजूदा राज्य आपदा मोचन निधि को जारी रखते हुए राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) के सृजन की अनुशंसा की गयी थी जिन्हें साथ में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एस.डी.आर.एम.एफ.) कहा जाएगा। एस.डी.आर.एफ. और एस.डी.एम.एफ. के कुल पूंजी की संबंधित निधि में केन्द्र और राज्य सरकार के 75:25 के अनुपात की वर्तमान लागत साझाकरण व्यवस्था को जारी रखने की अनुशंसा की गयी। दोनों ही निधियों को, वर्तमान अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज क्रेडिट करने एवं अनिवेशित राशि पर ब्याज देने की मौजूदा व्यवस्था के साथ ब्याज धारक निधि में रखा जायेगा। एस.डी.एम.एफ. में 31.3.2020 को अंतिम शेष 2021-22 के लिए प्रारम्भिक शेष के रूप में एस.डी.एम.एफ. को स्थानान्तरित किया जाएगा और इसी तरह 2025-26 तक ।

2021-22 के दौरान ₹ 1,58,000.00 लाख को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नामे की गई । केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर ₹ 39,500.00 लाख का राज्यांश एस.डी.आर. एफ. से राज्य आपदा मिटिगेशन निधि (शीर्ष 8121-130) को स्थानान्तरित किया गया । प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 1,87,668.75 लाख को वर्ष के दौरान निधि से पूरित किया गया ।

31 मार्च 2022 को ₹ 2,46,882.18 करोड़ का शेष (ब्याज सहित) राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अवशेष रहा ।

उपरोक्त निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2021-22 के विवरण संख्या 15, 21 तथा 22 में दर्शाया गया है ।

अनुदान संख्या 035 – विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं ,

2220. सूचना तथा प्रचार,

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी और

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,

5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	4,30,27,17		
अनुपूरक	43,29,15	4,73,56,32	4,32,59,78 - 40,96,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			40,95,31
प्रभारित			
मूल	..		
अनुपूरक	25	25	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	1,72,94,11		
अनुपूरक	1,45,76,53	3,18,70,64	3,13,53,53 - 5,17,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			5,17,11

टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 4,096.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,329.15 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 2,394.47 लाख, ₹ 13,332.36 लाख, ₹ 4,728.62 लाख, ₹ 13,926.18 लाख तथा ₹ 4,096.54 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 7.27 प्रतिशत से 26.67 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मूल्यांकन संगठन विभाग			
[01] प्रशासनिक व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	735.81		
पु.	- 100.97	634.84	634.15
			- 0.69

₹ 100.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[01] मुख्यालय			
मू.	521.64		
पु.	- 105.08	416.56	416.55
			- 0.01

₹ 105.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर (क) 4 कार्मिकों को उनके पदों में कटौती कर राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को स्थानान्तरित किये जाने, (ख) कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने, (ग) उन कर्मचारियों को वेतन का कम भुगतान हुआ जो अन्य विभाग से स्थानान्तरित होकर विभाग में शामिल हुये, ये भी बचत का कारण रहा तथा (घ) मंहगाई भत्ते का आदेश जारी नहीं होने के कारण जनवरी, 2022 से बढ़ी दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं होने के कारण कम व्यय हुआ, (ii) कोविड-19 के कारण आवासीय प्रशिक्षण के स्थान पर वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने तथा (iii) विभिन्न प्रकाशनों की मितव्ययता तथा सुगमता को देखते हुए डिजिटल प्रकाशन का निर्णय लेने को आरोपित की गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[02] जिला सांख्यिकी कार्यालय			
मू.	3,565.14		
पु.	- 339.24	3,225.90	3,225.91
			+ 0.01

₹ 339.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर (क) कर्मचारियों के स्थानान्तरण से पदों के रिक्त रहने, (ख) उन कर्मचारियों को वेतन का कम भुगतान हुआ जो अन्य विभागों से स्थानान्तरित होकर विभाग में शामिल हुए, यह भी बचत का कारण रहा तथा (ग) मंहगाई भत्ते का आदेश जारी नहीं होने के कारण जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान नहीं होने के कारण कम व्यय को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[05] यंग इंटरनर्स प्रोग्राम			
मू.	1,166.30	318.47	318.45
पु.	- 847.83		- 0.02

₹ 1,166.30 लाख का प्रावधान मुख्यतः यंग इंटरनर्स प्रोग्राम (वाय आई पी) के अन्तर्गत नवीन यंग इंटरनर्स के आवासीय प्रशिक्षण तथा राजस्थान युवा विकास प्रेरक इंटरनशिप प्रोग्राम (आर वाय वी पी) के लिए गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु मानदेय के भुगतान के लिए अनुमानित था।

₹ 847.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) यंग इंटरनर्स प्रोग्राम के इंटरनर्स के चयन में विलम्ब होने तथा राजस्थान युवा विकास प्रेरक इंटरनशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत केवल 79 इंटरनर्स के चयन के कारण मानदेय का कम भुगतान हुआ। वित्तीय वर्ष के अन्त तक इन 79 इंटरनर्स में से केवल 49 ही इंटरनशिप कर रहे थे तथा इनमें से कुछ इंटरनर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को मध्य में छोड़ने तथा कुछ के प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं होने, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए आवासीय तथा गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं दिये जाने, (iii) उन कर्मचारियों को वेतन का कम भुगतान हुआ जो अन्य विभागों से स्थानान्तरित होकर विभाग में शामिल हुए, यह भी बचत का कारण रहा तथा (iv) महंगाई भत्ते का आदेश जारी नहीं होने के कारण जनवरी, 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी
(03) राजस्थान जन आधार योजना
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	1,269.03	792.01	791.99	- 0.02
पु.	- 477.02			

₹ 1,269.03 लाख का प्रावधान 2021-22 से पूर्व नामांकित परिवारों के जनआधार कार्ड के मुद्रण तथा वितरण के भुगतान तथा अन्य आई.टी संबंधित कार्यों हेतु अनुमानित था।

₹ 477.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नवीन पी वी सी जनआधार के मुद्रण तथा वितरण पर निर्णय नहीं लिये जाने, (ii) अन्य आई.टी. संबंधित कार्यों, ए.टी.एम. कैश मैनेजमेन्ट तथा सैल्फ सर्विस कियोस्क (शहरी तथा ग्रामीण) की राजकॉम्प द्वारा कम मांग होने तथा (iii) कुछ जिलों में उप-चुनाव होने के कारण योजना का कम प्रचार-प्रसार होने तथा आई.ई.सी. योजना पर निर्णय नहीं लेने को आरोपित की गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी
(03) राजस्थान जन आधार योजना
[02] राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को सहायता

मू.	23.94			
अ.	2,002.08	159.41	159.41	..
पु.	- 1,866.61			

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को सहायता हेतु लिया गया ₹ 2,002.08 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,866.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नवीन पी.वी.सी. जन आधार कार्ड्स तथा विरंजीवी कार्ड्स के मुद्रण तथा वितरण पर निर्णय नहीं लिये जाने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 035 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
800. अन्य व्यय			
(02) आयोजना (जनशक्ति) विभाग			
मू .	312.10		
		190.32	+ 0.02
पु .	- 121.78	190.34	

31 मार्च 2022 को ₹ 121.78 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि 41 पदों में से, 22 को उनके पदों में कटौती कर राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को स्थानान्तरित किये गये ।

पूंजी

दत्तमत

1. ₹ 517.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 14,576.53 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 036 - सहकारिता

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और
2425. सहकारिता

पूंजी - 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
6408. खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,
6425. सहकारिता के लिए कर्ज और
7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	26,43,67,81	31,71,79,00	31,42,72,52	- 29,06,48
अनुपूरक	5,28,11,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				29,06,25
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	4,03,13	51,78,00	51,68,19	- 9,81
अनुपूरक	47,74,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				9,81

टिप्पणी तथा टीका:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,906.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 52,811.19 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 037 - कृषि

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2401. फसल कृषि-कर्म,
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम
पूंजी - 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज और
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	35,35,20,71	41,56,17,65	37,29,05,52 - 4,27,12,13
अनुपूरक	6,20,96,94		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			4,26,97,04
प्रभारित			
मूल	1,02	1,52	1,50 - 2
अनुपूरक	50		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			2
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	2,21,73,40	2,70,43,46	2,40,65,40 - 29,78,06
अनुपूरक	48,70,06		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			29,78,06

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 42,712.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 62,096.94 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 42,712.13 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 15.09 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 25,851.22 लाख, ₹ 49,328.42 लाख, ₹ 33,386.08 लाख, ₹ 35,569.42 लाख तथा ₹ 42,712.13 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 10.12 प्रतिशत से 19.67 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालन			
मू .	725.50	526.59	526.59
पु .	- 198.91		
31 मार्च 2022 को ₹ 198.91 लाख का प्रावधान (i) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों तथा (ii) कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
102. खाद्यान्न फसलें			
(01) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -तिलहन			
मू .	2,597.60	593.72	593.72
पु .	- 2,003.88		
31 मार्च 2022 को ₹ 2,003.88 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
105. खाद तथा उर्वरक			
(11) खाद तथा उर्वरक योजना			
मू .	734.43	455.67	455.66
पु .	- 278.76		
₹ 278.76 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
105. खाद तथा उर्वरक			
(13) उर्वरक के लिए भूमि परीक्षण प्रयोगशाला			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,233.70	1,072.70	1,072.70
पु .	- 161.00		
31 मार्च 2022 को ₹ 161.00 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(01) कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना			
[06] प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,289.24	1,081.26	1,081.25
पु .	- 207.98		
₹ 207.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(02) कृषि सूचना			
मू .	949.00		
पु .	- 356.09	592.91	- 0.01
31 मार्च 2022 को ₹ 356.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(13) नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण			
मू .	342.73		
पु .	- 199.62	143.11	+ 0.01
₹ 199.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[02] बीज एवम रोपण सामग्री			
मू .	472.00		
पु .	- 288.50	183.50	..
₹ 288.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीयंश के अनुसार राज्यांश जारी करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[03] कृषि अभियांत्रिकी			
मू .	454.00		
पु .	- 440.36	13.64	..
31 मार्च 2022 को ₹ 440.36 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[05] कृषि में ई-गवर्नेंस योजना			
मू .	251.80		
पु .	- 248.18	3.62	..
31 मार्च 2022 को ₹ 248.18 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू .	7,680.04		
पु .	- 4,820.80	2,859.24	2,856.47
			- 2.77

₹ 4,820.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने को आरोपित की गयी। राज्य के विस्तृत क्षेत्र में शुष्क जलवायु का प्रचलन तथा भेदभावपूर्ण जलवायु परिस्थितियों का प्रभाव बागवानी विकास कार्यक्रम को लागू करने में प्रभावित करता है। राज्य के भेदभावपूर्ण तथा शुष्क जलवायु दशाओं से कृषकों की प्राथमिकता में बदलाव आने के कारण भी उन्होंने विभागीय योजना के लिये आवेदन नहीं किया, इसलिए योजना की प्रगति आशानुरूप नहीं हो पाने को आरोपित की गयी।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(47) सूक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से

मू .	7,000.00		
पु .	- 4,777.55	2,222.45	2,222.45
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 4,777.55 लाख का प्रावधान केन्द्र तथा राज्यांश जारी करने की व्यवस्था का क्रियान्वयन अक्टूबर, 2021 से होने और भुगतान प्रक्रिया संचालित नहीं होने के कारण अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 तक केन्द्रीयंश शून्य जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(04) जिला स्तरीय संस्थापन व्यय

मू .	994.65		
पु .	- 290.68	703.97	703.96
			- 0.01

₹ 290.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वाहनों की खरीद/खरखाव/ किराये पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं
[19] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ

मू .	1,000.00		
पु .	- 667.72	332.28	332.28
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 667.72 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन-कृषि विस्तार

मू .	3,700.00		
पु .	- 1,360.88	2,339.12	2,339.12
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 1,360.88 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	3,046.00	2,160.36	2,160.36
पु.	- 885.64		
31 मार्च 2022 को ₹ 885.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[28] टिकाऊ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास			
मू.	493.42	156.39	156.39
पु.	- 337.03		
31 मार्च 2022 को ₹ 337.03 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[29] टिकाऊ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	809.01	46.99	46.75
पु.	- 762.02		
31 मार्च 2022 को ₹ 762.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			- 0.24
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[35] टिकाऊ खेती मिशन-कृषि वानिकी			
मू.	350.00	..	- 0.38
पु.	- 350.00		
31 मार्च 2022 को ₹ 350.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			- 0.38
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[37] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पौष्टिक अनाज			
मू.	3,113.20	2,793.50	2,793.51
पु.	- 319.70		
31 मार्च 2022 को ₹ 319.70 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			+ 0.01

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[38] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	3,947.47	1,487.44	1,487.44
पु.	- 2,460.03		
31 मार्च 2022 को ₹ 2,460.03 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) जिला स्तरीय संस्थापन व्यय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,618.50	5,721.18	5,721.17
पु.	- 897.32		
₹ 897.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	7,376.00	5,932.55	5,932.55
पु.	- 1,443.45		
₹ 1,443.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यालय व्यय और वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	25,666.00	19,823.11	19,823.09
पु.	- 5,842.89		
31 मार्च 2022 को ₹ 5,842.89 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,824.48 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 18.41 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	7,830.00	2,915.75	2,915.75
पु.	- 4,914.25		

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	710.00		
पु.	- 525.70	184.30	184.30
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[12] राजफेड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	800.00
पु.	- 800.00
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[17] गोपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	225.00	47.07	47.06
पु.	- 177.93		- 0.01
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[20] कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के माध्यम से			
मू.	250.00	80.00	80.00
पु.	- 170.00		..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 6,587.88 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से			
मू.	1,750.00
पु.	- 1,750.00
31 मार्च 2022 को ₹ 1,750.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
800. अन्य व्यय			
(27) राजस्थान कृषि विकास योजना (एस.सी.ए.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	6,760.00	560.40	560.40
पु.	- 6,199.60		..
31 मार्च 2022 को ₹ 6,199.60 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,712.15 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,487.45 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(35) राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन			
[02] मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	971.13		
		1.60	1.59
पु.	- 969.53		- 0.01

31 मार्च 2022 को ₹ 969.53 लाख का प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

800. अन्य व्यय
(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मु.	3,873.79		
		1,371.92	1,371.92
पु.	- 2,501.87		..

31 मार्च 2022 को ₹ 2,501.87 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

800. अन्य व्यय
(40) शून्य लागत आधारित कृषि
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मु.	340.00		
		9.22	9.22
पु.	- 330.78		..

31 मार्च 2022 को ₹ 330.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
01. फसल कृषि कर्म
004. अनुसंधान
(01) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर को सहायतार्थ अनुदान

मू.	663.30		
		481.80	481.80
पु.	- 181.50		..

31 मार्च 2022 को ₹ 181.50 लाख का प्रावधान स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को निधियां राजस्व शीर्ष के स्थान पर विश्वविद्यालय (स्वायत्तशासी संस्था) के पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए संबंधित पूंजीगत शीर्ष के तहत व्यय को दर्ज करने के उद्देश्य से जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। वास्तव में, निधियों को राज्य स्वामित्व की संपत्तियों के सृजन हेतु पूंजीगत शीर्षों को प्रत्यार्पित किया गया, जबकि राज्य विश्वविद्यालय जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था है, को केवल अनुदान जारी करना चाहिये।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
004. अनुसंधान			
(06) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	624.64	515.98	515.98
पु .	- 108.66		..

31 मार्च 2022 को ₹ 108.66 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन के लिए अनुदान की सीमा में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[01] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	6,117.00	4,493.70	4,493.70
पु .	- 1,623.30		..

₹ 1,623.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्षों को स्थानान्तरित होने के कारण वेतन के लिए अनुदान कम जारी किये जाने तथा (ii) स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को निधियां राजस्व शीर्ष के स्थान पर विश्वविद्यालय (स्वायत्तशासी संस्था) के पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए संबंधित पूंजीगत शीर्ष के तहत व्यय को दर्ज करने के उद्देश्य से जारी करने को आरोपित की गयी । वास्तव में, निधियों को राज्य स्वामित्व की संपत्तियों के सृजन हेतु पूंजीगत शीर्षों को प्रत्यार्पित किया गया, जबकि राज्य को विश्वविद्यालय जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था है, को केवल अनुदान जारी करना चाहिये ।

01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[03] श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	6,312.00	5,352.00	5,352.00
पु .	- 960.00		..

₹ 960.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अनुदान सीमा में कमी के कारण वेतन के लिए अनुदान कम जारी होना तथा (ii) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को निधियां राजस्व शीर्ष के स्थान पर विश्वविद्यालय (स्वायत्तशासी संस्था) के पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए संबंधित पूंजीगत शीर्ष के तहत व्यय को दर्ज करने के उद्देश्य से जारी करने को आरोपित की गयी । वास्तव में, निधियों को राज्य स्वामित्व की संपत्तियों के सृजन हेतु पूंजीगत शीर्षों को प्रत्यार्पित किया गया, जबकि राज्य को विश्वविद्यालय जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था है, को केवल अनुदान जारी करना चाहिये ।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[04] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	2,505.00	2,012.50	2,012.50
पु.	- 492.50		..
₹ 492.50 लाख की प्रत्याशित बचत (i) वित्त विभाग द्वारा वेतन के लिए अनुदान कम जारी करने तथा, (ii) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को निधियां राजस्व शीर्ष के स्थान पर विश्वविद्यालय (स्वायत्तशासी संस्था) के पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए संबंधित पूंजीगत शीर्ष के तहत व्यय को दर्ज करने के उद्देश्य से जारी करने को आरोपित की गयी। वास्तव में, निधियों को राज्य स्वामित्व की संपत्तियों के सृजन हेतु पूंजीगत शीर्षों को प्रत्यार्पित किया गया, जबकि राज्य को विश्वविद्यालय जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था हैं, को केवल अनुदान जारी करना चाहिये।			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[05] कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	3,040.00	2,540.00	2,540.00
पु.	- 500.00		..
₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को निधियां राजस्व शीर्ष के स्थान पर विश्वविद्यालय (स्वायत्तशासी संस्था) के पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए संबंधित पूंजीगत शीर्ष के तहत व्यय को दर्ज करने के उद्देश्य से जारी करने को आरोपित की गयी। जबकि राज्य को विश्वविद्यालय जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था हैं, को केवल अनुदान जारी करना चाहिये।			
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,232.44	1,066.91	1,066.92 + 0.01
पु.	- 165.53		
₹ 165.53 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 45 पदों के रिक्त रहने तथा स्वीकृति के देरी से जारी किये जाने के कारण बड़े हुए मंहगाई भत्ते के बकाया भुगतान न होने को आरोपित की गयी।			
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
101. विपणन सुविधाएँ			
(03) कृषक कल्याण			
[01] मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना			
मू.	13,700.01
पु.	- 13,700.01		..
31 मार्च 2022 को ₹ 13,700.01 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित कृषक कल्याण कोष के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना पर व्यय करने के कारण अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित (₹ 13,700.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) किया गया।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
101. विपणन सुविधाएँ			
(03) कृषक कल्याण			
[02] कृषक उत्पादन संगठन योजना			
मू .	13,700.01
पु .	- 13,700.01		

31 मार्च 2022 ₹ 13,700.01 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित कृषक कल्याण कोष के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना पर व्यय किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 13,700.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) किया गया ।

60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(02) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.)			
[01] राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को सहायता			
मू .	11,578.80	1,792.57	1,792.57
पु .	- 9,786.23		..

31 मार्च 2022 को ₹ 9,786.23 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
110. फसल बीमा			
(02) फसल बीमा-कृषि विभाग के अभिकरण से (50% राज्यांश 50% केन्द्रीयंश)			
मू .	1,05,008.71		
अ.	62,096.86	1,95,861.02	1,95,860.87
पु .	28,755.45		- 0.15

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,755.45 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	9,092.52		
पु.	7,096.07	16,188.59	16,185.74
			- 2.85
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,096.07 लाख की अतिरिक्त निधियां संयंत्र की प्रारम्भिक लागत अधिक होने के कारण कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित करने को बढ़ावा देने हेतु सहाय्य सीमा में वृद्धि हेतु उपलब्ध करायी गयी। व्यापक प्रचार के कारण कृषकों के बीच योजना की मांग भी अधिक थी। एकल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते को समस्त राशि हस्तान्तरित करने के कारण आधिक्य व्यय भी प्रदर्शित हुआ।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(27) कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग हेतु सहायता			
मू.	0.01		
पु.	199.99	200.00	200.00
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 199.99 लाख की अतिरिक्त निधियां माननीय उच्चन्यायालय जयपुर बेंच द्वारा दिये गये फैसले की अनुपालना में कृषकों को खाद प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना उनके अपने ही खेत पर करने हेतु ₹ 100.00 लाख की अधिकतम राशि अथवा 50 प्रतिशत तक का अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[18] छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन			
मू.	740.00		
पु.	141.19	881.19	881.19
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 141.19 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों से अनुमान से अधिक आवेदनों के प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[31] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	2,929.59		
पु.	2,649.16	5,578.75	5,578.76
			+ 0.01
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,649.16 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[16] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	50.00		
पु.	120.00	170.00	170.00
			..

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[18] श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के माध्यम से			
मू .	45.00		
		215.00	215.00
पु .	170.00		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 290.00 लाख की अतिरिक्त निधियां योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
101. विपणन सुविधाएं			
(02) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को विकास योजनाओं हेतु सहायता			
[01] राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सहायता			
मू .	18,625.07		
		26,991.00	26,991.00
पु .	8,365.93		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,365.93 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 2,978.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 4,870.06 लाख कुल अनुपुरक अनुदान में से मार्च 2022 में द्वितीय अनुपुरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,870.01 लाख अत्यधिक था ।
- पांच शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों में ₹ 2,840.50 लाख का व्यय मुख्य शीर्ष "4415" में इन विश्वविद्यालयों में राजस्व शीर्षों के द्वारा अनुदानों को जारी किये जाने के बजाय पूंजीगत अनुभाग में दर्ज किया गया । विवरण अनुदान में संबंधित शीर्षों में नीचे दिया गया है ।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 4,922.48 लाख, ₹ 23,416.87 लाख, ₹ 12,840.61 लाख, ₹ 2,384.05 लाख तथा ₹ 2,978.06 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 11.01 प्रतिशत से 56.06 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[05] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू .	2,325.00		
पु .	- 2,315.93	9.07	9.07
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,315.93 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,330.40 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 985.53 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	800.00		
पु .	- 208.85	591.15	591.15
			..
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू .	600.00		
पु .	- 162.40	437.60	437.60
			..
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[07] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू .	600.00		
पु .	- 600.00
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 971.25 लाख का प्रावधान भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
6401. फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
800. अन्य कर्ज			
(10) कृषि उपज मण्डी को उधार (नाबार्ड)			
[01] कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर को कर्ज			
मू .	2,825.00		
पु .	- 2,625.00	200.00	200.00
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 2,625.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
02. भंडारण तथा भांडागार			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) गोदामों का निर्माण			
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार			
मू .	5,000.00		
पु .	- 1,000.00	4,000.00	4,000.00
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू .	425.00		
पु .	774.88	1,199.88	1,199.88
			..
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[05] सहकारी विभाग के माध्यम से ग्रामीण गोदामों का निर्माण			
मू .	1,360.00		
पु .	140.00	1,500.00	1,500.00
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 914.88 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय			
01. फसल कृषि कर्म			
004. अनुसंधान			
(01) कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान			
[01] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर			
अ .	0.01		
पु .	181.49	181.50	181.50

अनुदान संख्या 037 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[02] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर			
अ .	0.01		
		284.00	284.00
पु .	283.99		..
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[03] श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर			
अ .	570.02		
		1,435.00	1,435.00
पु .	864.98		..
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[04] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा			
अ .	0.01		
		300.00	300.00
पु .	299.99		..
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[05] कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर			
अ .	0.01		
		1,210.00	1,210.00
पु .	1,209.99		..

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,840.44 लाख की अतिरिक्त निधियां इन विश्वविद्यालयों (स्वायत्तशासी निकायों) को पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत अनुदान अनुदान जारी करने के बजाय राज्य लेखे में पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने सितम्बर, 2021 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा इन विश्वविद्यालयों (स्वायत्तशासी निकायों) को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु निधियां जारी करने हेतु पूंजीगत अनुभग में पांच शीर्षों को खोला गया।

इस कारण, राज्य बजट 2021-22 में प्रारम्भिक प्रावधान संबंधित राजस्व मुख्य शीर्ष " 2415 " के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के लिए लिये गये, जिन्हें पूंजी शीर्षों के तहत इन विश्वविद्यालयों को निधियां जारी करने के उद्देश्य हेतु लिया गया को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित किया गया। उपरोक्त निधियों से सृजित परिसम्पत्तियाँ राज्य सरकार से संबंधित ना होकर इन विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं। इसलिए, राज्य सरकार की उपरोक्त कार्यवाही राज्य जी.एफ. एण्ड ए. आर. और सरकारी लेखा नियम 1990 के अनुसार नहीं है। यद्यपि, उपरोक्त बताये गये नये शीर्षों को खोलने हेतु कार्यालय महालेखाकार द्वारा कार्योत्तर सहमति नहीं दी गयी।

अनुदान संख्या 038 – लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2402. मृदा तथा जल संरक्षण और
2702. लघु सिंचाई
पूंजी – 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,39,43,27	1,43,93,85	1,41,12,45	- 2,81,40
अनुपूरक	4,50,58			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,73,38
प्रभारित				
मूल	4	25,92	25,90	- 2
अनुपूरक	25,88			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,74,99	1,74,99	59,65	- 1,15,34
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,15,34

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 281.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा अधिक कुओं के निर्माण/गहराई हेतु लिया गया ₹ 450.58 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 281.40 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 8.02 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 038 - (समाप्त)

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
102. भू-जल			
(01) भू-जल विभाग द्वारा संचालित कार्य			
[01] मशीनरी आदि का क्रय			
मू .	174.98		
पु .	- 115.33	59.65	59.65
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 115.33 लाख का प्रावधान क्रय प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् फर्म द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान सामग्री की आपूर्ति नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 039 – पशुपालन एवं चिकित्सा

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2403. पशु-पालन,
2404. डेरी विकास,
2405. मछली-पालन और
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
पूंजी – 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय और
4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	17,75,77,62	17,79,09,18	16,83,55,76	- 95,53,42
अनुपूरक	3,31,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				95,16,19
प्रभारित				
मूल	1,02	1,02	..	- 1,02
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,02
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	53,81,02	53,81,05	35,48,00	- 18,33,05
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				18,33,05

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 331.56 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 9,553.42 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 37.23 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय			
[02] पशुपालन विभाग-जिला एवं अधीनस्थ कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	75,781.00		
		65,895.63	65,866.18
			- 29.45
पु .	- 9,885.37		

₹ 9,885.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (अ) 900 पशु चिकित्सकों एवं पशुधन परिचारकों की भर्ती न होने तथा (ब) पशुधन सहायकों तथा अन्य कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियमित वेतनमान नहीं दिए जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 29.45 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य
(23) पी.पी.आर. रोग नियंत्रण कार्यक्रम

मू .	191.52		
		77.90	77.90
			..
पु .	- 113.62		

₹ 113.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः योजना के बन्द होने के कारण इसके अन्तर्गत निधियों की स्वीकृति नहीं देने को आरोपित की गयी।

102. पशु तथा भैंस विकास
(27) राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजनाएं
[01] सोर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान योजना

मू .	825.00		
	
			..
पु .	- 825.00		

31 मार्च 2022 को ₹ 825.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

113. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी
(01) मवेशियों की गणना
[02] रेवेन्यू बोर्ड के माध्यम से

मू .	140.00		
	
			..
पु .	- 140.00		

31 मार्च 2022 को ₹ 140.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2404. डेयरी विकास			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड को अनुदान			
मू .	325.00
पु .	- 325.00		

31 मार्च 2022 को ₹ 325.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड को अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2405. मछली पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) जिला कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	954.24	817.78	817.68
पु .	- 136.46		- 0.10

₹ 136.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नये पदों पर भर्ती नहीं होने तथा सहायक मत्स्य विकास अधिकारी एवं मत्स्य विकास अधिकारी की भर्ती के परिणाम पर न्यायालय द्वारा रोक के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(16) पशुधन नस्ल सुधार योजना			
[01] स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से			
मू .	500.00	804.94	804.94
पु .	304.94		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 304.94 लाख की अतिरिक्त निधियां जे.के. ट्रस्ट के बकाया बिलों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2404. डेयरी विकास			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान			
मू.	7,000.00		
पु.	840.00	7,840.00	7,840.00

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 840.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2405. मछली पालन			
101. अन्तर्देशीय मछली पालन			
(10) नीली क्रांति			
[01] जल कृषि विकास			
मू.	85.00		
पु.	232.87	317.87	317.87

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 232.87 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समस्त निधियां योजना की एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी गई थी।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(10) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. -XXII योजना अन्तर्गत भवन निर्माण			
[01] पशु चिकित्सालयों, डिस्पेंसरियों एवं जिला कार्यालय का सुदृढीकरण			
मू.	600.00		
पु.	- 600.00		

31 मार्च 2022 को ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान भवन निर्माण पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 039 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(14) पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय उपकेन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. टी-XXIV			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	500.00
पु .	- 500.00
31 मार्च 2022 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान भवन निर्माण पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(16) राज्य स्तर, जिला पॉलीक्लिनिक्स, पशु चिकित्सा अस्पतालों और उपकेन्द्रों/औषधालयों का निर्माण- नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.-XXVI)			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	4,000.00	3,000.00	..
पु .	- 1,000.00	3,000.00	..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 708.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 291.99 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(18) पशु चिकित्सा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[01] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर			
अ .	0.02	292.00	..
पु .	291.98	292.00	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 291.98 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में पूंजीगत प्रकृति के व्यय करने के बजाय विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 040 – राजकीय उपक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2852. उद्योग

पूंजी – 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और

6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,64,56	1,74,99	1,64,95	– 10,04
अनुपूरक	10,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				10,02
प्रभारित				
मूल	1	1	..	– 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1	1	..	– 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

अनुदान संख्या 041 – सामुदायिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	58,32,43,58	92,41,37,46	72,88,16,87 - 19,53,20,59
अनुपूरक	34,08,93,88		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			19,52,88,20
प्रभारित			
मूल	1	1	.. - 1
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			1

पूंजी

दत्तमत			
मूल	..	13,32,32	50,00 - 12,82,32
अनुपूरक	13,32,32		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			12,82,32

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 3,40,893.88 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,40,893.87 लाख का प्रावधान ₹ 1,95,320.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।
- ₹ 1,95,320.59 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 32.39 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निर्देशन एवं प्रशासन			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,873.28	1,626.98	1,625.42 - 1.56
अ.	0.02		
पु.	- 246.32		

₹ 246.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) जिला आयोजना कार्यालय			
[01] मुख्य आयोजना कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,555.33		
पु.	- 174.51	1,380.82	1,380.80
			- 0.02
₹ 174.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	54,520.98		
पु.	- 26,296.08	28,224.90	28,224.90
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 26,296.08 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,402.98		
पु.	- 2,402.98
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,402.98 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(44) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत			
जिला परिषद के लिए निष्पादन अनुदान			
[01] निष्पादन अनुदान			
मू.	5,865.00		
पु.	- 5,865.00
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 5,865.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए निष्पादन अनुदान			
[01] निष्पादन अनुदान			
मू.	23,459.85
पु.	- 23,459.85
31 मार्च 2022 को ₹ 23,459.85 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) जिला परिषद/पंचायत समिति के भवन निर्माण हेतु			
[01] पंचायती राज विभाग के माध्यम से अनुदान			
मू.	959.00
पु.	- 959.00
31 मार्च 2022 को ₹ 959.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,51,145.25		
अ.	1,20,660.78	2,17,330.90	2,17,329.00
पु.	- 54,475.13		- 1.90
मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान जारी करने हेतु लिया गया ₹ 1,20,660.78 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2022 को ₹ 54,475.13 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[01] सामान्य बुनियादी अनुदान			
मू.	58,619.47		
अ.	1,87,209.91	2,01,842.10	2,01,842.10
पु.	- 43,987.28		..
मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान जारी करने हेतु लिया गया ₹ 1,87,209.91 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2022 को ₹ 43,987.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(36) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए निष्पादन अनुदान			
[01] निष्पादन अनुदान			
मू .	87,929.20
पु .	- 87,929.20

31 मार्च 2022 को ₹ 87,929.20 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 51,663.06 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 36,266.14 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	10,076.35	16,675.92	..
पु .	6,599.57	16,675.92	..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,599.57 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों को सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[01] सामान्य बुनियादी अनुदान			
मू .	3,910.00	13,456.15	..
पु .	9,546.15	13,456.15	..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,546.15 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों को सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	40,305.40	66,489.00	66,489.00
पु .	26,183.60		
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26,183.60 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों को सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[01] सामान्य बुनियादी अनुदान			
मू .	15,639.90	53,824.55	53,824.55
अ .	33,023.17		
पु .	5,161.48		
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,161.48 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(18) हैण्डपम्प मिस्त्रीयों एवं फिटर्स के लिये अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय हेतु अनुदान			
मू .	8,050.00	8,850.00	8,850.00
पु .	800.00		
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 041 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 1,282.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पंचायत समितियां/जिला परिषदों के भवन निर्माण हेतु लिया गया ₹ 1,332.32 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
103. ग्राम विकास			
(01) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु			
अ .	1,332.32	50.00	50.00
पु .	- 1,282.32		..

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पंचायत समितियों/जिला परिषदों के भवन निर्माण के लिए लिया गया ₹ 1,332.32 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 1,282.32 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 042 – उद्योग

मुख्य शीर्ष : राजस्व –2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,
 2852. उद्योग और
 3075. अन्य परिवहन सेवाएं
 पूंजी – 4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,
 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज,
 6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज और
 7453. विदेश व्यापार निर्यात संवर्धन के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	4,83,60,03		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		4,83,60,03	3,42,27,62 - 1,41,32,41
प्रभारित			
मूल	3		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		3	.. - 3
			3
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	4,16,09		
अनुपूरक	49,91		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		4,66,00	4,13,49 - 52,51
			25,00

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 14,132.41 लाख की अन्तिम बचत में से, राशि ₹ 59.24 लाख अनुभ्यर्पित रही ।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 1,129.15 लाख, ₹ 3,640.28 लाख, ₹ 10,119.43 लाख, ₹ 5,338.30 लाख तथा ₹ 14,132.41 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 4.20 प्रतिशत से 29.22 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
102. लघु उद्योग			
(17) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना			
[01] ब्याज अनुदान			
मू.	4,550.00		
पु.	- 760.58		
	3,789.42	3,772.24	- 17.18

31 मार्च 2022 को ₹ 760.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 17.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

102. लघु उद्योग
(18) माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेज क्लस्टर
डवलपमेन्ट प्रोग्राम(एमएसई-सीडीपी)
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग

मू.	270.00		
पु.	- 270.00		
	

31 मार्च 2022 को ₹ 270.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

105. खादी ग्रामोद्योग
(06) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के
संस्थापन एवं प्रशासनिक व्यय
[01] राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान

मू.	860.00		
पु.	- 215.00		
		645.00	645.00

31 मार्च 2022 को ₹ 215.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

105. खादी ग्रामोद्योग
(08) खादी प्लाजा
[01] राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान

मू.	250.00		
पु.	- 250.00		
	

31 मार्च, 2022 को ₹ 250.00 लाख का समस्त प्रावधान खादी प्लाजा के लिए राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) जिला उद्योग केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	3,815.98		
पु.	- 612.82	3,203.16	3,203.16

₹ 612.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) आयुक्त, उद्योग विभाग			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,540.03		
पु.	- 206.11	1,333.92	1,333.92

₹ 206.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(25) राजस्थान वित्त निगम			
[01] युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना हेतु सहायता			
मू.	899.99		
पु.	- 274.99	625.00	625.00

31 मार्च 2022 को ₹ 274.99 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत सहाय्य के कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(31) स्टार्टअप हेतु सीड मनी			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	3,400.00		
पु.	- 3,400.00

31 मार्च 2022 को ₹ 3,400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(04) अपग्रेडेशन ऑफ इण्डस्ट्रीयल इफ्ल्यूएंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी			
[01] रीको को सहायता			
मू.	4,000.01		
पु.	- 1,500.01	2,500.00	2,500.00
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,500.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(06) शहरी क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड योजना			
[01] राजस्थान वित्त निगम को सहायता			
मू.	17,000.00		
पु.	- 17,000.00
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 17,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 10,931.38 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 6,068.62 लाख) किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	2,800.00		
पु.	5,700.00	8,500.00	8,500.00
			..
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	4,500.00		
पु.	2,000.00	6,500.00	6,500.00
			..

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[04] जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हेतु पूंजी अनुदान			
मू.	100.00	200.00	200.00
पु.	100.00		
31 मार्च 2022 को उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,800.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 (उद्योग विभाग)			
[02] पूंजीगत अनुदान			
मू.	0.01	274.25	274.25
पु.	274.24		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 274.24 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
105. खादी ग्रामोद्योग			
(01) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान			
मू.	315.00	450.00	450.00
पु.	135.00		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 135.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
105. खादी ग्रामोद्योग			
(07) खादी की बिक्री पर रिबेट			
[01] खादी वस्त्रों की बिक्री पर रिबेट हेतु अनुदान			
मू.	400.00	1,000.00	1,000.00
पु.	600.00		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी के वस्त्रों की बिक्री पर छूट के लिए अनुदान जारी किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 042 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(02) ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बी.आई.पी.) को अनुदान			
मू.	1,250.00	1,775.00	..
पु.	525.00		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 525.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य
102. औद्योगिक उत्पादकता
(27) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस)
[01] आयुक्त उद्योग विभाग द्वारा अनुदान

मू.	1,150.00	2,350.00	2,350.00	..
पु.	1,200.00			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,200.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूंजी

दत्तमत

1. मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपुरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 49.91 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 52.51 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 27.51 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 043 - खनिज

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2802. पेट्रोलियम और
 2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
 पूंजी - 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर
 पूंजीगत परिव्यय और
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	2,12,96,91		
अनुपूरक	1	2,12,96,92	1,94,90,34 - 18,06,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			17,72,84
प्रभारित			
मूल	4		
अनुपूरक	3,84	3,88	1,83 - 2,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			2,05
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	2,06,48,55		
अनुपूरक	1,13,14,16	3,19,62,71	3,18,14,17 - 1,48,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			1,13,57

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,806.58 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 33.74 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 2,012.13 लाख, ₹ 351.77 लाख, ₹ 5,839.00 लाख, ₹ 3,606.54 लाख तथा ₹ 1,806.58 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 2.47 प्रतिशत से 29.78 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 043 - (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय			
[01] खान एवं भू-विज्ञान विभाग-प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,823.80		
		1,965.96	- 9.01
पु.	- 857.84		

₹ 857.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिवार्षिकी पर अधिकारियों/कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) कर्मचारियों की मृत्यु के कारण तथा सेवानिवृत्ति के बाद कार्य भारित कर्मचारियों के पदों का समाप्त होना, (iii) अप्रैल, 2021 से आंशिक लॉकडाउन और परिसरों की सफाई, फोटोकॉपी के बिलों का भुगतान नहीं करने तथा (iv) किसी भी बोलीदाता ने तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त न करने के कारण राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से खनिजों के रासायनिक विश्लेषण कार्य हेतु निविदा को अस्वीकृत किये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 9.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) खनिज सघन पूर्वक्षेपण, सर्वेक्षण एवं मानचित्रण योजना			
[02] खान एवं भू-विज्ञान विभाग-जिला एवं अधीनस्थ कार्यालय			
मू.	1,969.62		
अ.	0.01	1,753.32	-1.91
पु.	- 216.31		

₹ 216.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिवार्षिकी पर अधिकारियों/कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वाहन किराए पर नहीं लिये जाने तथा (iii) विभिन्न कारणों से अनुबंध पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ड्रिलिंग कार्य के निष्पादन हेतु प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया जैसे कि, बीकानेर में भारत सरकार द्वारा लिग्नाइट ब्लॉक का आवंटन न होने, कोटा में ड्रिलिंग हेतु आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि तीन ड्रिलिंग कार्य पहले से ही चल रहे हैं तथा भीलवाडा में ड्रिलिंग हेतु निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 044 – लेखन सामग्री एवं मुद्रण

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण

पूंजी – 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	30,39,22	31,10,26	29,36,43	- 1,73,83
अनुपूरक	71,04			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,71,70
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

पूंजी

दत्तमत				
मूल	3,83,50	3,83,50	..	- 3,83,50
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				3,83,50

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लेखन सामग्री क्रय हेतु लिया गया ₹ 71.04 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. ₹ 173.83 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2.13 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण				
103. सरकारी मुद्रणालय				
(01) मुद्रण कार्य				
[01] राजकीय मुद्रण-प्रतिबद्ध				
मू.	2,734.88	2,474.53	2,472.40	- 2.13
अ.	71.04			
पु.	- 331.39			

अनुदान संख्या 044 - (समाप्त)

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लेखन सामग्री क्रय हेतु लिया गया ₹ 71.04 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 331.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 9 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा 4 कर्मचारियों की मृत्यु होने के कारण पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) विधानसभा-2018 तथा लोकसभा-2019 के आम चुनाव के दौरान किये गये अतिरिक्त समय के कार्य के भुगतान हेतु स्वीकृति जारी नहीं करने को आरोपित की गयी।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
104. अन्य साधनों से मुद्रण की लागत			
(01) केन्द्रीय मुद्रणालय			
[01] बहुरंगीय मुद्रण-प्रतिबद्ध			
मू.	80.00	259.47	259.47
पु.	179.47		..

31 मार्च, 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 179.47 लाख की अतिरिक्त निधियाँ मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को अधिक बहुरंगीय मुद्रण कार्य प्राप्त होने तथा, कार्य समाप्ति के उपरांत अनुबंधित फर्म को उनके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय			
103. सरकारी मुद्रणालय			
(01) मुद्रण कार्य			
[02] आधुनिक मुद्रण यंत्र			
मू.	383.50
पु.	- 383.50		..

31 मार्च 2022 को ₹ 383.50 लाख का समस्त प्रावधान एचएमटी, एर्नाकुलम द्वारा वर्ष के दौरान बहुरंगीय मुद्रण मशीनों की आपूर्ति नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 045 - राज्य कर्मचारियों को ऋण
(समस्त दत्तमत)

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 046 - सिंचाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2700. मुख्य सिंचाई,
 2701. मध्यम सिंचाई और
 2702. लघु सिंचाई
 पूंजी - 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	25,31,86,01	25,31,86,04	21,83,17,71
अनुपूरक	3		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			- 3,48,68,33
प्रभारित			
मूल	7	13,48,52	13,46,94
अनुपूरक	13,48,45		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			- 1,58
			2,57,06,74
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	25,86,81,91	27,14,67,58	24,78,23,11
अनुपूरक	1,27,85,67		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			- 2,36,44,47
प्रभारित			
मूल	3	37,32	36,02
अनुपूरक	37,29		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			- 1,30
			1,85,98,20

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 34,868.33 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 9,161.59 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,828.90		
पु.	- 366.82	2,462.08	2,462.08
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 366.82 लाख का प्रावधान भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होना रिपोर्ट किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)
- 101. रखरखाव एवं मरम्मत
- (01) भाखरा नांगल द्वारा व्यय
- [04] जल उपभोक्ता संगमो को जल प्रभार की वापसी -प्रतिबद्ध

मू.	420.00			
पु.	- 158.66	261.34	261.34	..

₹ 420.00 लाख का प्रावधान भाखरा नांगल परियोजना क्षेत्र में जल उपभोक्ता संगमों द्वारा वसूल किये राजस्व के 50 प्रतिशत राशि के पुनर्भरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, अन्तिम तिमाही में जल उपभोक्ता संगमों के चुनावों के कारण राजस्व की वसूली प्रभावित हुई और आशा अनुरूप नहीं हो सकी, जिसके परिणामतः 31 मार्च 2022 को राशि ₹ 158.66 लाख अभ्यर्पित की गयी।

- 01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)
- 101. रखरखाव एवं मरम्मत
- (03) पंजाब सरकार द्वारा व्यय (ए.जी. मिमोज के माध्यम से)
- [01] अन्य रखरखाव व्यय -प्रतिबद्ध

मू.	200.00
पु.	- 200.00			

31 मार्च 2022 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब सरकार से ए.जी. मीमो प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)
- 101. रखरखाव एवं मरम्मत
- (06) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल को अग्रिम
- [01] अन्य रखरखाव व्यय -प्रतिबद्ध

मू.	2,919.00			
पु.	- 671.43	2,247.57	2,247.57	..

31 मार्च 2022 को ₹ 671.43 लाख का प्रावधान भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड के खाते में पिछले वर्ष की अव्ययित राशि की उपलब्धता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय)			
[01] सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य-प्रतिबद्ध			
मू.	10,000.00		
पु.	- 2,078.71		
	7,921.29	7,921.29	..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,078.71 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन के अनुसार भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड को निर्माण कार्यों से सम्बन्धित राज्य सरकार का हिस्सा जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) इन्दिरा गांधी नहर कि.मी.0 से कि.मी.74 तक			
मु.अ. जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से			
[02] अनुरक्षण व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,424.56		
पु.	- 169.93		
	1,254.63	1,253.97	- 0.66
₹ 169.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों तथा मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) लूणकरणसर लिफ्ट (कंवरसेन लिफ्ट) योजना			
का प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय			
(मु.अ.इ.गां.न.प.बीकानेर के माध्यम से)			
[02] प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,351.45		
पु.	- 1,922.13		
	2,429.32	2,425.86	- 3.46
₹ 1,922.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः बिजली और जल प्रभार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इ.गां.न. किमी 0 से किमी 74 तक मु.अ.जल			
संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[02] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	542.19		
अ.	0.01		
पु.	- 100.59		
	441.61	439.83	- 1.78
31 मार्च 2022 को ₹ 100.59 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(02) लूणकरणसर लिफ्ट (कंवरसेन लिफ्ट) योजना का प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय (मु.अ.इ.गां.न.प.बीकानेर के माध्यम से)			
[01] अन्य रखरखाव-प्रतिबद्ध			
मू.	736.00		
पु.	- 659.65	76.35	76.16
			- 0.19
31 मार्च 2022 को ₹ 659.65 लाख का प्रावधान मशीनरी और उपकरणों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(07) मु.अ. इ.गां.न.प. बीकानेर के माध्यम से			
[01] कार्य प्रभारित व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,716.90		
पु.	- 256.17	2,460.73	2,425.32
			- 35.41
31 मार्च 2022 को ₹ 256.17 लाख का प्रावधान मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके तथा ₹ 35.41 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(07) मु.अ. इ.गां.न.प. बीकानेर के माध्यम से			
[02] मरम्मत एवं रख रखाव-प्रतिबद्ध			
मू.	627.00		
पु.	- 228.49	398.51	397.84
			- 0.67
31 मार्च 2022 को ₹ 228.49 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रख रखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) अनुरक्षण व्यय			
[01] इन्दिरा गांधी नहर फीडर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,206.25		
पु.	- 299.63	906.62	665.45
			- 241.17
₹ 299.63 लाख की प्रत्याशित बचत इंदिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब भाग) के रखरखाव कार्य के निष्पादन में पंजाब सरकार के खण्ड एवं मण्डल कार्यालयों के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के समायोजन के संबंध में महालेखकार पंजाब से एजी मीमो की कम प्राप्ति होने को आरोपित की गयी।			
₹ 241.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) निष्पादन			
[01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,990.50	1,242.25	1,242.25
पु.	- 748.25		..
31 मार्च 2022 को ₹ 748.25 लाख का प्रावधान पंपिंग स्टेशनों के विद्युत और जल प्रभार तथा नर्बदा नहर परियोजना की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निष्पादन (यूनिट-1)-प्रतिबद्ध			
मू.	677.92	559.64	555.69
पु.	- 118.28		- 3.95
₹ 118.28 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन और भत्तों पर कम व्यय तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण मजदूरी का कम भुगतान होने को आरोपित की गयी।			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निष्पादन (यूनिट-II)-प्रतिबद्ध			
मू.	420.31	317.73	316.72
पु.	- 102.58		- 1.01
₹ 102.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
36. जयसमन्द ई.आर.एम.			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	808.76	801.12	564.39
पु.	- 7.64		- 236.73
₹ 236.73 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2701. मध्यम सिंचाई			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
मू.	1,104.04	1,082.40	943.04
पु.	- 21.64		- 139.36
₹ 21.64 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 139.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[01] निदेशन तथा प्रशासन-प्रतिबद्ध			
मू.	3,666.03		
पु.	- 390.85	3,275.18	3,274.05
			- 1.13
₹ 390.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] निदेशन तथा प्रशासन-प्रतिबद्ध			
मू.	427.77		
पु.	- 101.37	326.40	328.79
			+ 2.39
₹ 101.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
005. सर्वेक्षण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[02] निष्पादन			
मू.	2,345.27		
पु.	- 251.14	2,094.13	2,074.96
			- 19.17
₹ 251.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी। ₹ 19.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) उपनिवेशन योजनाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	1,833.34		
पु.	- 202.88	1,630.46	1,630.46
			..
₹ 202.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (क) निलंबित कर्मचारियों के प्रकरणों का अन्तिमीकरण न होने, (ख) कर्मचारियों के स्थानान्तरण के पश्चात् स्थानापन्न/अन्य कर्मियों के पदस्थापन न होने के कारण पदों के रिक्त रहने तथा (ग) चयनित वेतनमान/आश्वासित कैरियर प्रगति के प्रकरणों को अन्तिम रूप न देने के कारण वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) पंचायतीराज संस्थाओं में स्थानांतरित कर्मचारियों के संस्थापन व्यय हेतु सहायता			
[01] पंचायतों को संस्थापन व्यय एवं अनुरक्षण सामग्री हेतु अनुदान			
मू.	985.00	483.53	483.53
पु.	- 501.47		..
31 मार्च 2022 को ₹ 501.47 लाख का प्रावधान ग्राम पंचायतों में कार्यरत जल संसाधन विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान हेतु पंचायत समिति के निजी निक्षेप खातों में आवश्यकतानुसार अनुदान हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(09) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर डब्ल्यू एस एल आई पी)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन, (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम से			
मू.	15,930.10	2,534.47	2,534.48 + 0.01
पु.	- 13,395.63		
₹ 13,395.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कृषि और बागवानी विभाग को आवश्यकतानुसार सब्सिडी जारी करने, नये पदों पर भर्ती में देरी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन न होने को आरोपित की गयी।			

3. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक/अनावश्यक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(03) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,884.71	5,898.47	5,457.51 - 440.96
पु.	1,013.76		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,013.76 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना पर कार्यों के अधिक निष्पादन की प्रत्याशा में पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, वर्ष के दौरान परियोजना पर कार्यों का निष्पादन कम हुआ परिणामतः ₹ 440.96 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,123.93		
		3,511.90	3,168.27
पु.	387.97		- 343.63
<p>31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 387.97 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना पर कार्यों के अधिक निष्पादन की प्रत्याशा में पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, वर्ष के दौरान परियोजना पर कार्यों का निष्पादन कम हुआ परिणामतः ₹ 343.63 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।</p>			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया-प्रतिबद्ध			
मू.	7,108.02		
		7,469.72	6,742.79
पु.	361.70		- 726.93
<p>31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 361.70 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज का समायोजन होने के कारण उपलब्ध करवायी गयी। यद्यपि, वर्ष के दौरान परियोजना पर कार्य का निष्पादन मूल बजट अनुमानों की तुलना में कम हुआ, परिणामतः ₹ 726.93 लाख की अन्तिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।</p>			
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] मद 2701-80 साधारण से स्थानान्तरित अनुपातिक व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	411.84		
		537.22	115.30
पु.	125.38		- 421.92
<p>31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 125.38 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करवायी गयी। यद्यपि आनुपातिक प्रभारों का कम समायोजन होने के परिणामतः ₹ 421.92 लाख की अन्तिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।</p>			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

4. **उचन्त लेन-देन:** "उचन्त" लेन-देनों की प्रकृति विनियोग लेखे के "अनुदान संख्या 019- लोक निर्माण कार्य" के राजस्व अनुभाग के नीचे टिप्पणी (4) में स्पष्ट की गयी है।
2021-22 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
			(₹ लाख में)	
राजस्व *				
स्टॉक	(+ 495.89	111.69	104.84	(+ 489.04
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 243.04	99.78	125.93	(+ 269.19
योग	(+ 738.93	211.47	230.77	(+ 758.23

* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उचन्त लेन-देन सम्मिलित हैं।

पूँजी

दत्तमत

- कुल ₹ 12,785.67 लाख के अनुपूरक अनुदान में से मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 12,785.66 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 23,644.47 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 5,046.27 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 23,552.90 लाख, ₹ 23,913.44 लाख, ₹ 26,152.82 लाख, ₹ 48,527.10 लाख तथा ₹ 23,644.47 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 8.71 प्रतिशत से 20.69 प्रतिशत के बीच थी। बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) भाखरा नहर प्रणाली का पुनर्जीवीकरण/ उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	182.00	80.89	78.93
पु.	- 101.11		- 1.96
31 मार्च 2022 को ₹ 101.11 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[01] मुख्य नहर			
मू.	500.00	399.13	399.13
पु.	- 100.87		..

31 मार्च 2022 को ₹ 100.87 लाख का प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके हिस्से की राशि नहीं दिये जाने के कारण अभ्यर्पित की गयी।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[20] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आरआईडीएफ-ददत			
मू.	2,592.00		
		2,242.11	
पु.	- 349.89		2,242.11
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 349.89 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[16] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आरआईडीएफ- XXVI			
मू.	288.00		
		95.66	
पु.	- 192.34		95.66
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 192.34 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान कार्य के अन्तिम बिल का भुगतान न किये जाने परिणामतः बजट सीमा में कमी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[13] चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू.	4,153.67		
		2,497.57	
पु.	- 1,656.10		2,493.56
			- 4.01
₹ 1,656.10 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 4.01 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[15] पन्ना लाल बारूपाल जलोत्थान योजना (गजनेर लिफ्ट योजना)			
मू.	2,938.49		
		1,710.32	
पु.	- 1,228.17		1,704.25
			- 6.07
₹ 1,228.17 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 6.07 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[17] डा. करणी सिंह जलोत्थान योजना (कोलायत लिफ्ट योजना)			
मू.	2,140.00		
पु.	- 535.52	1,604.48	1,602.56
			- 1.92
₹ 535.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[19] गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना (फलौदी लिफ्ट योजना)			
मू.	1,184.18		
पु.	- 316.96	867.22	866.81
			- 0.41
₹ 316.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[25] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	4,275.27		
पु.	- 435.71	3,839.56	3,819.84
			- 19.72
₹ 435.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी, नहरों और शाखाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, इसके तथा ₹ 19.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत)			
[01] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट			
मू.	3,000.00		
पु.	- 1,847.11	1,152.89	1,152.89
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,847.11 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(10) नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत नहरों के पुनरुद्धार/नवीनीकरण कार्य			
[01] द्वितीय चरण की नहरों का पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., बीकानेर के माध्यम से			
मू.	3,650.00	2,707.95	2,707.95
पु.	- 942.05		..
31 मार्च 2022 को ₹ 942.05 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(10) नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत नहरों के पुनरुद्धार/नवीनीकरण कार्य			
[02] द्वितीय चरण की नहरों का पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	2,000.00	1,300.00	1,298.75
पु.	- 700.00		- 1.25
31 मार्च 2022 को ₹ 700.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन			
[01] सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम			
मू.	6,652.00	2,175.63	2,098.80
पु.	- 4,476.37		- 76.83
₹ 4,476.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने को आरोपित की गयी।			
₹ 76.83 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य शीर्ष 2701 में स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय (स्थापना)			
मू.	4,431.73	2,717.45	2,229.55
पु.	- 1,714.28		- 487.90
31 मार्च 2022 को ₹ 1,714.28 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 996.34 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 717.94 लाख) किया गया।			
₹ 487.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	13,600.00		
पु.	- 1,639.54	11,960.46	11,701.35
			- 259.11

31 मार्च 2022 को ₹ 1,639.54 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा तदनुसार प्रो-रेटा प्रभारों के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 259.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

37. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	337.28		
पु.	- 77.15	260.13	41.52
			- 218.61

₹ 77.15 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 218.61 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

40. जयसमन्द परियोजना का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII			
मू.	551.61		
पु.	- 129.92	421.69	418.09
			- 3.60

31 मार्च 2022 को ₹ 129.92 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII			
मू.	544.00		
पु.	- 278.37	265.63	265.63
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 278.37 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदडा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारी के वेतन भत्ते)			
मू.	2,111.68		
पु.	- 1,243.20	868.48	854.47 - 14.01
31 मार्च 2022 को ₹ 1,243.20 लाख का प्रावधान संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विलम्ब से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 14.01 लाख की अंतिम बचत की कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	13,60.00		
पु.	- 9,02.60	4,57.40	4,47.50 - 9.90
31 मार्च 2022 को ₹ 902.60 लाख का प्रावधान परियोजना के संबंधित लाभार्थियों को मुआवजे के भुगतान हेतु अनुग्रह राशि की स्वीकृति की प्राप्ति में विलम्ब होने एवं प्रो-रेटा प्रभारों के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 9.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	680.00		
पु.	- 484.89	195.11	190.55 - 4.56
31 मार्च 2022 को ₹ 484.89 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा तदनुसार प्रो-रेटा प्रभारों के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 4.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	4,142.57		
पु.	- 1,671.69	2,470.88	2,421.13 - 49.75
₹ 1,671.69 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 49.75 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(03) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[03] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV			
मू.	884.00		
पु.	- 598.63	285.37	271.79 - 13.58
31 मार्च 2022 को ₹ 598.63 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया । ₹ 13.58 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[01] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	3,922.29		
पु.	- 3,878.33	43.96	43.96 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 3,878.33 लाख का प्रावधान परियोजना के लिए स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि जारी नहीं किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित अनुपातिक व्यय			
मू.	317.71		
पु.	- 311.67	6.04	4.96 - 1.08
31 मार्च 2022 को ₹ 311.67 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रो-रेटा प्रभारों के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
101. सतही जल			
(11) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आरडब्ल्यूएसएलआईपी)			
[01] निष्पादन (मुख्य अभियंता, जल संसाधन, (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम से)			
मू.	21,489.90		
पु.	- 13,346.46	8,143.44	8,132.40 - 11.04
31 मार्च 2022 को ₹ 13,346.46 लाख का प्रावधान 36 मुख्य कार्यों के ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार न करने परिणामतः कार्य प्रारम्भ न होने तथा निविदा में किसी भी निविदाकार के सफल न पाये जाने के कारण एन.जी.ओ. की सेवा हेतु कार्यादेश न दिये जा सकने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 12,860.36 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 486.10 लाख) किया गया । ₹ 11.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
103. सिविल निर्माण कार्य			
(03) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य			
[03] अन्य जिले			
मू.	1,230.00		
	518.71	507.13	- 11.58
पु.	- 711.29		

31 मार्च 2022 को ₹ 711.29 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने तथा तदनुसार प्रो-रेटा प्रभारों के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 11.58 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[19] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण-			
आर.आई.डी.एफ.-XXIII			
मू.	900.00		
	1124.20	1124.20	..
पु.	224.20		
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[21] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण-			
आर.आई.डी.एफ.-XXVI			
मू.	1,800.00		
	2,216.66	2,216.57	- 0.09
पु.	416.66		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 416.66 लाख की अतिरिक्त निधियां कोरोना काल के दौरान लगाई गई पाबंदियों को हटाये जाने पर अनुकूल परिस्थितियों में ठेकेदार द्वारा पूर्ण क्षमता से कार्य निष्पादन के माध्यम से हुए कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बांई मुख्य नहर)				
[15] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आर.आई.डी.एफ. - XXV				
मू.	2,160.00	2,491.04	2,491.04	
पु.	331.04			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 331.04 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी।				
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(08) जवाहर सागर बांध				
[01] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण				
मू.	0.01	140.85	123.84	
अ.	0.01			- 17.01
पु.	140.83			
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 140.83 लाख की अतिरिक्त निधियां चम्बल परियोजना के तहत जवाहर सागर परियोजना के एपाॅक्सी कंक्रीट कार्य से एपाॅक्सी मोर्टार और एप्रन द्वारा रोलर बकेट टीथ के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।				
₹ 17.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।				
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) निदेशन तथा प्रशासन				
[01] पंजाब में इन्दिरा गांधी फीडर और सम्बन्धित निर्माण कार्य पर व्यय (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)				
मू.	20,500.00	22,639.23	22,639.23	
पु.	2,139.23			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,139.23 लाख की अतिरिक्त निधियां पंजाब सरकार को इन्दिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर के रिलाइनिंग कार्य के संबंध में राजस्थान सरकार की हिस्सा राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।				
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम				
[02] गुजरात सरकार की निर्माण कार्य में हिस्सा राशि				
मू.	500.00	1,803.00	1,803.00	
पु.	1,303.00			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,303.00 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।				

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. मेजा सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	500.00		
पु.	800.86	1,300.86	1,272.02
			- 28.84
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.86 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान तथा तदनुसार प्रोरेटा प्रभाओं के अधिक समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 28.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. पार्वती परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	700.00		
पु.	126.90	826.90	808.99
			- 17.91
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 126.90 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 17.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	340.00		
पु.	173.45	513.45	457.74
			- 55.71
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 173.45 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 55.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	30.65		
पु.	523.67	554.32	513.67
			- 40.65
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 523.67 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 40.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. गागरेन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,700.00		
पु.	602.03		
	2,302.03	2,252.16	- 49.87

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 602.03 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के तहत चल रहे कार्यों के सम्बन्ध में बकाया दायित्वों के भुगतान तथा तदनुसार प्रो-रेटा प्रभारों के अधिक समायोजन हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

₹ 49.87 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	1,189.63		
पु.	6,078.71		
	7,268.34	7,192.52	- 75.82

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,078.71 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 75.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[04] मुख्य शीर्ष-2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू.	728.16		
पु.	1,316.48		
	2,044.64	1,668.59	- 376.05

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,316.48 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रोरेटा प्रभारों के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 376.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[06] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII			
मू.	1,312.00	1,534.97	1,528.43
पु.	222.97		
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[07] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV			
मू.	2,469.84	3,527.74	3,527.74
पु.	1,057.90		
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[08] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV			
मू.	1,640.00	2,554.00	2,554.00
पु.	914.00		

31 मार्च 2022 को उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,194.87 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजनाओं के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के सम्बन्ध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष "4702-101(02) [06]" के अन्तर्गत ₹ 6.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

101. सतही जल
(07) जल संग्रहण संरचना
[01] निर्माण कार्य (जल संसाधान विभाग के माध्यम से)

मू.	136.00	560.76	560.76
पु.	424.76		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 424.76 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के सम्बन्ध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

101. सतही जल
(07) जल संग्रहण संरचना
[02] मुख्य लेखा शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित अनुपातिक व्यय

मू.	141.88	271.40	223.40
पु.	129.52		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 129.52 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रोरेटा प्रभारों के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 48.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[03] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVI			
मू.	1,160.12		
पु.	254.93		
		1,415.05	+ 6.05

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 254.93 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के सम्बन्ध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 6.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

101. सतही जल
(09) लघु सिंचाई निर्माण (फोर वॉटर कन्सेप्ट)
[01] निर्माण कार्य

मू.	1,160.81		
पु.	348.85		
		1,509.66	- 25.86

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 348.85 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के सम्बन्ध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 25.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

101. सतही जल
(12) जल संरक्षण उपकर निधि से पोषित कार्य
[01] जल संसाधन विभाग के माध्यम से

मू.	680.00		
पु.	111.34		
		791.34	- 10.60

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 111.34 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के सम्बन्ध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 10.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 046 - (समाप्त)

6. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अनावश्यक/अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[03] नर्बदा प्राधिकरण की हिस्सा राशि			
मू.	200.01		
पु.	410.83	610.84	193.79
			- 417.05

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 410.83 लाख की अतिरिक्त निधियाँ परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान की प्रत्याशा में उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, वास्तविक व्यय मूल अनुमान से कम था जिसके परिणामतः ₹ 417.05 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)

001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) निदेशन तथा प्रशासन				
[01] निर्माण कार्य				
मू.	16,320.00			
अ.	8,684.55	28,425.92	25,907.10	- 2,518.82
पु.	3,421.37			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,421.37 लाख की अतिरिक्त निधियाँ परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान तथा तदनुसार प्रोरेटा प्रभारों के अधिक समायोजन की प्रत्याशा में उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, वास्तविक व्यय मूल अनुमान से कम था जिसके परिणामतः ₹ 2,518.82 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

7. **उचन्त लेन-देन** : 2021-22 में पूंजी अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नाम (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नाम (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
पूंजी *				
स्टॉक	(-) 4,520.52	21.91	210.29	(-) 4,332.14
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 2,677.40	10.20	31.47	(-) 2,656.13
योग	(-) 7,197.92	32.11	241.76	(-) 6,988.27

* इसमें मुख्य शीर्ष 4700, 4701 तथा 4711 के उचन्त लेन देन सम्मिलित हैं।

अनुदान संख्या 047 - पर्यटन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3452. पर्यटन
 पूंजी - 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय और
 7452. पर्यटन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	65,02,05	65,02,05	40,70,76	- 24,31,29
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				24,31,27
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

पूंजी

दत्तमत				
मूल	77,59,12	1,45,09,12	1,10,42,03	- 34,67,09
अनुपूरक	67,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				34,67,09

टिप्पणियां तथा टीकाएं :**राजस्व****दत्तमत**

1 बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन				
80. सामान्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) पर्यटन विभाग				
[01] प्रशासनिक व्यय-प्रतिबद्ध				

मू.	1,471.02	1,305.31	1,305.29	- 0.02
पु.	- 165.71			

₹ 165.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

अनुदान संख्या 047- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू.	4,643.00		
		1,292.41	1,292.41
पु.	- 3,350.59		..

31 मार्च 2022 को ₹ 3,350.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 2,213.96 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,136.63 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(11) राजस्थान पर्यटन विकास निगम को सहायतार्थ अनुदान			
[01] आर.टी.डी.सी. को अनुदान			
मू.	0.01		
		1,030.00	1,030.00
पु.	1,029.99		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,029.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 3,467.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2021 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 6,750.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 3,071.81 लाख, ₹ 1,612.97 लाख, ₹ 2,519.90 लाख, ₹ 658.47 लाख तथा ₹ 3,467.09 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 21.12 प्रतिशत से 81.59 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये ।

अनुदान संख्या 047 - (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	7,182.25		
		655.72	
पु.	- 6,526.53	655.72	..

31 मार्च 2022 को ₹ 6,526.53 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 3,050.54 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,475.99 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(05) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	576.83		
		160.31	
पु.	- 416.52	160.31	..

31 मार्च 2022 को ₹ 416.52 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
7452. पर्यटन के लिए कर्ज			
60. अन्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(04) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उधार			
मू.	0.01		
		3,476.00	
पु.	3,475.99	3,476.00	..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,475.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

अनुदान संख्या 048 - विद्युत् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2801. बिजली और
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा
 पूंजी - 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4810. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय और
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	98,16,53,68		
अनुपूरक	39,03,90,62	1,37,20,44,30	1,36,28,75,05 - 91,69,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			91,69,25
पूंजी			
मूल	6,57,08,56		
अनुपूरक	4,49,75,73	11,06,84,29	9,46,28,29 - 1,60,56,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			1,60,56,00

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

- ₹ 9,169.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,90,390.62 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

पूंजी

- ₹ 16,056.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2021 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 44,975.73 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 22,608.19 लाख, ₹ 27,627.43 लाख, ₹ 21,672.53 लाख, ₹ 1,03,339.37 लाख तथा ₹ 16,056.00 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.73 प्रतिशत से 77.50 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	20,236.80		
पु.	- 9,764.80	10,472.00	10,472.00 ..

31 मार्च 2022 को ₹ 9,764.80 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पूंजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः कम निवेश के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,262.39 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 2,502.41 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 048- (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	13,600.00	6,800.00	6,800.00
पु.	- 6,800.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 6,800.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा पूंजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू.	10,200.00	14,917.62	14,917.62
अ.	9,638.00		..
पु.	- 4,920.38		..
सितम्बर, 2021 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 9,638.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			

31 मार्च 2022 को ₹ 4,920.38 लाख का प्रावधान जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पूंजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(09) राजस्थान राज्य उर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड			
मू.	0.01	5,000.00	5,000.00
पु.	4,999.99		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,999.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य उर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड में निवेश के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	0.01	2,262.41	2,262.41
पु.	2,262.40		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,262.40 लाख की अतिरिक्त निधियां एशियन विकास बैंक द्वारा ऋण जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 049 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को
मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	4,62			
अनुपूरक	..	4,62	3,71	- 91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				91

अनुदान संख्या 050 – ग्रामीण रोजगार (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2505. ग्राम रोजगार और

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
मूल	30,79,79,32		
अनुपूरक	6,91,18,78		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		37,70,98,10	28,43,03,27 – 9,27,94,83
			9,27,85,04

पूंजी

मूल	9,70		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		9,70	9,70 ..
			..

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

- सितम्बर, 2021 (₹ 0.01 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 69,118.77 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 69,118.78 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 92,794.83 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 9.79 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 78,628.65 लाख, ₹ 12,034.30 लाख, ₹ 8,133.12 लाख, ₹ 14,604.61 लाख तथा ₹ 92,794.83 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.54 प्रतिशत से 24.61 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[02] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (सामान्य)			
मू .	1,48,000.00		
अ .	3,020.77	1,09,166.47	1,09,166.47 ..
पु .	- 41,854.30		

अनुदान संख्या 050- (समाप्त)

मार्च 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 3,020.77 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 41,854.30 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू .	1,57,431.56		
अ .	63,378.00	1,69,880.00	1,69,880.00
पु .	- 50,929.56		..

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 63,378.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 50,929.56 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा योजना के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से कम प्रशासनिक व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 051 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -
2014. न्याय प्रशासन,
 2029. भू-राजस्व,
 2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर,
 2041. वाहन कर,
 2055. पुलिस,
 2056. जेल,
 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2203. तकनीकी शिक्षा,
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,
 2205. कला एवं संस्कृति,
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
 2211. परिवार कल्याण,
 2217. शहरी विकास,
 2220. सूचना तथा प्रचार,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
 2236. पोषण,
 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत,
 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 2401. फसल कृषि-कर्म,
 2403. पशु-पालन,
 2404. डेरी विकास,
 2405. मछली-पालन,
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
 2425. सहकारिता,
 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम,
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
 2505. ग्राम रोजगार,
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
 2701. मध्यम सिंचाई,
 2702. लघु सिंचाई,
 2705. कमान क्षेत्र विकास,
 2801. बिजली,
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,
 2852. उद्योग,
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
 3054. सड़क तथा सेतु,
 3055. सड़क परिवहन,
 3075. अन्य परिवहन सेवाएं,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
 3452. पर्यटन,
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
 3456. सिविल पूर्ति और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
- पूंजी -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

राजस्व

दत्तमत

मूल

1,96,85,76,78

अनुपूरक

20,95,92,57

2,17,81,69,35 1,95,62,67,50 - 22,19,01,85

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2022)

22,00,22,55

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
प्रभारित			
मूल	1	..	- 1
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			1

पूँजी

दत्तमत				
मूल	45,88,78,56	48,64,21,51	40,28,64,82	- 8,35,56,69
अनुपूरक	2,75,42,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				8,17,88,60

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,09,592.57 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,09,592.52 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था।
- ₹ 2,21,901.85 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,879.30 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 86,663.79 लाख, ₹ 72,309.59 लाख, ₹ 2,02,807.99 लाख, ₹ 1,71,647.48 लाख तथा ₹ 2,21,901.85 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी थी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.02 प्रतिशत से 12.15 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[02] समग्र शिक्षा अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय			
मू.	1,52,515.00	1,29,585.74	- 156.98
पु.	- 22,929.26	1,29,428.76	

₹ 22,929.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों का माध्यमिक शिक्षा में उन्नयन के कारण कर्मचारियों का स्थानांतरण होने को आरोपित की गयी।

₹ 156.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[05] राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय			
मू.	402.03	226.07	226.07
पु.	- 175.96		..

31 मार्च 2022 को ₹ 175.96 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(04) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण

मू.	10,200.00	7,593.31	7,588.73	- 4.58
पु.	- 2,606.69			

31 मार्च 2022 को ₹ 2,606.69 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) छात्रों का कम संख्या प्रवेश होने, (ii) विद्यालयों में प्रवेश के बाद भौतिक सत्यापन के दौरान छात्रों की अपात्रता तथा (iii) दान के आधार पर चल रहे कुछ विद्यालयों द्वारा प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करने पर यद्यपि, इन विद्यालयों ने निःशुल्क शिक्षा के लिए छात्रों को प्रवेश दिया शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को फीस की कम प्रतिपूर्ति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 4.58 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(05) मिड डे मील
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ

मू.	21,200.00	17,723.00	17,723.00	..
पु.	- 3,477.00			

31 मार्च 2022 को ₹ 3,477.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(07) स्कूल वापसी अभियान
[01] निःशुल्क पोषाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय

मू.	10,000.00
पु.	- 10,000.00			

31 मार्च 2022 को ₹ 10,000.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[02] समग्र शिक्षा-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	20,511.02		
		17,479.87	17,479.75
			- 0.12
पु.	- 3,031.15		

₹ 3,031.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

02. माध्यमिक शिक्षा

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(03) अनुसूचित जाति क्षेत्र की छात्राओं को गार्गी/प्रोत्साहन पुरस्कार

मू.	2,450.00			
		646.08	646.08	..
पु.	- 1,803.92			

31 मार्च 2022 को ₹ 1,803.92 लाख का प्रावधान गार्गी पुरस्कार योजना 2021-22 के तहत छात्रों के चयन मानदंड के लिए संशोधित स्वीकृति राज्य सरकार से देरी से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप केवल 2020-21 के बकाया दावों का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(14) लेपटॉप वितरण

मू.	2,000.00			
	
पु.	- 2,000.00			

31 मार्च 2022 को ₹ 2,000.00 लाख का समस्त प्रावधान निःशुल्क लैपटॉप का भुगतान करने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की ओर से निधियां उपलब्ध करवाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(20) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के संचालन पर व्यय			
मू.	900.00
पु.	- 900.00
31 मार्च 2022 को ₹ 900.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	1,800.00	1,136.02	1,136.02
पु.	- 663.98
31 मार्च 2022 को ₹ 663.98 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	613.12	146.60	146.60
पु.	- 466.52
31 मार्च 2022 को ₹ 466.52 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) पढ़ना लिखना अभियान			
[01] साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	400.00
पु.	- 400.00
31 मार्च 2022 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
05. भाषा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिये)			
[02] संस्कृत स्कूल			
मू.	2,003.45	1,686.72	1,686.72
पु.	- 316.73		..
₹ 316.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्षों में स्थानांतरण/पदोन्नति के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा आशवासित कैरियर प्रगति आदि के बकाया का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।			
2205. कला एवं संस्कृति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	990.00	833.35	833.35
पु.	- 156.65		..
31 मार्च 2022 को ₹ 156.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) धन्वतरी आयुष स्वरोजगार योजना			
[01] निदेशालय आयुर्वेद विभाग			
मू.	500.03
पु.	- 500.03		..
31 मार्च 2022 को ₹ 500.03 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा दिनांक 31.1.2022 को आई.एफ.एम.एस. पर निधियां उपलब्ध कराया गया, जिसे वित्त विभाग द्वारा वापस ले लिया गया क्योंकि यह आयुर्वेद विभाग से संबंधित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	5,860.10	4,078.28	4,077.60
पु.	- 1,781.82		- 0.68
₹ 1,781.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
[01] आयुर्वेद विभाग			
मू.	1,298.46
पु.	- 1,298.46
31 मार्च 2022 को ₹ 1,298.46 लाख का समस्त प्रावधान राज्य वार्षिक कार्य योजना के स्वीकृत नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	6,245.00	5,608.18	..
पु.	- 636.82	5,608.18	..
31 मार्च 2022 को ₹ 636.82 लाख का प्रावधान मुख्यतः 832 स्वीकृत पदों में से 59 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	178.30
पु.	- 178.30
31 मार्च 2022 को ₹ 178.30 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी			
[01] सहायतार्थ अनुदान			
मू.	5,400.00	3,300.00	..
पु.	- 2,100.00	3,300.00	..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,100.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) ग्रामीण उपकेन्द्रों का संचालन			
[03] अनुसूचित जातिय क्षेत्र हेतु ग्रामीण उपकेन्द्र			
मू.	14,875.00		
		12,564.57	12,564.57
पु.	- 2,310.43		..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,310.43 लाख का प्रावधान मुख्यतः अधिकांशतः स्वीकृत पदों के विरुद्ध महिला स्वास्थ्य कर्मियों का पदस्थापन नहीं होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[04] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू.	1,070.00		
		535.00	535.00
पु.	- 535.00		..
₹ 1,070.00 लाख का प्रावधान शुभ लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं को पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा विद्यालय में प्रवेश लेने पर तीसरी किश्त के भुगतान के लिए अनुमानित था। यद्यपि, कोविड महामारी को देखते हुए माता-पिता द्वारा अधिकांश बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाने के कारण 31 मार्च 2022 को ₹ 535.00 का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	1,158.00		
		370.00	370.00
पु.	- 788.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 788.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार की प्रदर्शन सुधार योजना (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[02] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	891.50		
	
पु.	- 891.50		..
31 मार्च 2022 को ₹ 891.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	664.18		
पु.	- 409.99	254.19	254.19
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 409.99 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(38) ठोस कचरा प्रबन्धन			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	233.50		
पु.	- 233.50
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 233.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(42) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[05] 14 वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	1,530.29		
पु.	- 1,530.29
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,530.29 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(46) सीवरेज लाईन की साफ सफाई			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए उपयोजना			
मू.	233.50		
पु.	- 233.50
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 233.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[02] मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	2,514.04
पु.	- 2,514.04
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[05] मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	5,063.73
पु.	- 5,063.73
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 7,577.77 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[08] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	755.41	361.21	..
पु.	- 394.20	361.21	..
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[11] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	1,133.12	541.80	..
पु.	- 591.32	541.80	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 985.52 लाख का प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	1,564.56	598.79	598.79
पु.	- 965.77		..
31 मार्च 2022 को ₹ 965.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(40) ठोस कचरा प्रबन्धन			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	550.25
पु.	- 550.25		..
31 मार्च 2022 को ₹ 550.25 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	3,507.85
पु.	- 3,507.85		..
31 मार्च 2022 को ₹ 3,507.85 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(46) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[05] 14 वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	3,780.38
पु.	- 3,780.38		..
31 मार्च 2022 को ₹ 3,780.38 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(49) टाउन हॉल निर्माण			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये उप-योजना			
मू.	891.50
पु.	- 891.50		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(50) सीवरेज लाईन की साफ सफाई			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये उप-योजना			
मू.	550.25
पु.	- 550.25
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,441.75 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[02] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	6,241.10	3,137.04	3,137.04
पु.	- 3,104.06
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[05] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	9,361.64	4,705.57	4,705.57
पु.	- 4,656.07
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[08] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	355.39	41.40	41.40
पु.	- 313.99

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 8,074.12 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियां तथा वजीफा			
मू.	46,732.00		
	35,012.30	34,719.18	- 293.12
पु.	- 11,719.70		

31 मार्च 2022 को ₹ 11,719.70 लाख का प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी के कारण (अ) शैक्षणिक संस्थानों का भौतिक संचालन देरी से शुरू होने के कारण छात्रवृत्ति तथा वजीफों पर कम व्यय होने, (ब) विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता/संबद्धता के संबंध में और छात्रों को दिए जाने वाले उन्नयन प्रमाण पत्र में देरी होने और (स) छात्रवृत्ति पोर्टल पर निरंतर तकनीकी समस्याएं से भी निधियों का पूर्ण उपयोग प्रभावित होने तथा (ii) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त निधियों का एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) का बैंक खाता खोलने के बाद उपयोग किया जाना था लेकिन योजना के संचालन में देरी के कारण भारत सरकार से केवल 40 प्रतिशत निधियां प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 293.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(22) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना			
मू.	5,925.01		
	3,682.84	3,682.84	..
पु.	- 2,242.17		

31 मार्च 2022 को ₹ 2,242.17 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) संकल्प योजना			
[03] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	392.00		
	139.72	139.72	..
पु.	- 252.28		

31 मार्च 2022 को ₹ 252.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	18,104.00		
अ.	0.02	8,273.28	8,273.28
पु.	- 9,830.74		..

31 मार्च 2022 को ₹ 9,830.74 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर योजना को रोजगार योग्य बनाने के लिए अभ्यर्पित किया गया। राज्य सरकार ने राज्य के विभागों में 01 जनवरी 2022 से चार घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गयी, जिसके परिणामस्वरूप युवाओं ने नई योजना में कम रुचि दिखाई।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग			
मू.	450.00		
पु.	- 414.00	36.00	36.00

₹ 450.00 लाख का प्रावधान महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिये कर्ज हेतु अनुमानित था। अनुमानित बजट को ₹ 180.00 लाख तक कम कर दिया गया। इसके अलावा, ₹ 180.00 लाख में से, ₹ 136.00 लाख को आवश्यकता नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों में हस्तान्तरित किया गया तथा केवल ₹ 36.00 लाख वितरित किए गए थे, शेष आवेदित राशि ₹ 8.00 लाख बैंकों द्वारा ऑनलाइन अग्रेषित नहीं किए गए थे। उपरोक्त को देखते हुए, 31 मार्च 2022 को ₹ 414.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[03] कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण			
मू.	767.70		
पु.	- 298.61	469.09	469.09

31 मार्च 2022 को ₹ 298.61 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी परिस्थिति के कारण प्रशिक्षण, यात्राओं तथा सेमिनार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[08] अनुसूचित जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	5,635.53		
		4,899.90	- 52.20
पु.	- 735.63		

31 मार्च 2022 को ₹ 735.63 लाख का प्रावधान (i) मौजूदा पेंशनभोगियों के बाहर चले जाने/भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु होने के कारण पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान न करना तथा (ii) प्रशासनिक खर्चों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 52.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू.	4,400.00		
		3,733.60	- 13.55
पु.	- 666.40		

31 मार्च 2022 को ₹ 666.40 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के बाहर चले जाने/भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु होने से पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 13.55 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पीड़ित प्रतिकर योजना			
[01] राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
मू.	500.00		
		225.35	
पु.	- 274.65		

31 मार्च 2022 को ₹ 274.65 लाख का प्रावधान पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
[01] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
मू.	3,833.42	1,345.26	1,345.26
पु.	- 2,488.16		..
31 मार्च 2022 को ₹ 2,488.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
[01] प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
मू.	2,025.81	1,638.08	1,638.07
पु.	- 387.73		- 0.01
31 मार्च 2022 को ₹ 387.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना			
[01] अनुसूचित जाति के वरिष्ठ व्यक्तियों हेतु तीर्थ यात्रा योजना			
मू.	230.00
पु.	- 230.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 230.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना का संचालन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	4,775.00	3,351.18	3,351.19
पु.	- 1,423.82		+ 0.01
31 मार्च 2022 को ₹ 1,423.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[30] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	1,233.52		
		534.30	534.29
			- 0.01
पु.	- 699.22		
31 मार्च 2022 को ₹ 699.22 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	1,708.16		
		1,430.45	1,430.40
			- 0.05
पु.	- 277.71		
31 मार्च 2022 को ₹ 277.71 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। राज्य के बड़े क्षेत्र में शुष्क जलवायु के प्रचलित होने तथा बागवानी विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विषम जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव के कारण कृषकों ने विभागीय योजना के लिए आवेदन नहीं किया गया क्योंकि राज्य की विषम एवं शुष्क जलवायु परिस्थितियों की वजह से उनकी प्राथमिकता में बदलाव उत्पन्न हुआ। इसलिए, योजना की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	770.00		
		130.65	130.65
			..
पु.	- 639.35		
31 मार्च 2022 को ₹ 639.35 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	850.00		
		53.42	53.42
			..
पु.	- 796.58		
31 मार्च 2022 को ₹ 796.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से जारी अनुदान			
मू.	800.00
पु.	- 800.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[08] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	440.00
पु.	- 440.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,240.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	356.00	197.55	197.55
पु.	- 158.45
31 मार्च 2022 को ₹ 158.45 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[02] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	182.12
पु.	- 182.12
31 मार्च 2022 को ₹ 182.12 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	985.02	812.07	812.06
पु.	- 172.95	..	- 0.01
₹ 172.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) पी एम-कुसुम केपोनेंट 'बी' हेतु सहायता			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम			
मू.	3,400.00		
		2,399.58	2,399.58
पु.	- 1,000.42		..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,000.42 लाख का प्रावधान कृषकों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) सुक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम			
मू.	1,700.00		
		210.90	211.96
पु.	- 1,489.10		+ 1.06
31 मार्च 2022 को ₹ 1,489.10 लाख का प्रावधान अक्टूबर, 2021 से केन्द्र तथा राज्य के हिस्से को जारी करने की व्यवस्था के क्रियान्वयन होने तथा भुगतान प्रक्रिया का संचालन नहीं होने के कारण अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 तक केन्द्रीय हिस्सा शून्य जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग			
[03] पशु पालन विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	3,100.00		
		2,512.50	2,512.50
पु.	- 587.50		..
₹ 587.50 लाख की प्रत्याशित बचत पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत कम अनुदान जारी करने को आरोपित की गयी। वास्तव में राज्य ने अपनी संपत्ति के सृजन हेतु निधियों को पूंजीगत शीर्ष को डायवर्ट किया गया जबकि राज्य को विश्वविद्यालय, जो कि एक स्वायत्तशासी निकाय है को केवल अनुदान जारी करना चाहिए।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग			
[17] पशु अस्पताल और चिकित्सालय			
मू.	6,053.35		
		5,160.01	5,159.80
पु.	- 893.34		- 0.21
₹ 893.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पशु चिकित्सकों एवं पशुधन परिचारकों की भर्ती न होने तथा (ii) पशुधन सहायकों तथा अन्य कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के पश्चात् भी नियमित वेतनमान नहीं दिए जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) पशुधन नस्ल सुधार योजना			
[01] पशुपालन विभाग			
मू.	1,000.00		
		430.69	
पु.	- 569.31	430.69	..
31 मार्च 2022 को ₹ 569.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू.	5,314.26		
		3,206.63	
पु.	- 2,107.63	3,206.40	- 0.23
31 मार्च 2022 को ₹ 2,107.63 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा 1,8740 मीटर की छः फीट उच्ची दीवार के भौतिक लक्ष्य में कमी तथा गांव के स्वैच्छिक पुनर्वास के कार्य पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू.	6,300.00		
		4,911.93	
पु.	- 1,388.07	4,911.93	..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,388.07 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	0.01		
अ.	11,684.99	6,491.00	..
पु.	- 5,194.00		
मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान हेतु लिया गया ₹ 11,684.99 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2022 को ₹ 5,194.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषक कल्याण			
[01] मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना			
मू.	3,600.01
पु.	- 3,600.01
31 मार्च 2022 को ₹ 3,600.01 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित <i>कृषक कल्याण</i> कोष के माध्यम से <i>मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना</i> पर व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषक कल्याण			
[02] कृषक उत्पादन संगठन योजना			
मू.	3,600.01
पु.	- 3,600.01
31 मार्च 2022 को ₹ 3,600.01 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित <i>कृषक कल्याण</i> कोष के माध्यम से <i>कृषक उत्पादन संगठन</i> पर व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड कम्पोनेट			
[03] कार्यकलाप संबन्धी (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	8,253.28	1,975.11	1,975.11
पु.	- 6,278.17
31 मार्च 2022 को ₹ 6,278.17 लाख का प्रावधान <i>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड घटक</i> योजना के एकल नोडल एजेंसी (एस एन ए) के बैंक खाते में निधि के कम हस्तांतरण के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 को निधियां जारी करने की स्वीकृति जारी की गयी थी।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (एन.आर.ई.टी.पी.)			
(अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	1,500.00	521.45	521.45
पु.	- 978.55
31 मार्च 2022 को ₹ 978.55 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[03] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति)			
मू.	74,000.00		
पु.	- 22,429.30	51,570.70	51,570.70
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 22,429.30 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 21,371.72 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,057.58 लाख) किया गया।			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	55,862.77		
अ.	22,489.00	60,280.00	60,280.00
पु.	- 18,071.77		..
मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 22,489.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2022 को ₹ 18,071.77 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 15,620.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 2,451.77 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	485.67		
पु.	- 247.93	237.74	237.74
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 247.93 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(41) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)(अनुसूचित जातियों के लिए)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	14,326.68		
अ.	12,256.12	9,266.60	9,266.60
पु.	- 17,316.20		..
मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 12,256.12 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2022 को ₹ 17,316.20 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(44) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए निष्पादन अनुदान			
[03] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	1,541.17
पु.	- 1,541.17

31 मार्च 2022 को ₹ 1,541.17 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए निष्पादन अनुदान के सम्बन्ध में भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत
समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान
[03] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)

मू.	4,109.79			
अ.	13,116.21	14,143.68	14,143.68	..
पु.	- 3,082.32			

मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान के सम्बन्ध भारत सरकार से प्राप्त निधियां की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 13,116.21 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 3,082.32 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(17) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत
समिति के लिए निष्पादन अनुदान
[03] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)

मू.	6,164.69
पु.	- 6,164.69			

31 मार्च 2022 को ₹ 6,164.69 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए निष्पादन अनुदान के सम्बन्ध में भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) जिला परिषद/पंचायत समिति के भवन निर्माण हेतु			
[02] पंचायती राज विभाग के माध्यम से अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	252.00
पु.	- 252.00
31 मार्च 2022 को ₹ 252.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	39,717.00		
अ.	32,231.66	57,213.50	57,213.00
पु.	- 14,735.16		- 0.50
मार्च, 2022 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए प्राप्त निधियों की प्रत्याशा में लिया गया ₹ 32,231.66 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2022 को ₹ 14,735.16 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	15,441.70		
अ.	49,155.80	53,038.80	53,038.80
पु.	- 11,558.70		..
मार्च, 2022 में ग्राम पंचायतों को अनुदान हेतु लिया गया ₹ 49,155.80 लाख का द्वितीय अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था क्योंकि केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण ₹ 11,558.70 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2022 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 11,145.11) तथा अभ्यर्पित (₹ 413.59) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(36) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए निष्पादन अनुदान			
[03] निष्पादन अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	23,162.55
पु.	- 23,162.55
31 मार्च 2022 को ₹ 23,162.55 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए निष्पादन अनुदान के सम्बन्ध में भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सर्वेक्षण (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	300.00
पु.	- 300.00
31 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना से संबंधित कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
वर्ष 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया ।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	7,689.24	6,818.26	6,818.26
पु.	- 870.98
31 मार्च 2022 को ₹ 870.98 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण कंपनी द्वारा संग्रहित किये गये के अनुसार विद्युत् वितरण कम्पनी को विद्युत् शुल्क के एवज में सहाय्य जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(27) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना			
[01] ब्याज अनुदान			
मू.	1,400.00	740.10	740.10
पु.	- 659.90
31 मार्च 2022 को ₹ 659.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(18) शहरी क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड योजना			
[01] राजस्थान वित्त निगम को सहायता			
मू.	4,500.00
पु.	- 4,500.00

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(19) स्टार्टअप हेतु सीड मनी			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	900.00
पु.	- 900.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 5,400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार			
[01] महानगरों के अतिरिक्त शहरी सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार			
मू.	8,915.00
पु.	- 8,915.00
31 मार्च 2022 को ₹ 8,915.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
3055. सड़क परिवहन			
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,069.80	21.00	21.00
पु.	- 1,048.80		..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,048.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन सूचना और प्रचार			
मू.	909.00	186.23	186.23
पु.	- 722.77		..
31 मार्च 2022 को ₹ 722.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान जन आधार योजना			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	1,196.02		
		400.00	400.00
पु.	- 796.02		..

31 मार्च 2022 को ₹ 796.02 लाख का प्रावधान (i) नवीन पी.वी.सी. जन आधार कार्ड की छपाई एवं वितरण पर निर्णय नहीं होने तथा (ii) अन्य आई.टी. कार्यों, ए.टी.एम. में नकद प्रबंधन एवं स्वयं सेवा कियोस्क (शहरी और ग्रामीण) कार्यों के लिए राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कम मांग करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम			
(उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	2,200.00		
		4,300.00	4,300.00
पु.	2,100.00		..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	2,800.00		
		3,500.00	3,500.00
पु.	700.00		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,800.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[05] स्टार परियोजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय			
मू.	32.05		
पु.	2,136.90	2,168.95	2,168.95
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,136.90 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जाति के लिये)			
मू.	1,787.55		
अ.	0.01	2,126.37	2,126.37
पु.	338.81		..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 338.81 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल को अनुदान			
मू.	264.00		
पु.	273.65	537.65	537.65
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 273.65 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
मू.	1,463.20		
पु.	223.56	1,686.76	1,679.71
			- 7.05
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 223.56 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरे जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 7.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सा समूह, जोधपुर			
मू.	3,887.23		
पु.	580.97		
		4,468.20	4,467.93
			- 0.27

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 580.97 लाख की अतिरिक्त निधियां परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद नर्सों को नियमित वेतनमान स्वीकृत करने तथा पी.जी., सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और इंटर्न में पढ़ने वाले छात्रों को देय वजीफे की दरों में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सा समूह, कोटा			
मू.	2,245.35		
पु.	334.59		
		2,579.94	2,579.93
			- 0.01

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 334.59 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	4,822.39		
पु.	1,040.37		
		5,862.76	5,862.76
			..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,040.37 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(47) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[02] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
मू.	0.01	6,258.64	6,258.64
पु.	6,258.63		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,258.63 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	927.16	2,781.48	2,781.48
पु.	1,854.32		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,854.32 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	12,116.11	15,509.02	15,509.02
पु.	3,392.91		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,392.91 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[05] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	637.69	953.59	953.59
पु.	315.90		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 315.90 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(51) केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[02] केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान			
मू.	0.01	10,314.34	10,314.34
पु.	10,314.33		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,314.33 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	855.84	2,567.52	2,567.52
पु.	1,711.68		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,711.68 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण			
(04) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] राजस्थान शहरी विकास निधि के बजट शीर्ष 8229-200-(10) में अन्तरण (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	1,783.00	5,349.00	5,349.00
पु.	3,566.00		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,566.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान शहरी विकास निधि को निधियों का हस्तान्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) अनुसूचित जाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू.	6,500.00	10,393.58	10,259.01
अ.	0.01		- 134.57
पु.	3,893.57		

₹ 6,500.00 लाख का प्रावधान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के तहत पीड़ित/आश्रित को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,893.57 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष से संबंधित बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु तथा अपराध एवं आपराधिक ट्रेकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ विभागीय पोर्टल के एकीकरण की वजह से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 134.57 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण				
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(13) अनुसूचित जातियों के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान				
मू.	12,000.00	13,793.39	13,754.80	- 38.59
पु.	1,793.39			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,793.39 लाख की अतिरिक्त निधियां वार्षिक सत्यापन में वर्ष के दौरान छूट दिये जाने के बाद लाभार्थी बच्चों की संख्या में 1,04,179 से 1,40,304 की वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 38.59 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(15) अनुसूचित जातियों के लिए सहयोग योजना अंतर्गत अनुदान

मू.	700.00	1,499.94	1,496.55	- 3.39
पु.	799.94			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 799.94 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में नई श्रेणियों को शामिल करने तथा भुगतान की दर में वृद्धि करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(09) राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निगम को सहायता

मू.	1,000.00	2,550.00	2,550.00	..
पु.	1,550.00			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,550.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम को अनुदान जारी करने के लिए उपलब्ध करायी गयी जिसका उपयोग राष्ट्रीय निगमों को माफ किए गए ऋणों के बदले में ऋण का भुगतान करने हेतु किया गया था।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(27) कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना			
[01] अनुसूचित जातियों की छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण			
मू.	600.00		
		1,040.00	1,040.00
पु.	440.00		..
<p>31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 440.00 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2019-20 में खरीदी गई स्कूटी के संबंध में बकाया देनदारियों ₹ 417.69 लाख का भुगतान नहीं करने, 2020-21 में ₹ 622.31 लाख की स्कूटी की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने तथा योजना के तहत स्थायी मेरिट सूची जारी नहीं करने के कारण निजी निक्षेप खातों में निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।</p>			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम			
[03] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	285.00		
		446.00	446.00
पु.	161.00		..
<p>31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 161.00 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।</p>			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) नवजीवन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए नवजीवन योजना			
मू.	300.00		
		986.02	978.30
पु.	686.02		- 7.72

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 686.02 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण 2021-22 की उद्घोषणा के अनुसार नवजीवन योजना को निधियां उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 7.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
मू.	38,800.00		
पु.	3,253.87		
		42,053.87	41,828.97
			- 224.90
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,253.87 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 224.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	11,500.00		
पु.	1,284.84		
		12,784.84	12,711.63
			- 73.21
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,284.84 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 73.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) कोविड-19 के अंतर्गत जरूरतमंद (गैर पेंशनर) व्यक्तियों को सहायता			
[02] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	13,700.00		
पु.	1,480.00		
		15,180.00	15,180.00
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,480.00 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [21] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	250.00	494.50	494.50
पु.	244.50		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 244.50 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [26] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	712.50	1,047.93	1,047.93
पु.	335.43		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 335.43 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) उद्यान विभाग के माध्यम से [05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	2,656.73	5,999.98	5,999.98
पु.	3,343.25		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,343.25 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सहाय्य सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी क्योंकि संयंत्र की प्रारंभिक लागत अधिक थी। इसके व्यापक प्रचार के कारण कृषकों की इसके लिए मांग भी अधिक थी। एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में समस्त राशि हस्तान्तरित करने के कारण भी अधिक व्यय परिलक्षित हुआ।			..
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) पशुपालन विभाग [04] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	1,500.00	2,119.25	2,112.71
पु.	619.25		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 619.25 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 6.54 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			- 6.54

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2404. डेरी विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान			
मू.	6,500.00	7,280.00	7,280.00
पु.	780.00		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 780.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अनुदान			
मू.	108.01	324.00	324.00
पु.	215.99		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 215.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[03] अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	6,600.00	13,154.97	13,154.97
पु.	6,554.97		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,554.97 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[03] अनुदान			
मू.	1,500.01	4,857.40	4,857.40
पु.	3,357.39		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,357.39 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	2,647.80	4,361.44	4,361.44
पु.	1,713.64		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,713.64 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	631.44	1,712.33	1,712.33
पु.	1,080.89		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,080.89 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	1,027.45	3,535.90	3,535.90
पु.	2,508.45		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,508.45 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	10,591.20	17,389.32	17,389.32
पु.	6,798.12		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,798.12 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) महात्मा गांधी जन-भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	450.00		
पु.	720.00		
	1,170.00	1,167.41	- 2.59
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 720.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) ग्रिड से जुड़े हुए पम्प सेटों के सौर ऊर्जाकरण हेतु कुसुम योजना के अन्तर्गत सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ .	0.01		
पु .	245.15		
	245.16	245.16	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 245.15 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषक ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना के क्रियान्वयन हेतु निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् दरों में राहत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ .	0.01		
पु .	1,199.52		
	1,199.53	1,199.53	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,199.52 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन हेतु निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ .	392.41		
पु .	10,509.97		
	10,902.38	10,902.38	..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,509.97 लाख की अतिरिक्त निधियां वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित विद्युत् वितरण कंपनियों के 50 प्रतिशत नुकसान को अधिग्रहण करने के लिए उपलब्ध करायी गयी। पहन्द्रवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जी.एस.डी.पी. के 0.50 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा प्रदान की गयी है जो बिजली क्षेत्र में निष्पादन और सुधार से जुडी हैं।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(30) खादी की बिक्री पर रिबेट			
[01] खादी वस्त्रों की बिक्री पर रिबेट हेतु अनुदान			
मू.	200.00	600.00	600.00
पु.	400.00		
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(17) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आई पी डी एस)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा अनुदान			
मू.	500.00	1,100.00	1,100.00
पु.	600.00		
			..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू.	5,782.00	11,081.69	11,081.70
पु.	5,299.69		
			+ 0.01

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,299.69 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी को देखते हुए मुफ्त गेहूँ के परिवहन, संग्रहण एवं वितरण पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 83,556.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2021 (₹ 27,542.79 लाख) तथा मार्च, 2022 (₹ 0.16 लाख) में लिया गया ₹ 27,542.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 83,556.69 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में राशि ₹ 1,768.09 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 1,66,497.88 लाख, ₹ 1,33,390.32 लाख, ₹ 98,463.22 लाख, ₹ 1,97,341.69 लाख तथा ₹ 83,556.69 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.18 प्रतिशत से 42.39 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का अधिकांश कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा कार्यों का निष्पादन कम/न होना था।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,017.70	550.00	..
पु.	- 467.70		
31 मार्च 2022 को ₹ 467.70 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] जेल भवन का निर्माण			
मू.	237.13	39.31	..
पु.	- 197.82		
31 मार्च 2022 को ₹ 197.82 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	907.08	258.43	..
पु.	- 648.65		
31 मार्च 2022 को ₹ 648.65 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	847.00		
		202.52	
पु.	- 644.48	202.52	..
31 मार्च 2022 को ₹ 644.48 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV के तहत			
माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	1,400.00		
		170.00	
पु.	- 1,230.00	170.00	..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,230.00 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] समग्र शिक्षा में निर्माण कार्य			
मू.	7,480.00		
		126.92	
पु.	- 7,353.08	126.92	..
31 मार्च 2022 को ₹ 7,353.08 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[02] शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्माण कार्य पर व्यय			
मू.	180.00		
		..	
पु.	- 180.00
31 मार्च 2022 को ₹ 180.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना अनुमोदित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू.	10,200.00		
पु.	- 3,341.66	6,858.34	6,858.34
31 मार्च 2022 को ₹ 3,341.66 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) भवन			
मू.	200.00		
पु.	- 200.00
31 मार्च 2022 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	4,582.50		
पु.	- 3,788.50	794.00	794.00
31 मार्च 2022 को ₹ 3,788.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निर्माण कार्य- आयुर्वेद विभाग			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	176.72		
पु.	- 176.72
31 मार्च 2022 को ₹ 176.72 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिसम्बर, 2021 तक जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) स्वास्थ्य उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	5,613.00		
पु.	- 5,442.54	170.46	170.46
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 5,442.54 लाख का प्रावधान (i) चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा सुदृढीकरण के लिए निधियां जारी नहीं होने, (ii) मेड़ता शहर में ट्रोमा केन्द्र का निर्माण दानदाताओं द्वारा करने तथा (iii) राजगढ़ और नोहर में ट्रोमा केन्द्र के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया के निष्पादन में देरी के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,303.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 139.54 लाख) किया गया ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	500.01		
पु.	- 205.95	294.06	294.06
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 205.95 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र भवन के निर्माण हेतु पृथक शीर्ष खोलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	650.01		
पु.	- 260.42	389.59	389.59
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 260.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	400.00		
पु.	- 400.00
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान एकल निविदा पर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण पी.पी.पी. मोड़ पर लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन तथा बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बी.एम.टी.) यूनिट की खरीद नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	2,400.00	1,526.83	1,526.83
पु.	- 873.17		..
31 मार्च 2022 को ₹ 873.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	300.02
पु.	- 300.02		..
31 मार्च 2022 को ₹ 300.02 लाख का समस्त प्रावधान यू.जी. सीटों में वृद्धि के कारण आवश्यक नए उपकरणों की खरीद के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	200.02	27.65	27.65
पु.	- 172.37		..
31 मार्च 2022 को ₹ 172.37 लाख का प्रावधान यू.जी. सीटों में वृद्धि के तहत उपकरणों की खरीद नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर के निर्णयानुसार चिकित्सा महाविद्यालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद उपकरण क्रय की प्रक्रिया आवश्यकतानुसार प्रारंभ की जावे।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) पी.एम.एस.एस.वाई के अन्तर्गत चिकित्सा			
महाविद्यालय का उन्नयन फेज-IV			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	548.00	348.00	348.00
पु.	- 200.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 200.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को निधियां कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर			
मू.	1,493.13		
		287.36	287.36
पु.	- 1,205.77		..

31 मार्च 2022 को ₹ 1,205.77 लाख का प्रावधान (i) जी+8 आई.पी.डी. ब्लॉक के निर्माण के लिए कार्यकारी अभिकरण का अंतिमीकरण नहीं करने, (ii) राज्य सरकार द्वारा विकसित किये गये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति जारी करने का निर्णय लेने के बाद, तकनीकी कारणों से भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित कार्यप्रवाह प्रबंधन प्रणाली (जी.डब्ल्यू.एम.एस. मॉड्यूल) के माध्यम से समय पर ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया नहीं हो सकने, (iii) ठेकेदारों द्वारा बिलों को समय पर प्रस्तुत नहीं करने तथा कोषालय में प्रस्तुत बिल पास नहीं होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान भुगतान नहीं होने तथा (iv) एकल निविदा प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण पी.जी. सीट फेज-II के तहत कार्यकारी अभिकरण पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उपकरण क्रय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	800.00		
		46.72	46.72
पु.	- 753.28		..

31 मार्च 2022 को ₹ 753.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	600.00		
		306.60	306.60
पु.	- 293.40		..

31 मार्च 2022 को ₹ 293.40 लाख का प्रावधान पी.जी. सीट फेज-II के लिए उपकरणों की खरीद के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देर से जारी होने, जिसके बाद बहुत सीमित समय रहा जिसमें उपकरणों के लिए निविदा प्राप्त नहीं हुई, तकनीकी रूप से निविदा को मंजूरी नहीं दी गई तथा उपकरणों की आपूर्ति एवं उसकी स्थापना के लिए 31.3.2022 तक कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	423.01		
		198.69	198.69
पु.	- 224.32		..
31 मार्च 2022 को ₹ 224.32 लाख का प्रावधान नए पी.जी. छात्रावास के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देरी से जारी होने, उपकरणों की खरीद के लिए आई.एफ.एम.एस. पर निधियां प्राप्त नहीं होने तथा विदेश से आयतित कुछ उपकरणों/वस्तुओं की समय पर आपूर्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	1,700.00		
		144.00	144.00
पु.	- 1,556.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,556.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	14,750.00		
		10,000.00	10,000.00
पु.	- 4,750.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 4,750.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,850.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,900.00 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) नवीन नर्सिंग महाविद्यालय			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	2,000.01		
		142.00	142.00
पु.	- 1,858.01		..
₹ 1,858.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) नवीन पब्लिक हेल्थ कॉलेज			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	1,000.01		
पु.	- 1,000.01
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) ट्राॅपिकल मेडिसिन एवं बायरोलोजी संस्थान			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	200.01		
पु.	- 200.01
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) कार्डियोलोजी संस्थान			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	200.01		
पु.	- 200.01
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,400.03 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) पी जी मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	200.01		
पु.	- 200.01

31 मार्च 2022 को ₹ 200.01 लाख का समस्त प्रावधान इस संस्थान के लिए अधिग्रहित भूमि पर स्टाफ क्वार्टरों को गिराने में देरी के कारण उम्मेद अस्पताल में पी.जी. मेटरनिटी नियोनेटोलॉजी संस्थान भवन के निर्माण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	500.01		
		250.00	250.00
पु.	- 250.01		..
₹ 500.01 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के निर्माण के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2022 को राशि ₹ 2,50.01 लाख का प्रावधान मथुरा दास माथुर चिकित्सालय के समीप भू-जल विभाग की भूमि आवंटन की कार्यवाही में समय लगने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू.	12,620.00		
		8,596.83	8,583.31
पु.	- 4,023.17		- 13.52
₹ 4,023.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 13.52 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[14] पोकरण-फलसूंड जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	3,904.80		
		670.05	670.05
पु.	- 3,234.75		..
31 मार्च 2022 को ₹ 3,234.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[16] तिवरी-मथानिया-भोपालगढ़ जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	250.41		
		29.94	29.94
पु.	- 220.47		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[33] चम्बल-बालेर-सवाई-माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	445.01		
		222.50	222.50
पु.	- 222.51		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[73] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-द्वितीय (डीडीपी) ग्रामीण			
मू.	267.01		
		66.51	66.51
पु.	- 200.50		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[79] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना, फेज- II, पार्ट-डी			
मू.	330.61		
		137.81	137.81
पु.	- 192.80		..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 836.28 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[19] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-2			
मू.	1,102.01		
		214.57	214.57
पु.	- 887.44		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[31] नर्मदा-गुढा मलानी जलपूर्ति योजना			
मू.	220.41		
		45.38	45.38
पु.	- 175.03		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[62] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	498.00		
		7.20	7.20
पु.	- 490.80		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[88] परवन-अकाबाद पेयजल परियोजना			
मू.	890.00		
		667.50	667.50
पु.	- 222.50		..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,775.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[45] बीसलपूर-दूदू परियोजना-चाकसूर, फागी एवं बस्सी			
मू.	996.00		
	
पु.	- 996.00		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[71] जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पंचायत समिति भैसरोड़गढ़ के 38 गांवों के चम्बल नदी से ग्रामीण जलप्रदाय परियोजना			
मू.	198.44		
	
पु.	- 198.44		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[78] बत्तीसा नाले पर बाँध बनाकर सिरौही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)			
मू.	419.60		
	
पु.	- 419.60		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[86] गरडदा पेयजल परियोजना			
मू.	267.00
पु.	- 267.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[96] राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना, चरण तृतीय			
मू.	1,494.00
पु.	- 1,494.00
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 3,375.04 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	9,700.00	6,736.93	- 17.77
पु.	- 2,963.07	6,719.16	- 17.77
31 मार्च 2022 को ₹ 2,963.07 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 17.77 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[04] जवाई-पाली पाइप लाइन परियोजना			
मू.	534.00
पु.	- 534.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू.	646.00
पु.	- 646.00

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[56] डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	267.00
पु.	- 267.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[63] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूँदी जिले को हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	231.40
पु.	- 231.40
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,678.40 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[06] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जल प्रदाय परियोजना			
मू.	445.00	222.50	222.50
पु.	- 222.50		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[13] शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	1,157.00	645.19	645.19
पु.	- 511.81		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	600.00	397.19	393.18
पु.	- 202.81		- 4.01

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[43] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू. 445.00	67.50	67.50	..
पु. - 377.50			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[45] ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू. 1,780.00	132.09	132.09	..
पु. - 1,647.91			
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 2,962.53 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[64] शहरी जलप्रदाय योजना के लिए जयसमंद पेयजल संवर्धन योजना			
मू. 445.00
पु. - 445.00			
31 मार्च 2022 को ₹ 445.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू. 28,732.85	25,383.96	25,378.94	- 5.02
पु. - 3,348.89			
₹ 3,348.89 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 5.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[02] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलप्रदाय योजना			
मू. 398.40	71.65	71.65	..
पु. - 326.75			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[03] बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल परियोजना			
मू. 597.60	169.08	169.09	+ 0.01
पु. - 428.52			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[05] डीग पेयजल परियोजना			
मू. 398.40	35.99	35.99	..
पु. - 362.41			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[06] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबाई)			
मू. 419.60	49.03	49.03	..
पु. - 370.57			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[07] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-सी (नाबाई)			
मू. 1,653.01	826.50	826.50	..
पु. - 826.51			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[08] ब्यावर-जवाजा क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन			
मू.	697.20		
		264.33	
पु.	- 432.87		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[09] गागरीन पेयजल परियोजना			
मू.	916.32		
		315.68	
पु.	- 600.64		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[10] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	597.60		
		200.27	
पु.	- 397.33		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[12] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर-क्लस्टर परियोजना प्रथम चरण भाग-द्वितीय (नाबार्ड)			
मू.	2,390.40		
		500.97	
पु.	- 1,889.43		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[13] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	516.21		
		40.05	
पु.	- 476.16		

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[15] बाड़मेर जिले की शिव तहसील की नर्मदा से जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	2,204.01		
पु.	- 1,442.87	761.14	761.14
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू.	1,038.40		
पु.	- 430.76	607.64	607.64
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[20] क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना नावां तहसील			
मू.	199.20		
पु.	- 168.49	30.71	30.71
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[21] निवाई तथा टोंक तहसील के 199 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू.	796.80		
पु.	- 790.50	6.30	6.30
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[22] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू.	796.80		
पु.	- 345.88	450.92	450.92

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[24] बीसलपुर-चाकसू परियोजना			
मू.	796.80		
		208.11	208.11
पु.	- 588.69		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[25] बीसलपुर फागी परियोजना			
मू.	398.40		
		139.10	139.10
पु.	- 259.30		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[26] अंता-मांगरोल तहसील, जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू.	976.08		
		362.72	362.72
पु.	- 613.36		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[27] बीसलपुर दूदू परियोजना के अन्तर्गत 108 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू.	199.20		
	
पु.	- 199.20		..
उपरोक्त उन्नीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 10,950.24 लाख का प्रावधान जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[02] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXIII)			
मू.	712.00		
		444.99	444.99
पु.	- 267.01		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[03] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXIV)			
मू.	1,335.00		
पु.	- 1,123.07	211.93	211.93
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[04] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXV)			
मू.	2,657.40		
पु.	- 586.20	2,071.20	2,071.20
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 1,976.28 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियों आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	802.35		
पु.	- 676.05	126.30	126.30
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ.	3,000.00		
पु.	- 1,460.59	1,539.41	1,539.41
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 2,136.64 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	765.46		
पु.	- 281.70	483.76	483.04
			- 0.72
31 मार्च 2022 को ₹ 281.70 लाख का प्रावधान छात्रावासों के लघु निर्माण तथा मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए कार्यकारी अभिकरण अनुजा निगम को निधियां का हस्तान्तरण पूर्व में हस्तांतरित निधियां अनुजा निगम द्वारा व्यय नहीं किये जाने के कारण नहीं किया गया तथा ठेकेदारों द्वारा चल रहे कार्यों के बिल खण्डों में प्रेषित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आगंनबाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस.मिशन मोड अंतर्गत			
मू.	300.00		
पु.	- 300.00
31 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	550.00		
पु.	- 361.72	188.28	188.28
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 361.72 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारम्भिक महिनो में विभाग के बन्द होने से मशीनरी तथा उपकरण की खरीद प्रक्रिया में देरी होने तथा क्रय आदेश के अनुसार फर्म द्वारा समस्त सामग्री की आपूर्ति नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,415.93		
पु.	- 973.29	442.64	442.64
			..
31 मार्च 2022 को ₹ 973.29 लाख का प्रावधान कार्यकारी अभिकरण द्वारा कार्यों का निष्पादन कम करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	425.00		
पु.	- 361.57	63.43	63.44 + 0.01
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	350.00		
पु.	- 283.30	66.70	66.71 + 0.01
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 644.87 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	575.00		
पु.	- 568.97	6.03	6.03 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 568.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशु चिकित्सालय तथा पशु चिकित्सालय उप केन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी.- XXIV			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	300.00		
पु.	- 300.00
31 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राज्य स्तर, जिला पॉलीक्लिनिक्स, पशु चिकित्सा अस्पतालों और उप-केन्द्रों/औषधालयों का निर्माण-नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.- XXVI)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	2,500.00		
पु.	- 1,500.00	1,000.00	1,000.00 ..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,500.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	1,620.00		
		303.00	303.00
पु.	- 1,317.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 1,317.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	1,100.00		
		572.63	572.63
पु.	- 527.37		..
31 मार्च 2022 को ₹ 527.37 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[11] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू.	600.00		
		208.05	208.05
पु.	- 391.95		..
31 मार्च 2022 को ₹ 391.95 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	697.00		
		179.43	178.73
पु.	- 517.57		- 0.70
31 मार्च 2022 को ₹ 517.57 लाख का प्रावधान ऑनलाइन प्रक्रिया की वजह से " अनुदान संख्या 046-सिंचाई" के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[02] मुख्य नहर (कि.मी. 74 से 189 तक) का पुर्नजीविकरण/ उन्नयन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण			
मू.	250.58		
पु.	- 184.73	65.85	65.85
31 मार्च 2022 को ₹ 184.73 लाख का प्रावधान नहरों के रखरखाव पर कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	1,993.83		
पु.	- 253.34	1,740.49	1,582.11
31 मार्च 2022 को ₹ 253.34 लाख का प्रावधान परियोजना सम्बन्धी कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 158.38
₹ 158.38 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	17,927.00		
पु.	- 9,477.14	8,449.86	8,262.78
31 मार्च 2022 को ₹ 9,477.14 लाख का प्रावधान परियोजना से संबंधित कार्यों की धीमी गति तथा तदनुसार आनुपातिक प्रभारों के कम समायोजन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8,632.47 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 844.67 लाख) किया गया।			- 187.08
₹ 187.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	3,600.00		
पु.	- 1,053.79	2,546.21	2,491.05
31 मार्च 2022 को ₹ 1,053.79 लाख का प्रावधान परियोजना से संबंधित कार्यों की धीमी गति तथा तदनुसार आनुपातिक व्ययों के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 55.16
₹ 55.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	630.00		
		95.97	95.28
पु.	- 534.03		- 0.69
31 मार्च 2022 को ₹ 534.03 लाख का प्रावधान संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देरी से जारी होने से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) तकली परियोजना			
मू.	360.00		
		92.26	90.26
पु.	- 267.74		- 2.00
31 मार्च 2022 को ₹ 267.74 लाख का प्रावधान परियोजना के संबंधित लाभार्थियों को मुआवजे के भुगतान हेतु अनुग्रह राशि की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[07] पुनर्जीवन/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नबीनीकरण			
मू.	1,122.34		
		4.04	3.96
पु.	- 1,118.30		- 0.08
31 मार्च 2022 को ₹ 1,118.30 लाख का प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं परिणामतः राज्यांश जारी नहीं होने तथा तदानुसार आनुपातिक प्रभारों के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना			
(आर डब्ल्यू एस एल आई पी)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं			
बाह्य सहायता कार्यक्रम) के माध्यम से			
मू.	5,194.00		
		2,026.80	2,026.80
पु.	- 3,167.20		..
31 मार्च 2022 को ₹ 3,167.20 लाख का प्रावधान ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं होने की वजह से कुछ मुख्य कार्यों के शुरु नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास ई.गा.न.प., बीकानेर के माध्यम से			
[01] गंग नहर फैज-II			
मू.	1,467.88		
पु.	- 647.34	820.54	816.02
			- 4.52

31 मार्च 2022 को ₹ 647.34 लाख का प्रावधान कोर्सज (खाला) के निर्माण में किसानों के बीच विवाद, अदालती मुकदमों, खेत में खड़ी फसल, पंक्तिकरण में परिवर्तन और बैमोसम वर्षा के कारण अवरोध उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 4.52 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	5,356.80		
पु.	- 2,584.80	2,772.00	2,772.00
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 2,584.80 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित सीमा से कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,555.24 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 29.56 लाख) किया गया।

80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	3,600.00		
पु.	- 1,800.00	1,800.00	1,800.00
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 1,800.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप में कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	2,700.00		
अ.	2,551.00	3,948.79	3,948.78
पु.	- 1,302.21		- 0.01

सितम्बर, 2021 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश के कारण लिया गया ₹ 2,551.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2022 को ₹ 1,302.21 लाख का प्रावधान जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित सीमा से कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप में कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	295.00
पु.	- 295.00
<p>31 मार्च 2022 को ₹ 295.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) जोधपुर में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा (ii) जोधपुर तथा कोटा में सिलिकोसिस अनुसंधान और पुनर्वास केन्द्र के लिए मशीनरी और उपकरण के क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p> <p>2019-20 और 2020-21 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।</p>			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	631.15	331.55	331.55
पु.	- 299.60
<p>31 मार्च 2022 को ₹ 299.60 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।</p>			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	14,264.00	3,831.30	3,831.30
पु.	- 10,432.70
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू.	20,009.83	9,875.45	9,875.45
पु.	- 10,134.38

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू.	8,944.77	2,612.25	2,612.25
पु.	- 6,332.52		..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) ग्रामीण सड़कें			
मू.	12,759.36	6,678.93	6,678.83
पु.	- 6,080.43		- 0.10
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 32,980.03 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) निजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू.	534.12	47.32	53.23
पु.	- 486.80		+ 5.91
31 मार्च 2022 को ₹ 486.80 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके विस्तृत तथा ₹ 5.91 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[14] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.- XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	2,374.78	1,464.88	1,464.88
पु.	- 909.90		..
31 मार्च 2022 को ₹ 909.90 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	4,061.42	2,469.34	2,469.34
पु.	- 1,592.08		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	1,523.01		
		926.00	
पु.	- 597.01	926.00	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 2,189.09 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,015.38		
		617.34	
पु.	- 398.04	616.44	- 0.90

31 मार्च 2022 को ₹ 398.04 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	5,992.01		
		532.59	
पु.	- 5,459.42	532.59	..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	5,589.25		
		126.21	
पु.	- 5,463.04	126.22	+ 0.01

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को ₹ 10,922.46 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,794.77 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,127.69 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] राजनेट			
मू.	2,200.00		
		1,900.00	1,900.00
पु.	- 300.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 300.00 लाख का प्रावधान राजनेट की व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(04) राजस्थान जन आधार योजना
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	1,370.00		
		980.00	980.00
पु.	- 390.00		..

31 मार्च 2022 को ₹ 390.00 लाख का प्रावधान राजस्थान जन आधार रेजिडेंट डाटा डिपोजिटरी, हार्डवेयर अपग्रेडेशन सिस्टम साफ्टवेयर लाइसेंस, एप्लीकेशन डवलपमेंट, नये प्लेटफार्म पर माइग्रेशन हेतु राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अनुमान से कम मांग के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(17) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	175.00		
		350.00	350.00
पु.	175.00		..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 175.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	890.00		
पु.	310.00	1,200.00	1,200.00
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	999.81		
पु.	282.19	1,282.00	1,282.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 592.19 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (06) पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	0.02		
पु.	299.98	300.00	300.00
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 299.98 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[02] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
अ.	0.02		
पु.	1,799.98	1,800.00	1,800.00
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,799.98 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(17) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[03] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय			
अ.	0.03		
पु.	277.97	278.00	278.00
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 277.97 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			..
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[65] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संधारण पर प्रतिशतता व्यय			
मू.	1,787.00	2,415.00	2,415.00
पु.	628.00		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा कलस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	2,649.00	4,126.51	4,126.51
पु.	1,477.51		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[18] जवाई कलस्टर परियोजना, पार्ट-चतुर्थ			
मू.	0.02	160.20	160.20
पु.	160.18		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[32] वृहद पेयजल परियोजनाओं में रेट्रोफिटिंग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत एच एफ टी सी उपलब्ध कराये जाने का कार्य			
अ.	0.02	5,198.26	5,198.26
पु.	5,198.24		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[34] बीकानेर जिले की खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना			
अ.	0.02		
		213.60	213.60
पु.	213.58		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[42] बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना			
अ.	0.02		
		302.60	302.60
पु.	302.58		..
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,980.09 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (रूडसिको) में निवेश			
[02] स्वायत्त शासन विभाग (एस सी एस पी)			
अ.	0.01		
		4,926.17	4,926.17
पु.	4,926.16		..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ.	0.01		
		713.20	713.20
पु.	713.19		..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) ठोस कचरा प्रबन्धन			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ.	0.01		
		783.75	783.75
पु.	783.74		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाए			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) सीवरेज लाईन			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ.	0.01		
पु.	783.74	783.75	783.75 ..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,206.83 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) पशु चिकित्सा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[01] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर			
अ.	0.02		
पु.	697.48	697.50	697.50 ..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 697.48 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर (स्वायत्त निकाय) को राजस्व मदों के अंतर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के स्थान पर राज्य लेखे में पूंजी शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए विश्वविद्यालय (स्वायत्त निकायों) को निधियां जारी करने के लिए सितम्बर, 2021 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा पूंजी लेखे के तहत शीर्ष खोला गया।

इस कारण से, राज्य के बजट 2021-22 में संबंधित राजस्व शीर्ष " 2403" के तहत विश्वविद्यालय को पूंजीगत संपत्ति के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के लिए प्राप्त प्रारंभिक प्रावधानों को पूंजी शीर्ष के तहत विश्वविद्यालय को निधियां जारी करने के उद्देश्य से अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित किया गया। चूंकि उपरोक्त निधियों से सृजित संपत्तियां विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं, न कि राज्य सरकार की। इसलिए, राज्य सरकार की उपरोक्त कार्यवाही राज्य जी.एफ. एण्ड ए आर और सरकारी लेखा नियम 1990 के अनुसार नहीं है। इसलिए, महालेखाकार के कार्यालय द्वारा उपरोक्त नए शीर्ष को खोलने के लिए कार्योत्तर सहमति नहीं दी गई थी।

4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	8,100.00		
पु.	9,900.00	18,000.00	18,000.00 ..

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,900.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[05] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा लिफ्ट)			
मू.	1,424.85	1,674.22	1,671.18
पु.	249.37		
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[06] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट)			
मू.	1,468.00	1,754.61	1,754.61
पु.	286.61		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 535.98 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत तथा जल प्रभार पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[12] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू.	250.00	884.00	884.00
पु.	634.00		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 634.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियंता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
[01] पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियंता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
मू.	4,500.00	10,360.77	10,360.77
पु.	5,860.77		
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,860.77 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान फीडर तथा सरहिंद फीडर की लाइनिंग के कार्य के लिए पंजाब सरकार को राजस्थान सरकार के हिस्से की राशि का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	4,320.00		
पु.	4,018.64	8,338.64	7,770.74 - 567.90

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,018.64 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान तथा तदनुसार प्रतिशतता व्यय के अधिक समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 567.90 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर)			
हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट			
फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	6,564.38	7,928.94	7,928.94 ..
पु.	1,364.56		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,364.56 लाख की अतिरिक्त निधियां ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से वित्त पोषित परियोजना के क्रियान्वयन के कार्यादेश के अनुसार इंदिरा गांधी मुख्य नहर, उसकी वितरिकाओं और लघु कार्यों के कार्याकल्प की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	9.00	193.24	112.52 - 80.72
पु.	184.24		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 184.24 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 80.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] लघु सिंचाई परियोजनायें			
मू.	429.84	2,855.59	2,547.34 - 308.25
पु.	2,425.75		

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,425.75 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 308.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[10] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XIV			
मू.	542.16		
पु.	267.64	809.80	809.80 ..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[11] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV			
मू.	360.00		
पु.	179.80	539.80	539.80 ..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 447.44 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच.पी.सी.एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[02] रिफायनरी (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	20,000.00		
पु.	10,000.00	30,000.00	30,000.00 ..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां रिफायनरी में निवेश करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	0.01		
पु.	388.05	388.06	388.06 ..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 388.05 लाख की अतिरिक्त निधियां खनन उपागम सड़कों के निर्माण/सुदृढीकरण के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	739.08	1,722.92	1,722.92
पु.	983.84		
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	6,819.89	13,612.44	13,587.76
पु.	6,792.55		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) शहरी सड़कें			
मू.	75.57	273.88	273.88
पु.	198.31		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.- XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	2,509.04	3,328.00	3,328.90
पु.	818.96		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[16] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	1,577.88	3,784.80	3,782.19
पु.	2,206.92		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,756.52	8,576.06	8,576.06
पु.	819.54		

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	24,783.70		
पु.	6,868.74		
	31,652.44	31,652.44	..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित			
ग्रामीण सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	5,935.97		
पु.	1,587.20		
	7,523.17	7,525.77	+ 2.60
उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,276.06 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-03-789(04) [90]" के अन्तर्गत ₹ 24.68 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] बैंकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू.	378.00		
पु.	890.88		
	1,268.88	1,268.88	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 890.88 लाख की अतिरिक्त निधियां आई आई टी-जोधपुर और राजकॉम्प इंफों सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स (ए आई ओ टी) लैब की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[27] ई-ऑफिस			
मू.	23.76		
पु.	264.45		
	288.21	288.21	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 264.45 लाख की अतिरिक्त निधियां राज ईवॉल्ट प्रोजेक्ट (डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक) हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	242.00		
पु.	1,492.65		
	1,734.65	1,734.65	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,492.65 लाख की अतिरिक्त निधियां डाटा सेंटर में विभिन्न उपकरणों की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी हेतु कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	0.01		
पु.	598.86		
	598.87	598.87	..
31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 598.86 लाख की अतिरिक्त निधियां एशियन विकास बैंक से राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसार निगम लिमिटेड को ऋण प्राप्त होने कारण उपलब्ध करायी गयी।			

परिशिष्ट

परि
(पृष्ठ 15 पर विनियोग लेखों के
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों)

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
	(₹ सहस्र में)	
ब्याज अदायगियां
लोक सेवा आयोग
001. राज्य विधान मंडल
003. सचिवालय
004. जिला प्रशासन
005. प्रशासनिक सेवाएं
006. न्याय प्रशासन
007. निर्वाचन
008. राजस्व
009. वन	2,14,08,69	..
010. विविध सामान्य सेवाएं	1	..
012. अन्य कर	1,41,78,95	1,09,20,03
013. आबकारी
014. बिक्री कर	1,30,05,95	..
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3	..
016. पुलिस	5,00	..
019. लोक निर्माण कार्य	4,85,36,41	2,13,61
021. सड़कें एवं पुल	1,45,60,78	14,42,48,99
022. क्षेत्र का विकास	..	2
023. श्रम तथा रोजगार
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति
025. कोषालय व लेखा प्रशासन

शिष्ट
सारांश में उल्लिखित)
के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े		
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-	
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)		
81,16	..	+ 81,16	..	
2,38	..	+ 2,38	..	
9,55	..	+ 9,55	..	
3,03	..	+ 3,03	..	
17,61	..	+ 17,61	..	
8,50	..	+ 8,50	..	
45,91	..	+ 45,91	..	
1,44	..	+ 1,44	..	
24,36	..	+ 24,36	..	
1,33,22,66	..	- 80,86,03	..	
..	..	- 1	..	
59,68,56	15,86,45	- 82,10,39	- 93,33,58	
5,03	..	+ 5,03	..	
2,10,21,76	..	+ 80,15,81	..	
1,42	..	+ 1,39	..	
5,08,01	..	+ 5,03,01	..	
3,29,62,50	85,03	- 1,55,73,91	- 1,28,58	
98,88,75	12,99,45,66	- 46,72,03	- 1,43,03,33	
..	1,00	..	+ 98	
12	..	+ 12	..	
4,80,18	..	+ 4,80,18	..	
2,95	..	+ 2,95	..	

परि
(पृष्ठ 15 पर विनियोग लेखों के
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों)

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
		(₹ सहस्र में)
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1	..
027. पेय जल योजना	2,65,67,31	67,11,19
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1	..
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	5,19,69,48	4
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,85,38,30	2,86,44,02
032. नागरिक आपूर्ति
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
दत्तमत	68,92,87	1,33,45
<i>प्रभारित</i>	<i>1</i>	..
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत	19,75,00,00	..
037. कृषि
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण
039. पशुपालन एवं चिकित्सा	3,29,81,02	..
043. खनिज	9	5,58,54
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण
046. सिंचाई	2,99,36,23	20,56,31
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,61,67,11	3,79,18,01
दत्तमत	50,22,48,25	23,14,04,21
कुल वसूलियां		
<i>प्रभारित</i>	<i>1</i>	..

शिष्ट (समाप्त)
 सारांश में उल्लिखित)
 के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
2,14,49	..	+ 2,14,48	..
2,39,96,17	41,64	- 25,71,14	- 66,69,55
3,02,00,00	..	+ 3,01,99,99	..
4,17,63,08	2,94,00,29	- 1,02,06,40	+ 2,94,00,25
1,79,18,64	2,86,83,84	- 6,19,66	+ 39,82
34	..	+ 34	..
61,96,97	1,14,44	- 6,95,90	- 19,01
..	..	- 1	..
18,87,38,54	..	- 87,61,46	..
17,80	..	+ 17,80	..
6,72	..	+ 6,72	..
3,32,89,26	..	+ 3,08,24	..
34,59	18,14,17	+ 34,50	+ 12,55,63
99	..	+ 99	..
2,29,67,33	19,16,47	- 69,68,90	- 1,39,84
2,65,31,41	3,44,88,04	+ 3,64,30	- 34,29,97
47,61,48,67@	22,80,77,03*	- 2,60,99,58	- 33,27,18
83,54	..	+ 83,53	..

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (-) ₹ 03 हजार का अन्तर है।

* पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) ₹ 01 हजार का अन्तर है।

© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
2022

www.cag.gov.in